भारत में कमजोर वर्गों के लिए सामाजिक सुरक्षा

(SOCIAL SECURITY FOR WEAKER SECTIONS IN INDIA)

शोध प्रबन्ध

प्रस्तुति :

सोमदेव मिश्र

एम०काम०., एल०एल०बी०.

निर्देशक :-

प्रोफेसर कृष्णमूर्ति शर्मा

विभागाध्यक्ष,
वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग,
इलाहाबाद विश्वविद्यालय
इलाहाबाद

२००२

मेरा यह शोध-कार्य

"पूज्यनीया स्व० माताजी को समर्पित"

आमुख

मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है एवं समाज एक गतिशील संगठन। सामाजिक गतिशीलता के क्रम में मनुष्यों की कई श्रेणियां बन गई हैं तथा धनी वर्ग, मध्यम वर्ग एवं गरीब व कमजोर वर्ग। सामाजिक व्यवस्था ने इन वर्गों के बीच बड़ी-बड़ी खाइयों का निर्माण किया है। जिसके परिणामस्वरूप धनी वर्ग और अधिक सम्पन्न व गरीब वर्ग और अधिक विपन्न होता जा रहा है। विपन्नता व्यक्ति को कमजोर बनाती है परिणाम स्वरूप कमजोर वर्ग अन्यान्य शोषणों का शिकार हो जाता है। कमजोर वर्गों का शोषण न हो, .सभी मनुष्य एक सम्मानजनक जीवन-स्तर प्राप्त करें, इसके लिए सामाजिक सुरक्षा की व्यापक व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार द्वारा समय-समय पर गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए अनेक महत्वाकांक्षी योजनाओं एवं कार्यक्रमों का क्रियान्वयन भी किया गया है।

यह योजनाएं एवं कार्यक्रम कमजोर वर्गों तक पहुँच रहे हैं या नहीं, इस तथ्य ने मुझे प्रस्तुत शोध कार्य हेतु प्रेरित किया। इस अध्ययन में मैंने कमजोर वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने हेतु सरकारी प्रयासों का सविस्तार आलोचनात्मक मूल्यांकन प्रस्तुत किया है।

मेरे प्रस्तुत अध्ययन की सफलता का सम्पूर्ण श्रेय मेरे पूज्यनीय गुरू एवं मार्गदर्शक प्रोफेसर कृष्णमूर्ति शर्मा, विभागाध्यक्ष वाणिज्य एवं व्यवसाय प्रशासन विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय को जाता है जिन्होंने अपने व्यस्ततम् क्षणों में से कुछ बहुमूल्य पल निकाल कर मेरा समुचित मार्गदर्शन किया है। मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ।

मेरे शोध कार्य को सही आकार देने एवं उपयुक्त सूचनाओं के संग्रहण में भी मेरे गुरूदेव जी ने अपना योगदान किया है जिसके लिए मैं उनके प्रति अपनी कृतज्ञता प्रकट करता हूँ जिन्होंने अनेक महत्वपूर्ण तथ्यों पर सार्थक बहस करके लेख को मजबूती प्रदान की है।

मैं अपनी स्वर्गीया माताजी, पूज्य पिताजी के प्रति भी अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिनके कृत्यों ने मुझे इस कार्य के योग्य बनाया। इस क्रम में मैं अपने मित्रों विशेष कर सर्वश्री आन्नद सिंह, अशोक पाण्डे का भी आभारी हूँ जिनके सकारात्मक सुझावों एवं सहायता ने मेरे प्रस्तुत कार्य को समृद्ध किया है मैं अपनी धर्मपत्नी श्रीमती सुनीता मिश्रा का हृदय से आभारी हूँ जिन्होंने कार्य प्रारम्भ होने से लेकर कार्य सम्पन्न होने तक मेरे शोध लेख को सही रूप देने में सतत् सहायोग दिया है इसके अतिरिक्त मैं अपने उन सभी मित्रों का
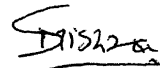
भी आभारी हूँ जिन्होंने प्रत्यक्ष व परोक्ष रूप से मेरे शोध कार्य को समृद्ध किया हैं। मेरे पुत्र चि० सात्विक ने लेखन कार्य में बाधक न बनकर शोध कार्य में परोक्ष सहायोग दिया हैं।

मैं प्रिज्म सीमेंट लिमिटेड के सहायक महा-प्रबन्धक श्री रवि भटनागर जी का विशेष रूप से आभारी हूँ जिनके सकारात्मक एवं सार्थक सहायोग ने प्रस्तुत शोध कार्य को सम्पन्न कराने में महत्वपूर्ण योगदान किया।

सीता कम्प्यूटर अकेडमी के संचालक श्री भूदेव मिश्र को मैं हार्दिक ध्यन्यवाद देता हूँ जिन्होंने अपने टीम के सदस्यों, आन्नद मिश्र, प्रदीप कुमार, विजय मिश्र, आदि तकनीकी ज्ञान का उपयोग करके प्रस्तुत शोध लेख के टंकण को सफल बनाया हैं।

अन्त में मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करता हूँ, जिसकी अनुकम्पा से ही सभी कार्य सम्पन्न होते हैं।

दिनांक :- 27.08.2002

सोमदेव मिश्र

अनुक्रमणिका

सारणी सूची

चार्ट सूची

अध्याय–प्रथम

भारत में सामाजिक सुरक्षा: एक परिचय

अध्याय–प्रथम

भारत में सामाजिक सुरक्षाः एक परिचय

1.1 भूमिका :-

व्यक्ति के समूह से ही समाज का निर्माण होता है। अरस्तू के अनुसार - 'मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है'[1]। उसमें उपने साथियों के साथ सामान्य रूप से जीवन व्यतित करने की क्षमता पायी जाती है। ऐसा माना जाता है कि जो मनुष्य अपने साथियों के साथ सामान्यतः सहयोग करता हुआ सामान्य जीवन व्यतीत नही कर पाता, वह या तो देवता है, या फिर पशु।

मनुष्य का प्रारम्भ से लेकर आज तक का इतिहास बताता है कि वह समूह में ही रहता आया है, सामूहिकता ही उसका विशेष गुण है। वास्तव में यदि देखा जाय तो व्यक्ति की समाज के बिना और समाज की व्यक्ति के बिना कल्पना नही की जा सकती । सामान्य शब्दों में यह कहा जा सकता है कि व्यक्ति और समाज दोनो एक दूसरे पर निर्भर हैं एवं दोनो के बीच घनिष्ठ सम्बन्ध पाया जाता है।

भारत में सामाजिक सुरक्षा पद्धति अति प्राचीन है। प्राचीन ग्रन्थों में सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था का वर्णन मिलता है। ईसा से पूर्व छठी शताब्दी में शुक्राचार्य ने इस व्यवस्था को अपनाया था[2]। कौटिल्य ने ईसा से पूर्व चतुर्थ शताब्दी में सामाजिक सुरक्षा विषय पर अत्यधिक

स्रोतः- 1. समाज शास्त्र, एम. एल. गुप्ता, डी. डी. शर्मा पृष्ठ संख्या 337
2. श्रुति संहिता

प्रकाश डाला है। विशेष रूप से शुक्राचार्य ने इस नीति में सामजिक सुरक्षा के विविध नियमों का वर्णन किया था। शुक्राचार्य ने लिखा था कि मजदूरों को दिवस काल में 3 घन्टे विश्राम मिलना चाहिये, यदि कार्य करते समय वे घायल हो जाये तो उन्हें उचित हर्जाना मिलना चाहिये। उन्होने छुट्टियों के नियम भी स्थायी किये थे। कार्य करते समय यदि किसी मजदूर की मृत्यु हो जाये तो उसके आश्रितो को प्रति वर्ष सेवा काल के वेतन का 1/8 भाग हर्जाना के रूप में मिलना चाहिये। शुक्राचार्य के अनुसार यदि किसी सेवक या कर्मचारी ने 40 वर्ष सेवा की है तो वह वेतन का आधा भाग पेंशन के रूप में प्राप्त करने का अधिकारी है। शुक्राचार्य की भांति कौटिल्य ने भी बहुत से नियम बनाये है।

अंग्रेजी शासन काल में भी सामाजिक सुरक्षा के लिये कुछ अधिनियम बनाये गये थे, परन्तु इन अधिनियमों का उस समय कोई उपयोग नहीं था। अधिकांश श्रमिक निर्धन व अशिक्षित होते थे, वे इन विधानों को समझ भी नहीं पाते थे एवं उनकी स्थिति भी ऐसी नहीं थी कि सम्पन्न उद्योगपतियों पर मुकदमा चला पाते। अतः उस समय जो विधान बनाये गये वे व्यवहार में लागू नहीं हो पाये।

सामाजिक सुरक्षा की अवधारणा का विकास सामाजिक दर्शन-शास्त्र के इतिहास में नवीन घटना है। इस शब्द के प्रयोग को मूलतः स्वर्गीय एब्राहिम एप्स्टीयों ने लोक प्रिय बनाया था, जो अमेरिका सोशल सिक्योरिटी ऐसोसियेशन के सचिव थे। सर्व प्रथम इस शब्द का 1935 में आधिकारिक रूप से प्रयोग किया गया था, जबकि अमेरिका ने अपना सोशल

सिक्योरिटी एक्ट बनाया। धीर-धीरे इस शब्द ने राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय सामाजिक नीतियों सम्बन्धी शब्दावली में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है।

1942 में सेन्टिआगो चाइल में हुये प्रथम अन्तर अमेरिकन सम्मेलन में 'सामाजिक सुरक्षा' के सम्बन्ध में निम्न विचार प्रस्तुत किये गये, 'प्रत्येक देश को अपनी सक्रिय पीढी की बौद्धिक, नैतिक तथा शारीरिक शान्ति का सृजन, संचयन व विकास करना चाहिये, उसे अपनी आगामी पीढ़ियों के लिये मार्ग का निर्माण करना चाहिये, तथा उस पीढी को सहायता देनी चाहिये जो सक्रिय जीवन को त्याग चुकी है। यही सामाजिक सुरक्षा है, जो मानवीय प्रसाधनों तथा मूल्यों की एक वास्तविक तथा विवेकपूर्ण मितव्ययिता है।'[3]

1.2 सामाजिक सुरक्षा का आशय -

'सामाजिक सुरक्षा उन आकस्मिक संकटों, दुर्घटनाओं या कठिनाइयों से होने वाली जोखिमों से बचाने का प्रयास है, जिनकी सम्भावनायें मानव जीवन में बनी रहती है। यह सुरक्षा सरकार या सामाजिक संगठन द्वारा प्रदान की जाती है।'[4]

पं० जवाहर लाल नेहरू

सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य उस सुरक्षा से है, जो कि समाज अपने सदस्यों को उनके जीवन काल में किसी भी समस घट सकने वाली अनेक प्रकार की आकस्मिकता के विरूद्ध प्रदान करता है। ये आकस्मिकतायें प्रसूतिका, बीमारी, वृद्धावस्था, असमर्थता दुर्घटना,

---

स्रोत:- 3. श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, एस. सी. सक्सेना पृ. स. 702
4. श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा. एस. सी. सक्सेना पृ. स. 701

औद्योगिक बीमारी, मृत्यु, बेरोजगारी, बच्चों के लालन-पालन इत्यादि से सम्बन्ध रखती है। इन सब कठिनाइयों पर कोई भी व्यक्ति एकाकी रूप से विजय नहीं प्राप्त कर सकता। केवल समाज ही, जिसका वह एक अंग है, इन सभी जोखिमों और आकस्मिकताओं के विरूद्ध पर्याप्त सुरक्षा व्यवस्था कर सकता है।

सामाजिक सुरक्षा :-

परिभाषाएं - सामाजिक सुरक्षा के अर्थ को भली प्रकार समझने के लिये निम्नलिखित परिभाषाओं का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है :-

1. सर विलियम बेवरिज (Sir William Beveridge) के मतानुसार, "सामाजिक सुरक्षा का आशय एक ऐसी पद्धति युक्त योजना से है जिसके द्वारा 'आवश्यकता, बीमारी, अज्ञनता, फिजूलखर्ची और बेकारी'- इन पाँचों दानवों पर विजय मिले। आवश्यकता के विरूद्ध सुरक्षा का अभिप्राय है कि प्रत्येक नागरिक को उसकी सेवाओं के बदले इतनी पर्याप्त आय दिलाई जाये कि प्रत्येक नागरिक आश्रितों के जीवन-निर्वाह के लिये, जबकि वह काम कर रहा है या नही, दोनो ही समय पर्याप्त हो। अज्ञानता के विरूद्ध सुरक्षा का आशय समाज के सभी सदस्यों को अधिकाधिक शिक्षा सम्बन्धी सुविधाएँ उपलब्ध करने का है। बीमारी से सुरक्षा का आशय है कि बीमारी के समय प्रत्येक नागरिक को चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ दिलाना ताकि स्वास्थ्य का यथोचित स्तर बनाये रखने में उसे सहायता प्राप्त हो सके। बेकारी के अन्तर्गत

प्रत्येक नागरिक उत्पादक सेवकों को, अपनी सेवाओं के बदले यथोचित आय का समुचित अवसर प्रदान करना सम्मिलित किया जाता है। फिजूलखर्ची के विरूद्ध सुरक्षा से आशय उन दोषों को रोकना है जो कि नगरों की अनियोजित वृद्धि से उत्पन्न होते है। अर्थात्, उद्योग एवं जनसंख्या का अधिक श्रेष्ठ विकास एवं आवास व्यवस्था में सुधार करना इस प्रकार की सुरक्षा के अन्तर्गत आता है।"[5]

2. एक फ्रांसीसी लेखक के शब्दों के "सामाजिक सुरक्षा का तात्पर्य रोजगार की सुरक्षा, आय की सुरक्षा तथा कार्यक्षमता की सुरक्षा से है।"[6]

3. अन्तर्राष्ट्रीय श्रम-संगठन(International Labour Organisation) के अनुसार, "सामाजिक सुरक्षा वह सुरक्षा है जो एक उपयुक्त योजना के द्वारा अपने नागरिकों को कुछ निश्चित जोखिमों के विरूद्ध प्रदान करती है। ये जोखित प्रायः ऐसी आकस्मिकतायें (contingencies) हैं, जिनमें एक अल्प साधन वाले व्यक्ति को (अपनी ही क्षमता व दूरदर्शिता से या कुछ साथियों के प्राइवेट सहयोग से) बचाव करना कठिन होता है। अतः राज्य का जो कि नागरिकों का एक समुदाय है और जिसका जन्म ही उनके सामान्य हितो की वृद्धि के लिये हुआ है। यह एक आवश्यक एवं उचित कर्तव्य है कि सामाजिक सुरक्षा प्रदान करें। यों तो सम्पूर्ण सरकारी नीति का सामाजिक सुरक्षा से थोडा बहुत सम्बन्ध रहता ही है तथापि, सामाजिक सुरक्षा की सेवायें उन्हीं योजनाओं को मानना चाहिये जो कि नागरिकों को बीमारी होने से रोकने या बीमार पड़ने पर स्वस्थ होने, जीविका कमाने में असमर्थ होने

स्रोतः- 5, 6 श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, एस. सी. सक्सेना पृ.स. 704

पर, जीवन निर्वाह करने तथा काम प्राप्त करने तक उचित लाभ देने की व्यवस्था करे। वास्तव में सुरक्षा एक मानसिक और भौतिक दोनों ही प्रकार की धारणा है"[7]।

सुरक्षा का आनन्द उठाने के लिये लोगों को इस बात पर भरोसा दिलाना आवश्यक है कि ये लाभ जब भी इनकी जरूयत होगी, उन्हे मिलेंगे तथा सुरक्षा पर्याप्त मात्रा में होगी।

उपर्युक्त परिभाषा से स्पष्ट हो जाता है कि सामाजिक सुरक्षा किसी देश के नागरिकों का एक मानवीय अधिकार है, जिसके अनुसार उनमें से प्रत्येक को सामाजिक जोखिमों से पर्याप्त संरक्षण मिलना चाहिये। लेकिन यह नहीं भूलना चाहिये कि सामाजिक सुरक्षा मुख्य लक्ष्य न होकर एक गौण लक्ष्य है। इसमें यह मानकर चला जाता है कि साधारणतः राज्य के प्रत्येक नागरिक को एक जीवन निर्वाह मजदूरी मिलती है और उसका स्वास्थ्य अच्छा है, अर्थात् राज्य की सम्पूर्ण जनता को उचित भोजन, उचित वस्त्र एवं उचित आवास आदि की सुविधाएँ उपलब्ध हैं। किन्तु इसका यह आशय नहीं होता कि जिन स्थानों में ये सुविधाएँ उपलब्ध है उन स्थानो में योजना लागू न की जाए।

4. जी. डी. एच. कोल (G.D.H.Cole) के शब्दों में, "सामाजिक सुरक्षा से तात्पर्य यह है कि सामाज के प्रतिनिधि के रूप में सरकार अपने समस्त नागरिकों के लिये एक न्यूनतम जीवन स्तर बनाये रखने के लिये उत्तरदायी है।"[8]

5. न्यूजीलैंड की सामाजिक सुरक्षा पद्धति (Social security system, Newzeland) में इस बात पर बल दिया गया है कि सभी नागरिकों के लिये कठिनाइयाँ

स्रोतः- 7, 8 श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, एस. सी. सकसेना पृ. स. 704, 705

होते हुए भी एक न्यूनतम जीवन स्तर सुलभ किया जाये तथा उनके स्वास्थ्य की रक्षा की जाये।

संक्षेप में, हम इस प्रकार कह सकते है कि सामाजिक सुरक्षा किसी देश के नागरिकों का वह मानवीय अधिकार है जिसके परिणामस्वरूप प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक जोखिमों से सुरक्षा मिलनी ही चाहिये।

1.3 सामाजिक सुरक्षा का उद्देश्य :—

1. क्षति पूर्ति करना।
2. पुनरूद्धार करना।
3. रोक लगाना।

क्षतिपूर्ति से आशय यह है कि जोखिम के समय आय की सुरक्षा रहे अन्यथा उसकी स्थिति दो अग्नियों के मध्य जैसी हो सकती है। पुनरूद्धार का आशय यह है कि बिमारी या अस्वस्थ्य व्यक्ति की चिकित्सा की समुचित व्यवस्था हो, जिससे वह पूर्ण स्वास्थ्य लाभ पा सके। इसी प्रकार, बेरोजगार व्यक्ति को भी काम में लगाने की व्यवस्था होनी चाहिये। रोक का तात्पर्य यह है कि बिमारी, बेकारी अथवा अशक्तता के कारण होने वाली हानि का समापन किया जाये जिससे समाज में सुख व समृद्धि बढ़े एवं न्यूनतम हानि हो।

1.4 सामाजिक सुरक्षा का क्षेत्र

'सामाजिक सुरक्षा' अत्यन्त व्यापक शब्द है। इसके अन्तर्गत (क) सामाजिक सहायता, (ख) सामाजिक बीमा, तथा (ग) सामाजिक सेवा को सम्मिलित किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र का अभिप्राय राज्य के पारिवारिक दायित्वों से है। जिस प्रकार किसी कुटुम्ब में मुखिया पर परिवार के समस्त सदस्यों का भार रहता है, उसी प्रकार, नागरिकों का पालक होने के नाते सरकार के ऊपर राष्ट्र के सभी व्यक्तियों का उत्तरदायित्व होता है। सामाजिक सुरक्षा की व्यवस्था के अन्तर्गत, आश्रितों के लिये लाभों की व्यवस्था की जाती है और सभी सामाजिक आकस्मिकताओं (जैसे-बुढ़ापा, असमर्थता, बेरोजगारी, आदि) के विरूद्ध राज्य के सभी नागरिकों को संरक्षण का आश्वासन दिया जाता है। लेकिन सामाजिक सुरक्षा की धारणा बडी परिवर्तनशील है। जैसे-जैसे 'सर्वमंगलकारी राज्य' की धारणा का विकास हो रहा है इसके क्षेत्र में भी वृद्धि होती चली जा रही है। सामान्यतः एक सामाजिक सुरक्षा योजना द्वारा निम्न आकस्मिकताओं के लिये आयोजन किया जाता है-

(1) बीमारी की अवधि में डाक्टरी देखभाल ।

(2) रोजगार सम्बन्धी दुर्घटना के कारण कार्य पर अनुपस्थिति के समय डाक्टरी देखभाल एवं नकद लाभ।

(3) बीमारी के समय नगद लाभ।

(4) प्रसूतिका सम्बन्धी नकद लाभ एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधाएँ।

(5) असमर्थता के समय पेंशन।

(6) एक निर्दिष्ट आयु के पश्चात् वृद्धावस्था की पेंशन ।

(7) मृत्यु के अवसर पर किये जाने वाले व्ययों का भुगतान ।

(8) उपार्जक सदस्य की मृत्यु पर उसकी पत्नी और बच्चो को नकद लाभ ।

(9) बेरोजगारी की अवधि में नकद भत्ता ।

(10) परिवार में प्रत्येक बालक के लिये नकद लाभ का भुगतान, जिनसे उनका उचित रूप से लालन-पालन हो सके।

इस योजना का लाभ पाले वाले लोगों का विचार विभिन्न देशों में भिन्न-भिन्न है। न्यूजीलैंड और ब्रिटेन में सम्पूर्ण जनसंख्या को डाक्टरी देखभाल की आवश्यकता वाली परिस्थितियों में सुरक्षा प्राप्त है। किन्तु, भारत में छोटी आय वाले केवल कारखाना श्रमिक ही सुरक्षा पा रहे हैं। कुछ देशों में केवल श्रमिकों को ही योजना के कार्यक्षेत्र में शामिल किया गया है जबकि अन्य देशों में सम्पूर्ण जनसंख्या को सम्मिलित करने का प्रयास किया जा रहा है।

1.5 सामाजिक सुरक्षा का महत्व

(Importance of Social Security)

प्रथम अन्तर अमेरिका सम्मेलन में सामाजिक सुरक्षा के विषय में कहा गया था कि "प्रत्येक देश को चाहिये कि वह अपनी सक्रिय पीढ़ी की बौद्धिक, मानसिक एवं शारीरिक

शक्ति को विकसित करे, सुरक्षित रक्खे एवं निर्मित करे, अपनी भावी पीढ़ी के लिए मार्ग तैयार करे। तथा जिस पीढ़ी को उत्पादक जीवन से मुक्ति मिल गयी है उसे सहारा दे। यही सामाजिक सुरक्षा है।"[9] वास्तव में कोई भी समाज अपनी बहुमूल्य मानव शक्ति का क्षय सहन नहीं कर सकता। समाज को चाहिये की पीढी-दर पीढी मानव शक्ति की रक्षा करे अन्यथा उसकी प्रगति एक स्वप्न बनकर रह जायेगी । यही कारण है कि पिछड़े समाजों में भी सामाजिक सुरक्षा का कोई न कोई रूप अवश्य देखने को मिलता है, विकसित समाजों का तो कहना ही क्या।

सामाजिक सुरक्षा वास्तव में सामाजिक न्याय की जड़ है। चाहे जनतान्त्रिक देश हो या समाजवादी या साम्यवादी, सभी में समाज के सभी नागरिकों को सामाजिक न्याय मिलना चाहिये तभी प्रगति सम्भव है। सामाजिक सुरक्षा सभी स्तरों पर सामाजिक न्याय सुलभ करने का एक साधन है।

मनुष्य के जीवन में आश्रित रहने की दो अवस्थायें है- बाल्यावस्था और वृद्धावस्था, तथा वयस्क जीवन के मध्यान्तर काल में भी उनके जीवन निर्वाह में कठिनाइयों के समय आ सकते है। सहज प्रवृतियाँ बच्चों के लालन-पालन की प्रयत्क्ष रूप से चिन्ता कर लेती हे लेकिन प्रकृति प्रायः उदासीन रहती है। यह वह समय या स्थान है जबकि सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता प्रतीत होती है। अर्थात् जब प्रकृति मानव की दखभाल नहीं कर सकती, तो उसके हित की देखरेख का दायित्व समुदाय पर आ जाता है।

स्रोतः- 9. श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, सक्सेना, पृ. स. 706,

औद्योगिक श्रमिकों के लिये सामाजिक सुरक्षा की विशेष आवश्यकता होती है। अधिकांश श्रमजीवी अपनी श्रमजीविका के लिये किसी न किसी व्यवसाय में कार्य करने पर निर्भर होते है। यदि वह व्यवसाय किसी औद्योगिक दुर्घटना, बीमारी, असमर्थता, वृद्धावस्था, आकाल मृत्यु या बेरोजगारी के कारण बन्द हो जाए तो श्रमिकों की आय रूक जाती है और श्रमिक व उसका परिवार असुरक्षित एवं असहाय हो जाता है। यह स्थिति उस श्रमिक के लिये तो दुखद है ही, साथ ही उस उद्योग व समाज की प्रगति के लिये भी हानिप्रद है। अतः सामाजिक सुरक्षा की योजना उनके लिये अति आवश्यक हो जाती है।

लाभ – सामाजिक सुरक्षा के कुछ लाभ निम्न प्रकार है–

(1) सामाजिक सुरक्षा की योजना मानव शक्ति की रक्षा करती है और इससे राष्ट्रीय उत्पादन में वृद्धि होती है।

(2) उत्तरजीवी बीमे की सहायता से अनाथ बच्चों को अपनी शिक्षा जारी रखने में सहायता मिलती है और वे भी सामाजिक कार्यकलापो मे सहयोग देने योग्य बन जाते है।

(3) बेरोजगारी बीमे की सहायता से काम छूटने और नया काम मिलने तक जीवन-निर्वाह किया जा सकता है।

(4) आश्रित बालकों को लाभ देने से पारिवारिक जीवन सुरक्षित एवं सुखद बनता है।

(5) वृद्धावस्था का बीमा सेवायोजकों को सुपरएनुयेटेड कर्मचारियों के रिटायरमेंट की लागतों को नियमित रखने में सहायता देता है।

(6) स्वास्थ्य बीमा लोगों को उन चिन्ताओं से मुक्त रखता है जो उनकी अधिकतम उत्पादन क्षमता में बाधा डालती है।

(7) सहायता कार्यक्रम परिवार के विघटन की और योग्यताओं व आशाओं के विनाश को रोककर राष्ट्रीय समृद्धि के विकास में सहायक होते है।

1.6 सामाजिक सुरक्षा की सीमायें
(Limitations of Social security)-

सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी सीमाओं का यहाँ उल्लेख किया गया है-

१. व्यापक नियोजन-

सामाजिक सुरक्षा की सबसे महत्वपूर्ण सीमा यह है कि उसका नियोजन एक अधिक विशाल कार्यक्रम के अंग के रूप में ही किया जा सकता है। जिसका उद्देश्य एक उच्च स्तर पर रोजगार को प्रोत्साहित करना व बनाये रखना, राष्ट्रीय लाभांश में वृद्धि करना, समान रूप से राष्ट्रीय आय का बटँवारा करना, खान-पान एवं आवास की दशाओं में सुधार करना, चिकित्सा सम्बन्धी सुविधायें बढ़ाना, वित्त प्रबन्धन शिक्षा तथा व्यावसायिक एवं सामान्य शिक्षा के अधिकाधिक अवसर प्रदान करना है।

२. नैतिक स्तर में गिरावट-

सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ एवं उस पर निर्भरता व्यक्ति की स्वतन्त्रता की भावना को नष्ट कर देती है। वह उसे राज्य पर अति निर्भर बना देती है। वह आलसी हो जाता है और अपने कार्य की उपेक्षा करने लगता है। इस प्रकार ऐसे लोग समाज के ऊपर भारस्वरूप बन जाते है। अतः सामाजिक सुरक्षा की सफलता सार्वजनिक नैतिक स्तर से सीमित होती हे।

३. शिशु उद्योगों पर असह्य भार-

शिशु उद्योगों पर सामाजिक सुरक्षा की योजना का एक असह्य भार पडता है जिससे उनका विकास रूक जाता है।

४. प्रशासकों की योग्यता-

योग्य प्रशासको के अभाव में भी योजना की सफलता खतरे में पड़ जाती है।

५. जन्म देने वाली परिस्थितियों का सुधार-

कहा जाता है कि सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता को उसे जन्म देने वाली परिस्थितियों का सुधार करके समाप्त किया जा सकता है। यही उपाय अधिक उत्तम भी है, क्योंकि रोग का इलाज करने की अपेक्षा रोग पैदा ही न होने देना श्रेष्ठ है।

1.7 गरीबी की अवधारणा

(The Concept of Poverty)

अक्सर यह माना जाता है कि वे लोग गरीब हैं जो एक निश्चित न्यूनतम उपभोग का स्तर प्राप्त करने मे असफल रहते है। परन्तु जिन विशेषज्ञों ने गरीबी की समस्या का अध्ययन किया है, वे इस बात पर एकमत नहीं है कि कितनी आय न्यूनतम उपभोग स्तर प्रदान करने के लिए काफी है। जुलाई 1962 में योजना आयोग द्वारा गठित एक समिति ने इस बात का अनुमान लगाने का प्रयास किया था कि राष्ट्रीय आधार पर गरीबी को परिभाषित करने के लिए न्यूनतम उपभोग स्तर कितना लिया जाए। इस समिति ने सुझाव दिया था कि प्रचलित कीमतों के आधार पर न्यूनतम जीवन स्तर के लिए प्रति व्यक्ति निजी उपभोग पर 20 रूपये मासिक व्यय होना चाहिए। समिति किस आधार पर इस राशि तक पहुंची थी, यह स्पष्ट नहीं है । इसके अतिरिक्त, समिति ने शहरी व ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग-अलग व्यय की राशियाँ न बतलाकर एक ही राशि की सिफारिश की थी जो सही नहीं है। इसका कारण यह है कि शहरी क्षेत्रों में रहन सहन की लागतें ग्रामीण क्षेत्रों की तुलना में अधिक होती है, क्योंकि न केवल शहरों में कीमतें अधिक होती है। बल्कि शहरों में रहने वाले लोगों को कुछ ऐसे खर्च भी करने पडते है जो ग्रामीण लोगों को नही करने पडते, परन्तु फिर भी योजना आयोग ने पहले समिति की इस परिभाषा को स्वीकार कर लिया था। जहाँ तक विभिन्न अर्थशास्त्रियों का सम्बन्ध है, बी. एस. मिन्हास और ए. वैद्यनाथन ने ग्रामीण गरीबी के अपने

अध्ययनों में इसी परिभाषा को अपनाया गया है जबकि पी.के. बर्धन, दांडेकर व रथ तथा एम.एस.आहलूवालिया ने अपनी गरीबी रेखाएं स्वयं परिभाषित की है।

योजना आयोग ने एक वैकल्पिक परिभाषा और अपनाई। उन्होने आहार सम्बन्धी जरूरतों को ध्यान में रखा। उनके अनुसार, ग्रामीण क्षेत्र में एक दिन में प्रति व्यक्ति के भोजन में 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्र में प्रति व्यक्ति के भोजन में 2100 कैलोरी होनी चाहिए।

योजना आयोग ने कीमतों के आधार पर 1979-80 में ग्रामीण क्षेत्र के लिये 76 रूपया प्रति व्यक्ति प्रति मास एवं नगरीय क्षेत्र के लिये 88 रूपया प्रति व्यक्ति प्रति मास परिभाषित किया था।

केन्द्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय की घोषणा अनुसार गरीबी रेखा वर्तमान में विभिन्न राज्यों में 13900 रूपये से 16990 रूपये के मध्य होगी। यह निर्धारण प्रति परिवार पांच सदस्यों के आधार पर किया गया है।

योजना आयोग के अनुसार गरीबी के अनुमान

(The Planning Commission's Estimates of Poverty)-

योजना आयोग ने 1979-80 की कीमतो के आधार पर ग्रामीण जनता के लिए गरीबी की रेखा 77 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति मास और शहरी जनता के लिए 88 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति मास परिभाषित की है । इस आधार पर योजना आयोग ने 1977-78,

स्रोत:- भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एवं पुरी, पृ. स. 173

1983-84, 1987-88, 1993-94, 1997-98 और 2001-2002 में गरीबी की व्यापकता के अनुमान प्रस्तुत किए है जो सारणी में दिये गए है।

सारणी -1

गरीबी की व्यापकता के अनुमान

क्षेत्र	1977-84	1983-84	1987-88	1993-94	1997-98	2001-2002
ग्रामीण क्षेत्र	53.1	45.7	39.1	37.3	30.55	18.61
शहरी क्षेत्र	45.2	40.8	38.2	32.4	25.58	16.46
संपूर्ण देश	51.3	44.5	38.9	36.0	29.18	17.18

(स्रोतः- भारतीय अर्थव्यवस्था, अरूणेश सिंह, ज्ञान भारती प्रकाशन)

सारणी में दिए गए आंकडो से स्पष्ट है कि यद्यपि 1973-74 और 1977-78 के बीच गरीबी की व्यापकता में मामूली कमी हुई थी लेकिन इसके बाद 1977-78 से 1993-94 के सोलह वर्षो में गरीबी की रेखा के नीचे, प्रतिशत में भारी कमी हुई। योजना आयोग के अनुसार यह काफी उत्साहवर्धक स्थिति है और इस दिशा में सफलता का कारण आर्थिक संवृद्धि की ऊंची दर, कृषि उत्पादन में वृद्धि तथा रोजगार प्रदान करने वाले कार्यक्रमों की सफलता है।

अभी हाल में विश्व बैंक के गरीबी एवं मानव संसाधन प्रभाग ने भारत में गरीबी के अनुमान प्रस्तुत किए है। उसने इसके लिए नैशनल सेंपिल सर्वे द्वारा उपलब्ध कराए गए

आंकड़ो का प्रयोग किया है। इस स्रोत से 1951 से 1992 तक लगभग चार दशकों के लिए गरीबी के अनुमानों की एक श्रृंखला उपलब्ध है। इन अनुमानों के अनुसार 1950-51 से 1873-74 के बीच गरीबी की व्यापकता के विषय में कोई दीर्घकालिन प्रवृति स्पष्ट नहीं होती है, लेकिन इसके बाद 1989-90 तक गरीबी की व्यापकता में नियमित रूप से कमी हुई है। नब्बे के दशक में शुरू के वर्षो में गरीबी बढ़ी है और इन अनुमानो के अनुसार 1992 में ग्रामीण क्षेत्र में 43.5 प्रतिशत और शहरी क्षेत्र में 33.7 प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे थी।

'गरीबी रेखा' पर आधारित दृष्टिकोण की सीमाएं
(Limitations of Poverty Line Approach)

ऊपर दिये गए गरीबी के सभी अनुमान गरीबी की रेखा पर आधारित है। एक बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने के बाद फिर इस बात पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता कि इस रेखा से नीचे जीने वाले लोगों के अलग-अलग वर्गो की वास्तविक दशा क्या है। उदाहरण के लिए, मान लें कि हम गरीबी की रेखा को ग्रामीण क्षेत्रों के लिए 1979-80 की कीमतों पर 77 रूपये प्रति व्यक्ति प्रति मास परिभाषित करते है। एक बार गरीबी की रेखा को इस प्रकार परिभाषित करने के बाद, 77 रूपये से कम पाने वाले सभी व्यक्ति गरीब कहलाएंगे, हालांकि 75 रूपये पाने वाले और मात्र 25 रूपये पाने वाले दो व्यक्तियों की

स्थिति नितान्त भिन्न होगी। स्पष्ट है कि मात्र 25 रूपये पाने वाला व्यक्ति गरीबी के अत्यन्त भयावह दौर से गुजर रहा होगा परन्तु यह बात गरीबी की परिभाषा में व्यक्त नहीं हो पाएगी।

इस संदर्भ में अमर्त्य सेन का यह कथन महत्त्वपूर्ण है कि गरीब कोई एक आर्थिक वर्ग नही है, गरीबी बहुत सी आर्थिक परिस्थितियों का परिणाम है । इसलिए गरीबी की समस्या का हल करने के लिए स्वंय गरीबी की संकल्पना से परे जाना होगा। इस आधार पर विभिन्न लोगों के बीच अन्तर करना आवश्यक है। अमर्त्य सेन के अनुसार, गरीबी के विश्लेषण में दो चरण होने चाहिए। पहले चरण में तो यह पता लगाना चाहिए कि अलग-अलग लोगों को कितना मिला और इस आधार पर प्रति व्यक्ति आय के किसी मापदण्ड के सहारे गरीबी का पता लगाना चाहिए। दूसरे चरण में हमें इस बात का अनुमान लगाना चाहिए कि स्थिति वास्तव में कितनी खराब है और एक खराब स्थिति, खराब स्थिति से कितनी भयावह है। यह जानना काफी नहीं कि कितने लोग गरीब है। यह जानना भी महत्त्वपूर्ण है कि गरीब लोग कितने गरीब है।

1.8 कमजोर वर्ग-

कमजोर वर्ग का तात्पर्य समाज में रहने वाले प्रतयेक उस व्यक्ति से है 'जो गरीब है, चाहे वह ग्रामीण हो या शहरी'।

उन सभी अल्प विकसित देशों में जहां प्रति व्यक्ति आय बहुत कम है, आय की असमनताओं ने कई बुराईयों को जन्म दिया है जिनमें सबसे गम्भीर बुराई 'गरीबी' है। भारत

मे आज लगभग 48 वर्ष पश्चात् जनसंख्या का 36 प्रतिशत भाग गरीबी से त्रस्त है और वह भयानक अभावों में जी रहा है।

निर्धनता का आशय उस सामाजिक क्रिया से है जिसमें समाज का एक भाग अपने जीवन की बुनियादी आवश्यकताओं को भी पूरा नहीं कर सकता । जब समाज का एक बहुत बड़ा अंग न्यूनतम जीवन स्तर से वंचित रहता है और केवल निर्वाह स्तर तक गुजारा करता है तो कहा जाता है कि समाज में व्यापक निर्धनता व्याप्त है।

डां0 कोस्टा ने अपने अनुदान में निर्धनता के तीन स्तर बताये हैं[10]:-

1. अति दीन 2. दीन 3. निर्धन

इनकी व्याख्या निम्नलिखित हैः-

1. अतिदीन :-

रोटी, कपड़ा और मकान मनुष्य के जीवन की आधारभूत एवं अपरिहार्य आवश्यता है। अतिदीन श्रेणी में वे व्यक्ति व समाज आते है जिनके लिये उक्त तीनों साधनो की सदैव अनिश्चितता बनी रहती है। दूसरे शब्दों में जिनकी जिदंगी खानाबदोश जैसी हो उन्हे अतिदीन की श्रेणी में रखा जा सकता है, इनके जीवन का लक्ष्य मात्र क्षुधा, वस्त्र एवं आवास की निश्चितता बनाए रखने का ही होता है। देश की अधिकांश जाति या आबादी को इस श्रेणी में रखा जा सकता है।

स्रोतः- 10 श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, एस. सी. सक्सेना पृ. स. 78

2. <u>दीन</u> :-

इस श्रेणी में आबादी के उस हिस्से के लोगो को रखा जा सकता है जो किसी तरह अपना जीवन यापन कर लेते है। दूसरे शब्दों में वे लोग जिनके पास आवास के नाम पर एक झोपड़ी एवं भोजन के नाम पर न्यूनतम कैलोरी व कैलोरी विहीन भोजन होता है, को इस श्रेणी में रखा जाता है।

3. <u>निर्धन</u> :-

वह व्यक्ति व समाज जो संगठित व्यवस्था का अंग होता है परन्तु सामाजिक मापदण्डो के अनुसार साधनों के अभाव से ग्रस्त रहता है, को निर्धन कहा जा सकता है। निर्धन का शाब्दिक अर्थ है 'धनहीन या बिना धन के'। धन एक सापेक्ष शब्द है जो सामाजिक परिस्थितियों के अनुसार परिवर्तनशील रहता है। परन्तु कमोवेश धन का अर्थ भौतिक साधन जैसे भूमि, मकान, बहुमूल्य रत्न एवं जवाहरात तथा जीवन स्तर के साधन के साथ जोडकर देखा जा सकता है। अतः जीवन, स्वास्थ्य तथा दक्षता के लिए न्यूनतम उपभोग आवश्यकताओं के प्राप्त करने में अयोग्यता को निर्धनता कहते है। इन आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, शिक्षा तथा स्वास्थ्य संबंधी न्यूनतम मानवीय आवश्यकतायें अनिवार्यतः सम्मिलित है। यह वर्ग न्यूनतम जीवन स्तर को बनाये रखता है परन्तु सामान्य जीवन स्तर प्राप्त करने हेतु इसे बाह्य सहायता की आवश्यकता होती है।

<u>आंकड़ा</u> :- 1998-99

अतिदीन 5.2 करोड़ व्यक्ति

दीन 9.1 करोड़ व्यक्ति

निर्धन 14.1 करोड़ व्यक्ति

(स्रोतः- भारतीय अर्थव्यवस्था, दत्ता एवं त्रिपाठी)

निर्धनों की बहुसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में रहती है इनमें मुख्य रूप से दो वर्ग हैः-

1. छोटे किसान 2. भूमि हीन मजदूर

ग्रामीण भारत में निर्बल वर्गों की मुख्य आर्थिक समस्या खुली बेरोजगारी नहीं बल्कि निम्न उत्पादित रोजगार है। शहरी क्षेत्रों में निर्धनता की समस्या ग्राम निर्धनता का उत्प्रवाह है :-

निर्धनता के कारण :- भारत में निर्धनता के चार प्रमुख कारण हैः-

1. व्यक्तिगत कारण
2. आर्थिक कारण
3. भौगोलिक कारण
4. सामाजिक कारण

कमजोर वर्ग का आधार :-

कमजोर वर्ग की समस्या के समाधान के लिये नीति बनाने से पूर्व उन्हें सामाजिक सुरक्षा देने से पूर्व यह जानना अति आवश्यक है कि कमजोर वर्ग के अन्तर्गत कौन से व्यक्ति या समाज आते है। अर्थात् कमजोर वर्ग का आधार क्या है- परन्तु सरकार ने आज तक इस दिशा में कोई कदम नहीं उठाया है - 'राष्ट्रीय सेंपिल सर्वेक्षण'[11] के आधार पर विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने गरीबी का अधिकतर भाग निम्नलिखित लोगों का है, दर्शाया है-

1. खेतिहर मजदूरों के परिवार जिनके पास भूमि बिल्कुल नहीं है और जो मूल खेतिहर मजदूरों के परिवार का लगभग 60 प्रतिशत है।
2. खेतिहर मजदूरों के परिवार जिनके पास बहुत थोडी सी भूमि है जो कुल खेतिहर मजदूरों के परिवार का लगभग 40 प्रतिशत है।
3. ऐसे ग्रामीण श्रमिक परिवार जिनके पास खेती नहीं है।
4. ऐसे वे किसान जो 2 हैक्टेयर से भी कम भूमि पर खेती करते है।

जहाँ तक शहरी क्षेत्र के गरीबों का प्रश्न है, दांडेकर व रथ के अनुसार ये लोग भी ग्रामीण क्षेत्रों से ही आये है और इनकी जड़े भी गांवो में ही है, इसीलिये वे भी उसी वर्ग विशेष का भाग हैं, और वह विशेष भाग ग्रामीण लोगों का है। लेकिन वे सभी व्यक्ति इतने लम्बे समय से शहर में रह रहे है इसीलिये शहरी वर्ग में आ जाते है। यही कारण है कि

स्रोत:- 11. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एवं पुरी, पृ. स. 179

बढते और फैलते हुये माहौल के कारण इन लोगों के जीवन के बारे में कोई विशेष जानकारी प्राप्त नहीं हो पाती ।

भारत के कमजोर वर्गों पर विश्व बैंक का अनुदान :-

विश्व बैंक ने अपने देश सम्बन्धी अध्ययन - भारत में निर्धनता, रोजगार, एवं सामाजिक सेंवाये 1989 में गरीबी रेखा निर्धारित करने के लिये वही विधि अपनाई थी जो योजना आयोग ने अपनाई थी।

योजना आयोग ने 'प्रति व्यक्ति' प्रति मास की निम्न निर्धनता रेखा परिभाषित की थी[12]।

1973-74 -

ग्रामीण क्षेत्र - 49.10 रूपया

नगरीय क्षेत्र - 56.60 रूपया

1977-78 -

ग्रामीण क्षेत्र - 55.20 रूपया

नगरीय क्षेत्र - 68.60 रूपया

1983-84 -

ग्रामीण क्षेत्र - 89.00 रूपया

नगरीय क्षेत्र - 111.20 रूपया

स्रोत:- 12 भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एवं पुरी, पृ. स. 175

विश्व बैंक के आकलन के अनुसार एक डालर प्रति दिन से कम आय वाले लोगों को गरीबी की रेखा के नीचे माना जाता है।

विश्व बैंक ने अति निर्धन व्यक्तियों का अनुमान गरीबी रेखा के व्यय के 75 प्रतिशत अनुपात को बनाकर लगाया है।

विश्व बैंक के अनुसार निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाली जनसंख्या का अनुपात :-

प्रतिशत व्यक्ति[13]

क्षेत्र	1992	1994
ग्रामीण	43.5	36.7
नगरीय	33.7	30.5

उचित मापदण्ड द्वारा आंकनें पर पता चलता है कि भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में घोर निर्धनता व्याप्त है। भारत में अधिकतम जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में है। चूँकि एक बार गरीबी रेखा को परिभाषित करने के पश्चात् इस बात पर समुचित ध्यान नहीं दिया जाता है कि इस रेखा के नीचे जीने वाले लोगों के अलग-अलग वर्गों की वास्तविक दशा क्या है। इसलिये भारत सरकार अधिकतर अधिनियम एवं योजनायें समय-समय पर ग्रामीण क्षेत्रों को लाभान्वित करने के लिये बनाती रहती है। तथा उचित समय पर जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों व ब्लाकों के द्वारा समाज में रहने वाले प्रत्येक निर्धन व्यक्ति को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती रहती है।

स्रोत:- 13 भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एवं पुरी, पृ. स. 175

1.9 भारत में सामाजिक सुरक्षा की आवश्यकता

(Need of Social Security in India)

भारत में सामाजिक सुरक्षा की महिमा के सम्बन्ध में जो कुछ कहा जाए, कम ही होगा। भारतीय श्रमिकों की दशा अत्यन्त शोचनीय है। औद्योगीकरण के सभी खतरों का उन्हें सामना करना पड़ रहा है जैसे बीमारी, बेकारी, आदि। हमारे श्रमजीवियों में संगठन की भी बहुत कमी है। वे अशिक्षित, अज्ञानी एवं दरिद्र है। अपने पैरों पर खड़ा होना उन्हे नहीं आता। इस दृष्टि से अन्य उद्योगशील देशों की अपेक्षा भारतीय श्रमिकों की दशा अधिक खराब है, अतः सामाजिक सुरक्षा सार्वजनिक नीति का एक महत्वपूर्ण अंग माना जाता है तथा इसके प्रचलन की सीमा को देखकर यह अनुमान लगाया जा सकता है कि एक देश ने कल्याणकारी राज्य (welfare state) की दिशा में कितनी प्रगति की है।

1.10 भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी अधिनियम[१४] :-

1. श्रमिक क्षति पूर्ति अधिनियम - 1923

वर्तमान युग वैज्ञानिक युग है। इसमें मशीनीकरण का अधिक महत्व है। अतः औद्योगिक श्रमिकों के जीवन को प्रत्येक समय खतरा रहता है। इनका जीवन जोखिम पूर्ण है, पता नहीं उनके जीवन में किस समय क्या दुर्घटना हो जाये। श्रमिकों के जीवन को सुरक्षित

स्रोतः- 14 श्रम समस्याएं एवं सामाजिक सुरक्षा, एस. सी. सक्सेना पृ. स. 730-736

करने के लिये श्रमिक क्षति पूर्ति अधिनियम 1923 पारित किया गया। इस अधिनियम को 1 जुलाई 1924 को लागू किया गया।

2. कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम 1952-

यह अधिनियम 1952 में लागू किया गया था। सन् 1961 में प्रमुख उद्योगों के 12 हजार संस्थानों में 2.9 मिलियन श्रमिकों पर लागू होता था। सितम्बर 1968 की समाप्ति तक 119 उद्योगों के 43 हजार संस्थानों में 5.3 मिलियन श्रमिकों पर लागू हो गया था। 30 जून सन् 1979 से यह 156 बड़ें उद्योगों पर लागू है। इस अधिनियम के अनुसार उन कर्मचारियों को अनिवार्यतः चन्दा देना पडता है जिन्होने निरन्तर 1 वर्ष या कम-से-कम 240 दिन तक कार्य किया, तथा जिसकी मासिक मजदूरी 1000 रूपये से अधिक नही है। यह उन संस्थानो पर लागू नहीं होता जो सहकारी संस्था अधिनियम 1912 के अन्तर्गत पंजीकृत है, जिनमें 50 से कम श्रमिक कार्यरत है और जो बिना बिजली के चलते है।

3. कोयला खानन-खानों की भविष्य निधि योजना 1948 :-

यह योजना कोयला खान भविष्य निधि तथा बोनस स्कीम अधिनियम सन् 1948 के अन्तर्गत जम्मू व कश्मीर के अतिरिक्त सम्पूर्ण भारत के कोयला खानों पर लागू होती है। इस योजना में सेवायोजक और श्रमिक दोनों को कुल वेतन का 8 प्रतिशत भाग देना होता है। यदि कर्मचारी की इच्छा है तो वह 8 प्रतिशत से अधिक का योगदान कर सकता है। इस

योजना के तहत कर्मचारी को मकान बनवाने, उपभोक्ता सहकारी समितियों के अंश खरीदनें आदि के लिये अग्रिम अनुदान देने का प्रावधान है। 31 दिसम्बर 1976 को इस योजना से देश में 635 कोयला खानों के कर्मचारी लाभान्वित हुये है।

4. कर्मचीर राज्य बीमा अधिनियम 1948 -

भारत में यह सामाजिक सुरक्षा का प्रथम प्रयास है। यह विधान जम्मू व काश्मीर को छोड़कर पूरे भारत में कार्यान्वित है। यह अधिनियम प्रारम्भ में केवल उन्हीं उद्योगो में लागू होता है, जिनमें कम से कम 20 कर्मचारी काम करते हों और शक्ति का प्रयोग होता है। इनमें 500/- रूपये तक प्रतिमास वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारी आते थे अब यह 1000/- रूपये तक प्रतिमास वेतन पाने वाले कर्मचारियों पर लागू होता है। यह कानून उन उद्योगों पर भी लागू होता है जिनमें 10 से 19 कर्मचारी कार्य करते है और शक्ति का प्रयोग होता है अथवा बिना शक्ति प्रयोग के 20 श्रमिक कार्य करते हो।

अधिनियम का प्रशासन एक स्वतन्त्र संगठन को सौंपा गया है। जिसे कर्मचारी राज्य बीमा निगम कहते है। इसमें केवल 40 सदस्य है। यह संगठन एक राजकीय बोर्ड है जिसमें केन्द्रीय एवं राज्य सरकार, सेवायोजको तथा श्रमिकों के भी प्रतिनिधि होगें। इसका संचालन प्रबन्ध एक स्थायी समिति के हाथ में होता है।

इस अधिनियम के अन्तर्गत कर्मचारियों को अन्य सुविधायें भी दी जाती है। जैसे-

1. बीमारी सहायता

2. मातृत्वकालीन लाभ

3. असमर्थता लाभ

4. श्रमिकों पर आश्रित व्यक्तियों के लिए लाभ।

5. औषधि व उपचार सम्बन्धी लाभ

5. भारत में स्वास्थ्य बीमा योजना :-

श्री अदारकर की रिपोर्ट पर 1984 के श्रमिक राजकीय बीमा अधिनियम पारित किया गया था। यह अधिनियम लगभग समस्त कारखानों के लिये है। यह विधान उन व्यक्तियों पर लागू होता है जिसकी आय 400/- रूपये से अधिक नहीं है। श्रमिक राज्य बीमा फन्ड के सेवायोजाकों व श्रमिकों के चन्दे और केन्द्रीय व प्रान्तीय सरकारों, स्थानीय संस्थाओं तथा व्यक्तियों द्वारा दी गयी भेंट व दान आदि की राशियों को भी शामिल किया जाता है।

6. मृत्यु सहायता कोष 1963 -

जनवरी 1963 में एक मृत सहायता कोष की स्थापना की गयी। इसमें गैर छूट प्राप्त संस्थानों के मृत कर्मचारियों तथा उनके उत्तराधिकारियों को वित्तीय सहायता देने का प्राविधान रखा गया है। यह सहायता ऐसे उत्तराधिकारियों के सदस्यों को दी जाती है जिसका वेतन मृत्यु के समय 500/- रूपया प्रतिमाह से अधिक नहीं रहा हो।

7. <u>मातृत्व लाभ</u> :-

महिला मजदूरों की सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह एक सराहनीय अधिनियम है। कारखानों में कार्यरत महिला श्रमिकों के लिये सभी राज्यों में मातृत्व लाभ दिया जाता है। अर्थात शिशु होने से पूर्व व पश्चात् महिला श्रमिक को उचित धनराशि व छुटटी व अन्य सुविधायें दी जाती है।

1.11 सामाजिक सुरक्षा संबन्धी योजनायें -

योजनाबद्ध विकास के साढे चार दशक के बाद भी गरीबी तथा बेरोजगारी हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है । पूर्व प्रधानमन्त्री स्वर्गीय श्रीमती इन्दिरा गांधी के प्रधानमंत्रित्व में छठीं पंचवर्षीय योजना के तहत गरीबी उन्मूलन तथा ग्रामीण विकास के विशेष कार्य शुरू किये गये थे।

यद्यपि 1991-92 के बजट में वित्तीय घाटे का असंन्तुलन दूर करने के लिये गरीबी उन्मूलन और ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के लिये तथा अन्य मदों के आवंटित धन में कुछ कटौती की गई, जिससे इसका प्रत्यक्ष प्रभाव निर्धन वर्गो पर पड़ा। अतः सरकार ने अगले दो वर्ष लगातार 92-93 और 93-94 में इन योजनाओं के लिये बजट राशि बढ़ा दी।

1992-93 में 3100 करोड रूपया जबकि 1994-95 में 7010 करोड़ रूपया कर दिया।

1995-96 में 7700 करोड़ रूपया का लक्ष्य रखा गया था।

सरकार निर्धन वर्गो के लिये निम्न योजनाओं के द्वारा सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है।-

1. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम -

15 अगस्त, 1995 को शुरू किया गया राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। इस कार्यक्रम में वर्ष 2001-2002 के बजट में 635 करोड़ रू0 का प्रावधान किया गया है। इसके शुरू में तीन अंग थे- राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, तथा राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना। ये सभी योजनाएं वृद्धावस्था, परिवार के कमाऊ सदस्य की मृत्यु तथा मातृत्व के दौरान सामाजिक सुरक्षा प्रदान करती है। किन्तु राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना को पहली अप्रैल 2001 को स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय को सौंप दिया गया है।

2. जवाहर रोजगार योजना :-

यह योजना सन् 1989-90 में आरम्भ की गई। इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम (RLEGP) का विलय कर दिया गया है। अनुसूचित जनजातियों से सम्बन्धित रोजगार की अन्य योजनाओं का भी इसमें विलय कर दिया गया है। इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों को सहायता प्रदान की जाती हे।

जवाहर रोजगार योजना (JRY) की मुख्य विशेषता इसका विकेन्द्रीकृत रूप है। इस योजना के क्रियान्वयन का भार पंचायतों को सौपा गया है। इस योजना के अन्तर्गत प्रत्येक पंचायत को जनसंख्या के अनुसार 80,000 से 1,00,000 रूपये प्रति वर्ष उपलब्ध कराया जाता है। इस योजना में गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सदस्य को, कम से कम 50 से 100 दिन रोजगार उपलब्ध कराया जाता है। इस येाजना का दीर्घकालीन लक्ष्य, रोजगार कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन करना है।

आठवीं पंचवर्षीय योजना में रोजगार पर विशेष बल दिया गया था और आगामी 10 वर्षो में बेरोजगारी को लगभग समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया था।

<u>उद्देश्य</u> -

1. ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार तथा अल्प रोजगार वाले स्त्री-पुरूषों के लिये अतिरिक्त उपयोगी रोजगार जुटाना।
2. गांवो में आर्थिक बुनियादी ढांचे को मजबूत बना कर स्थायी रोजगार की व्यवस्था करना।
3. ग्रामीण क्षेत्र में सामान्य जीवन स्तर को सुधारना।

जवाहर रोजगार योजना में गरीबी की रेखा से नीचे के लोगो के लिये कार्यक्रम चलाये जाते है तथा अनुसूचित जातियों/जन जातियों को रोजगार दिलाने में प्राथमिकतायें दी जाती

है। रोजगार के 30 प्रतिशत अवसर महिलाओं के लिये आरक्षित हैं। योजना के अन्तर्गत उपलब्ध धनराशि देश के सभी ग्रामीण जिलों एव ग्राम पंचायतों को दी जाती है।

3. इन्दिरा आवास योजना :-

कमजोर वर्ग की लोगो की आवास सम्बन्धी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए मई 1985 में यह योजना शुरू की गई । इसका उद्देश्य अनुपयोगी कच्चे मकानो को सुधारने में मदद के लिए सहायता अनुदान देना है। सन् 1995-96 सें इस योजना का लाभ युद्ध में शहीद हुए सैनिको की विधवाओं या निकटतम सम्बन्धियों को दिये जाने लगे है। इस योजना की 60 प्रतिशत धनराशि सिर्फ कमजोर वर्ग के लोगो के लिए सुनिश्चित की गई है। स्वच्छ शौचालय और धुआं रहित चूल्हा, योजना के अन्तर्गत बनाए जाने वाले मकान का अभिन्न अंग होते है। नये आवास के निर्माण के लिए मैदानी और पहाड़ी इलाको में क्रमशः 20 हजार रूपये और 22 हजार रूपये की सहायता राशि प्रति इकाई के दर से दी जाती है। सन् 1999-2000 से बेकार पड़े कच्चे मकानों की मरम्मत के लिए 10 हजार रूपये प्रति इकाई का प्रावधान किया गया है।

4. दस लाख कुआं की योजना -

1989-90 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी कार्यक्रम की उपयोजना के रूप में शुरू किया गया था और बाद में जवाहर रोजगार योजना

के अन्तर्गत जारी रहा। 1992-93 तक इस योजना का उद्देश्य अनुसूचित जातियो/जनजातियों को, छोटे व सीमान्त किसानों तथा मुक्त कराये गये बन्धुआ मजदूरों को सिंचाई के लिये कुआँ बनाकर देना था। परन्तु 1993-94 में इसका कार्य क्षेत्र विस्तृत कर दिया गया।

5. पारिवारिक पेंशन योजना -

65 वर्ष या उससे अधिक उम्र के उन निर्धन बेसहारा वृद्धजनों को 75 रूपये मासिक वृद्धावस्था पेशंन दी जायेगी जिनके पास गुजर बसर का अन्य कोई साधन नही है। उनकी पेंशन मनी आर्डर अथवा बैकों तथा डाकघरों में उनके नाम से खोले गये खातों में डाले जायेगें जिससे उन्हें परेशानियों का सामना न करना पडे। लगभग 50,54,299 व्यक्तियों को वर्ष 2000-2001(अनुमानित) के दौरान इस योजना के दायरे में लाया गया है।

6. दुर्घटना बीमा योजना -

गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवार के आजीविका कमाने वाले व्यक्ति को सामान्य परिस्थितियों में मृत्यु हो जाने पर 5000/- रूपये तथा दुर्घटना से मृत्यु होने पर 10000/- रूपया की एक मुश्त राशि दी जायेगी।

7. <u>प्रसूति लाभ योजना</u> -

गरीबी रेखा के नीचे के परिवारों की 19 वर्ष या उससे अधिक आयु की महिला को पहले दो बच्चों के जन्म के समय, प्रसव से पहले व बाद की देख-भाल आदि के लिये 500 रूपये की केन्द्रीय सहायता दी जाती है। वर्ष 2000-2001 के दौरान इस योजना से 12,92,181 महिलायें लाभन्वित हुई है।

8. <u>सामूहिक बीमा योजना</u> -

ग्रामीण सामूहिक बीमा योजना का उद्देश्य इस योजना को गांवों तक ले जाना है। इस योजना के अन्तर्गत 40 वर्ष की उम्र तक 60 रूपये तथा 40 और 50 वर्ष की उम्र तक 70 रूपये वार्षिक के सामान्य प्रीमियम पर 5000/- रूपये का जीवन बीमा किया जायेगा।

गरीब परिवारों के लिये प्रीमियम का 25-25 प्रतिशत केन्द्र सरकार व राज्य सरकार की ओर से दिया जायेगा। गांवों के गरीब लोगों के लिये तीन या 3- 1/2 रूपये प्रति माह देने का प्रावधान है। बीमा शुदा व्यक्ति के मृत्यु होने पर परिवार को 5000/- मिलेगें।

9. <u>दोपहर का भोजन योजना</u> -

नई योजनाओं में सम्भवतः सबसे महत्वपूर्ण योजना है प्राथमिक विद्यालयों के लिये पोषाहार का राष्ट्रीय कार्यक्रम। दोपहर का भोजन योजना के नाम से जारी की जाने वाली इस योजना का उद्देश्य निरक्षरता को दूर करना है जो हमारे देश की अनेक समस्याओं की जड़

है। दूसरा मकसद स्कूलों के बीच में पढाई छोड़ देने की उस प्रवृत्ति पर अंकुश लगाना है, जिसकी वजह से हमारा देश सबसे अधिक अनपढ लोगों का देश बना हुआ है। इस योजना में भारतीय खाद्य निगम का बहुत बड़ा योगदान है।

10. <u>बेरोजगारी भत्ता योजना</u> -

केन्द्र सरकार निर्धन वर्ग के बेरोजगार युवकों को कुछ अनुदान देती है। यह अनुदान ऋण के रूप में भी दिया जाता है। अतिदीन वर्ग के लिये बेरोजगारी भत्ता के रूप में अनुदान दिया जाता है।

11. <u>झोंपडी बीमा योजना</u> -

ग्रामीण क्षेत्र के भूमिहीन किसानों दस्तकारों और अन्य निर्धन परिवारों को झोपड़ियों एवं सम्पत्ति के लिये, अग्नि बीमा कवच प्रदान करने के लिये, केन्द्र सरकार ने झोपड़ी बीमा योजना का शुभारम्भ किया।

कमजोर वर्ग के लिये दी जाने वाली सामाजिक सुरक्षा योजना की वित्तीय व्यवस्था -

केन्द्र सरकार द्वारा या राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर योजनाओं के विकास के लिये एवं उसे सुचारू रूप से क्रियान्वयन करने के लिये अपनी हर पंचयवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत धन की व्यवस्था करायी जाती है :-

1. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक द्वारा

2. सहकारी बैंक द्वारा

3. भूमि विकास बैंक द्वारा

4. कोआपरेटिव बैंक द्वारा

5. ग्रामीण विकास बैंक द्वारा

6. स्टेट बैंक द्वारा

7. राज्य वित्त निगम द्वारा

वित्त मंत्री ने 1995-96 के अपने बजट भाषण में कहा था कि 1991-92 के बजट में ग्रामीण विकास के लिये निर्धारित राशि वृद्धि करने के बावजूद समाज पर उसका प्रत्यक्ष प्रभाव नहीं पड़ा क्योकि हमारे देश की सबसे बड़ी समस्या गरीबी तथा बेरोजगारी है। फरवरी सन् 1994 में विदेश यात्रा के दौरान (डावोस) हमारे प्रधानमंत्री ने आकर सम्मेलन में गरीबी के प्रति अपनी चिन्ता व्यक्त की थी। उन्होने कहा था कि 'परिवर्तन के लिये इस नये उत्साह में सरकार को अपने देश की जनता के बड़े भाग को मुसीबतों में नहीं धकेलना चाहिये। उन्हें ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं है'[15]। उन्होनें कहा था कि 'मुझे कोई अधिकार नहीं कि आप सब लाखों लोगों को इसलिये बेरोजगार बना दूँ कि मैं एक विशेष प्रकार का परिवर्तन चाहता हूँ- यदि कोई मुझे ऐसा करने को कहता है तो मैं विनम्रता से उससे यही कहूँगा कि या तो यह मेरे देश को नही जानता था या फिर यह नहीं जानता कि मैं क्या कर रहा हूँ'[16]। उन्होने कहा था कि सुधार जारी है। जारी रहेगा। परन्तु सुधारों की गति तथा मात्रा उनकी अपनी रहेंगी।

स्रोत:- 15, 16. दैनिक जागरण, 10 फरवरी 1994

प्रशासनिक व्यवस्था :-

सामाजिक सुरक्षा योजना की प्रशासनिक सुरक्षा व्यवस्था केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकार दोनो के माध्यम करायी जाती है। तथा जिला परिषदों, ग्राम पंचायतों एवं ब्लाकों द्वारा भी ग्रामीण निर्धन वर्ग के लिये प्रशासनिक व्यवस्था सरकार द्वारा करायी जाती है।

अवलोकन या 'आलोचनात्मक विश्लेषण' -

सरकार द्वारा गरीबों के लिये पहले से चलाई गई इस तरह की योजनाओं के विश्लेषण के पश्चात् यह तथ्य सामने आया है कि दो पहलुओं पर विशेष ध्यान देने की आवश्कता है।

प्रथम - पहलू यह है कि इनका लाभ उन लोगों तक पहुँचे जिनके लिये ये योजनायें बनी है।

दूसरा- पहलू यह कि इससे मुफ्त में मिलने वाली मदद पर निर्भरता न बढे।

यह भी ध्यान रखना होगा कि गरीबी की स्पष्ट परिभाषा की जाये ताकि इन योजनाओं का दुरूपयोग न हो। लाभार्थियों को मनीआर्डर तथा बैंक या डाकघर खातों के जरिये सहायता की छोटी राशि भेजने से चोरी या हेरा फेरी की सम्भावना कम रहेगी, साथ हीं खातों की जॉच होती रहेगी। 5000/- रूपये की राशि के भुगतान के मामले में सरकार को यह देखना होगा कि इसमें बिचौलिये कोई फायदा न उठा पाये। इसी तरह दोपहर का भोजन देने की योजना के बारे में सरकार को इस बात पर नजर रखनी होगी जब तक

योजना पूरी तरह लागू नहीं होती और पका हुआ भोजन मिलना शुरू नहीं होता तब तक पहले वर्ष अनाज देने में कोई हेरा फेरी न हो। इसके अलावा केन्द्र सरकार को कम महत्वपूर्ण खर्चो पर नियन्त्रण रखना चाहियें ताकि इन योजनाओं के कारण मुद्रा स्थिति न बढ़े और इनके लाभ बेकार न जायें।

निष्कर्ष :-

आज तक सरकार द्वारा निर्धन वर्ग के लिये जो भी योजनायें सामाजिक सुरक्षा की दृष्टि से अपनाई गयी या क्रियान्वन स्वरूप की गयी है, उनका सदुपयोग नहीं हो सका है। इसके लिये हमारी सरकार की गलत नीति या जिला परिषद से लेकर ग्राम पंचायत एवं ब्लाक तक की सारी इकाई जिम्मेदार है। योजना की गुणवत्ता निर्धन वर्ग के लिये चाहे जितनी रही हो लेकिन उसका अधिकतम लाभ निर्धन वर्ग को नहीं मिल सका है। कारण- बदलती हुई सरकार। जब कोई योजना कार्यकारी सरकार द्वारा प्रतिपादित की जाती है तो आने वाली सरकार उस योजना का नाम या स्वरूप बदल कर अपने ढंग से चलाने की कोशिश करती है। जिससे निर्धन वर्ग को अधिकतम लाभ नहीं मिल पाता। क्योकिं आने वाली सरकार यह देखने की कोशिश नहीं करती कि उपरोक्त योजना द्वारा प्रतिपादित कार्य का कितना प्रतिशत कार्य हो चुका है या उससे कितने निर्धन वर्ग लाभान्वित हुये हैं, वह अपने ढंग उस योजना को चलाने की कोशिश करती है।

अतः हम यह कह सकते है कि निर्धन वर्ग के लिये सामाजिक सुरक्षा की जो योजनायें या अधिनियम बनाये गये हैं या बनाये जा रहे है- सारी की सारी योजनायें अपने उद्‌देश्य को प्राप्त करने में जितनी सफल रही है उतनी असफलता का सामना कर रही है। जबकि यह कटुसत्य है कि निर्धन वर्ग के लिये सामाजिक सुरक्षा बुढ़ापे की लाठी सिद्ध हुयी है।

शोध प्रक्रिया एवं अध्ययन की प्रकृति

शोध का उद्‌देश्य -

इस शोध कार्य का उद्‌देश्य गरीब तबकों को प्रदान की जाने वाली सामाजिक सुरक्षा का अध्ययन कराना है और यह देखना है कि ये योजनाये कहां तक सफल है।

परिकल्पानायें-

इस शोधकार्य के लिए निम्नलिखित परिकल्पनायें होगी-

1. क्या गरीब तबके के सभी व्यक्तियों को योजना का लाभ प्राप्त हो रहा है अथवा नहीं।
2. यदि हां तो योजना में कौन से अतिरिक्त सुधार और किये जा सकते हैं।

आकडों का संकलन :-

इस शोध कार्य के लिए द्वितीयक समंकों का प्रयोग किया जायेगा। द्वितीयक समंक प्रकाशित पुस्तकों, पत्रिकाओं, प्रतिवेदनों तथा सरकार के प्रलेखों से एकत्रित किये जायेगें।

समंकों का विश्लेषण :-

एकत्रित किये गये समंको का विश्लेषण आवश्यकतानुसार आधुनिक सांख्यिकीय, तकनीकी, जैसे- प्रतिशत अनुपात, सह-सम्बन्ध, प्रतीयगमन की सहायता से किया जायेगा। यदि आवश्यक हुआ तो कम्प्युटर का भी प्रयोग किया जायेगा।

अध्ययन की प्रकृति एवं अध्यायीकरण :- हमने शोध कार्य को प्रमुख रूप से 4 अध्याय में संकलित किया है:-

1. प्रथम अध्याय में सामाजिक सुरक्षा का परिचय, इतिहास, महत्व उद्देश्य एवं सामाजिक सुरक्षा से सम्बन्धित अधिनियम को रखा गया है।
2. द्वितीय अध्याय में उन अनेक योजनाओं का विस्तृत अध्ययन प्रस्तुत किया गया है जो समय-समय पर हमारी सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगो को प्रदान की गयी है।
3. तीसरे महत्वपूर्ण अध्याय में हमने अनेक योजनाओं का तुलनात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया है, जिनका उद्देश्य योजना की सार्थकता का परीक्षण है।

4. अन्तिम अध्याय में योजनाओं के निष्कर्ष एवं योजनाओं से सम्बन्धित खामियों के सुझाव पर प्रकाश डाला गया है।

<u>सीमाएं</u> -

प्रस्तुत अध्ययन द्वितीय समंकों पर आधारित है, अतः इसके निष्कर्ष द्वितीय समंकों की शुद्धता पर आधारित है।

अध्याय- द्वितीय

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी योजनायें

अध्याय-द्वितीय

भारत में सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी योजनायें

भारतीय अर्थव्यवस्था अनेक आक्रमणों की समय-समय पर शिकार होती रही है। समाज में अनेक उथल-पुथल होते रहे है। अमीर गरीब बनता रहा और गरीब अमीर बनते रहे। परन्तु अंग्रेजी शासन व्यवस्था में एक ऐसी व्यवस्था का जन्म हुआ जब अमीर-अमीर बनता गया और गरीब-गरीब बनता गया। अस्तु भारत में सामाजिक सुरक्षा को दो काल खण्डों में बाँटकर देखा जा सकता है-

2.1 आजादी के पूर्व की सामाजिक सुरक्षा -

15 अगस्त 1947 के पूर्व का भारतीय समाज शोषण, गरीबी, अशिक्षा एवं अन्य नाना प्रकार के विकारों का समाज रहा है। इस काल में देश अंग्रेजी गुलामी की जकड़ से त्रस्त था। अंग्रेजों ने अपने साम्राज्य के विस्तार के लिए शोषण की एक नई विधि ईजाद की, जिसके अन्तर्गत शक्ति संपन्न एवं प्रभुत्व वर्ग वाले व्यक्तियों के हाथों में समाज को चलाने का कार्य सौंप दिया गया। जिसमें जमींदारी, ताल्लुकेदारी आदि व्यवस्थाओं ने जन्म लिया।

गाँवों का देश होने के कारण तात्कालीन भारत की 90% आबादी गाँवों में निवास करती थी जहाँ समस्त सुविधाओं का आकाल एवं साधनो का आभाव बना रहता था। शनैः शनैः समाज संपन्न और विपन्न वर्गों में बँटता गया जिसमें विपन्नों की संख्या कुल आबादी

के लगभग 60% थी। ये वर्ग कमजोर होते गये, कालान्तर में शोषित भी होने लगे। शोषण और अत्याचार की स्थिति इतनी भयावह हो चली कि कमजोर वर्ग का जीवन नर्क से भी बदत्तर हो गया। प्रबुद्ध लोगों ने इस अमानवीय कृत्य पर नियंत्रण एवं इसे रोकने के लिए सरकार पर दबाव डालना शुरू किया। सरकार ने भी व्यवस्था की इस खामी को दूर करने के लिए चेतना शुरू कर दिया और कमजोर वर्गो के हितो के संरक्षण हेतु नीति निर्धारकों ने कुछ करने की ठानी। अठारहवीं शताब्दी में तत्कालीन ब्रिटीश सरकार ने सामाजिक सुधारों के नाम पर कानून और व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने का बीड़ा उठाया। अनेक अध्यादेशों के माध्यम से कमजोर वर्गो को शोषण एवं अत्याचार के खिलाफ कई कानूनी व्यवस्थाएं भी दी, परन्तु इन वर्गो की सामाजिक सुरक्षा के लिए कोई पुख्ता इंतजाम नही किया गया। अतः शोषण का अनवरत क्रम अलग-अलग रूपों में चलता रहा।

विकट परिस्थितियाँ जब अपने चरम पर होती हैं तब महापुरूषों का जन्म होता है। अतः भारत में भी सामाजिक सुरक्षा की सुदृढ़ नींव रखने के लिए समाज सुधारकों एवं बुद्धिजीवियों ने जन्म लिया। 19वीं शताब्दी में कमजोर वर्गो के हितों के संरक्षण हेतु देश के अनेक हिस्सों में अनेक प्रकार के आंदोलन हुए। कहीं सतीप्रथा के विरोध के रूप में तो कहीं वर्ण व्यवस्था के विरोध के रूप में। कहीं जमींदारो के शोषण के विरोध रूप में तो कहीं श्रमिक व पूंजीपतियों के संघर्ष के रूप में। राजाराम मोहन राय, आचार्य विनोबा भावे, वीर सावरकर, महात्मा गाँधी आदि अनेक महापुरूषों ने कमजोर वर्गों को शोषण से बचाने हेतु अपने-अपने तरीके से क्रांति का दीप जलाया। परन्तु, इनके विचारो को व्यापक जनसमर्थन

नहीं मिला। इसका सबसे प्रमुख कारण देश की गुलामी थी। अंग्रेज सरकार यह कदापि नही चाहती थी कि भारत में सामाजिक सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाए। क्योंकि उन्हें भय था कि यदि देश के नागरिक सुख चैन और आपसी भाईचारे से रहने लगेंगे तो इनमें एक जुटता पैदा होगी और अंततः ब्रिटीश हुकुमत को अपना बोरिया बिस्तर समेटकर पूर्णतः पलायन कर देना होगा।

"फुट डालो और राज करो" की नीति का पालन करते हुए अंग्रेजो ने रही सही सामाजिक सुरक्षा एंजेसियों को ध्वस्त करना शरू कर दिया। समाज के संप्रभु वर्ग को गरीब और कमजोर वर्ग को लूटने की खुली छूट दे दी। अबतक स्वंतत्रता आंदोलन भी अपनी जड़े जमा चुका था जिसमें अनेक देशभक्त नागरिकों ने स्वयं भी लोगों से एकजुटता दिखाने की सलाह देने लगे थे। बात अंग्रेजो को भगाकर देश को आजाद करने की थी अतः लोगों ने अपने मतभेद और भेदभाव को भुलाकर आपसी दूरियों को कम करने का प्रयास करने लगे। इस स्थिति में भी कमजोर वर्गो का शोषण तो विशेष रूप से नहीं रूका परन्तु उसमें थोड़ी-सी कमी अवश्य आई।

20 वीं शताब्दी भूमण्डलीय ऊथल-पुथल की शताब्दी थी। प्रथम और चतुर्थ दशक में इसने तो भयावह विद्रोह को जन्म दिया। ऐसा प्रतीत होने लगा था कि शोषण की गति और बढ़ जायेगी तथा अंगेजी साम्राज्य भारत में और पुख्ता हो जायेगा। परन्तु स्वतंत्रता संग्राम में गति आई और अमीर-गरीब, शोषक-शोषित, सवर्ण-अवर्ण, सभी समभाव से इसमें कूद पड़े।

महात्मा गाँधी के नेतृत्व में पूरा देश एकजुट हो गया जिसके परिणामस्वरूप 15 अगस्त सन् 1947 में देश आजाद हो गया।

आजाद होने के साथ-साथ देश को एक और करारा झटका लगा जब इसका विभाजन हो गया। परन्तु राजनेताओं ने बचे-कुचे भारत को ही भयमुक्त, शोषणमुक्त एवं सामाजिक समरसता का एक नया भारत बनाने के लिए कटिबद्ध हो गए।

2.2 आजादी के बाद की सामाजिक सुरक्षा[1] —

आजाद भारत के समक्ष सबसे गंभीर चुनौती थी अस्पृश्यता को दूर करना, जो समस्त सामाजिक दोषों की जननी थी। गाँधी जी अस्पृश्यता एवं भेदभाव निवारण के लिए अथक् प्रयत्न करते रहे और इसके लिए उन्होने असाधारण त्याग किया। गाँधी का सपना सही आकार ले, देश का जनधन निर्भीक रहे एवं आपस में भाईचारा विकसित होता रहे, इत्यादि को मूर्त्त रूप देने के लिए एक ऐसे विधान की आवश्यकता महसूस की गई जो शोषकों पर उनके द्वारा किए गए शोषण के विरूद्ध दण्ड की व्यवस्था करे तथा कमजोरों एवं शोषितों को यह अधिकार प्रदान करे जिसके अन्तर्गत उन्हे कानूनी संरक्षण प्राप्त हो सके।

इस यथार्थ को अमली जामा पहनाने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत ने बाबा साहब भीमराब अम्बेदकर के कुशल नेतृत्व में एक संविधान का वरण किया जिसमें अन्यान्य बातों के अलावा कमजोर, गरीब एवं दलित वर्गो को अनेक विशेषाधिकार भी दिए गए।

स्रोत:- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था, अरूणेश सिंह, 2001-2002
करेन्ट अफेयर्स 2002.

इसप्रकार, सामाजिक सुरक्षा की औपचारिक एवं साकारात्मक शुरूआत 1950 के भारतीय संविधान के लागू होने के बाद आरंभ होती है।

भारत में ग्रामीण बेरोजगारी प्रमुख रूप से तीन प्रकार की है- मौसमी बेरोजगारी, अदृश्य बेरोजगारी व अल्प रोजगार। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन (NSSO) द्वारा किए गए सर्वेक्षण के अनुसार देश की बेरोजगारी में 62% भाग ग्रामीण क्षेत्रों का है तो 38% भाग शहरी क्षेत्रों का है। नियोजन के प्रारम्भ में सरकार ने अलग से इस समस्या के समाधान पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया, किन्तु चौथी योजना के समय से इस पर विशेष ध्यान दिया जाने लगा।

चौथी योजना में प्रमुख रूप से बनाए गए कार्यक्रम थे-लघु कृषक विकास एजेन्सी (S.F.D.A), सीमान्त किसान एवं कृषि श्रमिक एजेन्सी (M.F.A.L.A), सूखा प्रवृत क्षेत्र कार्यक्रम (D.P.A.P) तथा ग्रामीण रोजगार के लिए पुरजोर स्कीम (Crash Scheme for Rural Employment) पाँचवी योजना में काम के बदले अनाज (Food for Work) कार्यक्रम व न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम (Minimum Needs Programme) चलाए गए। यह समस्त योजनाएं ग्रामीण क्षेत्रों के अति निर्धन लोगों के लिए थी। इन परियोजनाओं द्वारा दो प्रकार से सहायता दी जाती थी- एक तो वित्तीय तथा दूसरे, सरकारी लोक कार्य परियोजनाओं में अति निर्धन किसानों व मजदूरों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार की व्यवस्था। जनता पार्टी के शासन काल में समाज के सर्वाधिक निर्धन व्यक्तियों को

उत्पादक रोजगार अवसर उपलब्ध कराकर उन्हें निर्धनता के कुचक्र से बाहर निकालने के लिए अन्त्योदय कार्यक्रम वर्ष 1977-78 में प्रारम्भ किया गया। छठी योजना के दौरान 1980 में सरकार ने ग्रामीण श्रम शक्ति कार्यक्रम, पुरजोर योजना तथा काम के बदले अनाज योजना के स्थान पर राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम(N.R.E.P.) शुरू किया। इस कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य लाभकारी रोजगार के अवसरों में वृद्धि, स्थायी सामुदायिक सम्पत्तियों का निर्माण तथा ग्रामीण निर्धनों के आहार स्तरों में वृद्धि करना था। ग्रामीण युवा वर्ग की बेरोजगारी को दूर करने के लिए अगस्त 1979 में 'ट्राइसेम' येाजना शुरू की गई। इसमें तकनीकी प्रशिक्षण दिया जाता है। ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी को दूर करने हेतु विशेष रूप से उस समय जबकि कार्य नहीं होता है, 1993 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम(R.L.E.G.P.) प्रारम्भ किया गया। S.F.D.A., M.F.A.L.A. आदि योजनाओं के दोहरेपन को दूर करने के लिए 1978-79 में एकीकृत ग्राम विकास कार्यक्रम (I.R.D.P.) शुरू किया गया तथा 2 अक्टूबर 1980 से इसे पूरे देश में लागू कर दिया गया। सातवीं योजना के अन्त में 1989 में सरकार ने NREP तथा RLEGP कार्यक्रम को मिलाकर जवाहर रोजगार योजना, जोकि अधिक विस्तृत थी, प्रारम्भ की । 2 अक्टूबर, 1993 से सरकार ने रोजगार आश्वासन योजना (Employment Assurance Scheme-EAS) लागू की। 1 जनवरी 1996 से ग्रामीण क्षेत्रों में एक नया स्वरोजगार कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके तहत आठवीं कक्षा तक पढे हुए बेरोजगार युवाओं को स्वरोजगार हेतु 50 प्रतिशत (अधिकतम 7,500 रूपए)

सब्सिडी का प्रावधान है। 1फरवरी, 1997 से सरकार ने किसानों के सहायतार्थ एक नई योजना गंगा कल्याणयोजना प्रारम्भ की है।

सामाजिक सुरक्षा कैसी हो, इसका क्या स्वरूप हो और इसे किस तरह से प्रभावी बनाया जाए इत्यादि बातों को ध्यान में रखते हुए समय-समय पर केन्द्र सरकार एवं राज्य सरकारों ने अनेक महत्त्वाकांक्षी नीतियों एवं योजनाओं को निरूपित किया है। इन योजनाओं का विस्तृत विवरण निम्नांकित हे :-

१. सामुदायिक विकास कार्यक्रम

(community Development Programme) -

यह कार्यक्रम 1952 में आरम्भ किया गया था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य सर्वोन्मुखी विकास था।

२. समन्वित कृषि विकास कार्यक्रम

(Integrated Agricultural Development Programme-IADP)-

यह कार्यक्रम द्वितीय योजना के अन्त में बनाया गया था, किन्तु इसे तीसरी योजना में कार्यान्वित किया जा सका। इस कार्यक्रम का उद्देश्य खाद्यान्न के श्रेत्र में आत्मनिर्भरता प्राप्त करना था।

३. अन्त्योदय योजना

(Antyodaya Yojana) -

यह योजना 2 अक्टूबर 1977 को पहली बार केवल राजस्थान में लागू की गई। बाद में इसे उत्तर प्रदेश, बिहार, हिमाचल प्रदेश आदि राज्यों में भी लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन का स्तर सुधारने के उद्देश्य से ग्रामीण क्षेत्रों में लघु व कुटीर उद्योगों की स्थापना व विस्तार के प्रयास किये गये। इस योजना में निर्धन व पिछड़े लोगों को प्राथमिकता दी गयी।

४. लघु कृषक विकास एजेंसी

(Small Farmer Development Agency) -

- ❖ यह कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना (1974-75) में आरम्भ किया गया।
- ❖ इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व सीमान्त किसानों को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना था।
- ❖ बाद में इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) का अंग बना दिया गया।
- ❖ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत छोटे व सीमान्त किसानों को लघु सिंचाई, भूमि विकास, भूमि-संरक्षण, पशु-पालन आदि के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है।

५. काम के बदले अनाज योजना

(Food for Work Programme)-

- यह योजना 1977-78 में लागू की गयी।
- इस योजना के अन्तर्गत संचालित कार्यक्रमों में मजदूरी के रूप में अनाज दिया जाता था।
- इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे-
    1. ग्रामीण क्षेत्रों में आय व पोषण के स्तर में वृद्धि करना।
    2. अन्न के संगृहीत भण्डार और भण्डारण की क्षमता की समस्या को देखते हुए इसका सदुपयोग करना।
    3. इन योजनाओं व कार्यक्रमों के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में उपयोगी स्थायी परिसम्पत्ति का सृजन करना।
- इस योजना के अनुभवों के आधार पर ही 1980 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) आरम्भ किया गया।

६. सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम

(Drought Prone Area Programme-DPAP) -

- यह कार्यक्रम 1973-74 में आरम्भ किया गया।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य सूखाग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में आय में वृद्धि करना था।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में आय के अतिरिक्त साधन उपलब्ध कराये जाते थे तथा सूखे के कारणों के स्थायी उपाय किये जाते थे।

७. मरूस्थल विकास कार्यक्रम

(Desert Development Programme -DDP)-

यह कार्यक्रम 1977-78 में लागू किया गया था, जिसे समन्वित बंजर भूमि विकास योजना के नाम से भी जाना जाता है।

- इस कार्यक्रम को सर्वप्रथम राजस्थान के 11 जिलों में और बाद में 5 राज्यों के 21 जिलों में लागू किया गया।
- इस योजना के निम्नलिखित उद्देश्य थे-

1. मरूस्थलीय क्षेत्र के विस्तार को रोकना व नियमित करना।
2. मरूस्थलीय क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करना।
3. प्रभावित क्षेत्र में सूखे के प्रभाव को कम करना।
4. प्रभावित क्षेत्रों में भूमि, जल, पशुधन तथा मानव संसाधनों की उत्पादकता में वृद्धि करना।

3774-10 / 6378

T-103

८. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

(Integrated Rural Development Programme-IRDP)-

- यह कार्यक्रम 1976-77 में प्रायोगिक कार्यक्रम के रूप में आरम्भ किया गया था। 2 अक्टूबर 1980 से इसे देश के सभी विकास खंण्डों में लागू किया गया।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य कृषि व इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में उत्पादन व उत्पादकता को बढ़ाना तथा निर्धन वर्ग की आय व संसाधनो में वृद्धि करना है।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत गरीबी में जीवन यापन करने वाले परिवारों को ऋण व अनुदान के माध्यम से वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है। यह वित्तीय सहायता ऐसे कार्यक्रमों के लिये उपलब्ध कराई जाती है जिससे सम्बन्धित परिवारों के लिये उत्पादक परिसम्पत्तियों का सृजन हो सके और उन्हें निरन्तर आय प्राप्त होती रहे।
- इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अभिकरण (DRDA) द्वारा किया जाता है।
- इस कार्यक्रम में कुल परिव्यय में केन्द्र व राज्य का योगदान 50:50 होता है।
- इस योजना में लघु व सीमान्त किसानों, कृषि, मजदूरों, ग्रामीण कारीगरों एवं शिल्पी वर्ग को सम्मिलित किया गया है।
- 1993 में लाभार्थियों के चयन के लिये आय की सीमा 11,000 रूपये वार्षिक थी लेकिन 6000 रूपये वार्षिक से कम आय वाले परिवारों को वरीयता दी जाती थी।

- इस कार्यक्रम में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांगो के लिये आरक्षण की व्यवस्था थी।
- 1 अप्रैल, 1999 से इस कार्यक्रम का "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" में विलय कर दिया गया।

e. कृषि सेवा केन्द्र

(Agro Service Centres) -

- यह कार्यक्रम 1971 में आरंभ किया गया था।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत बेरोजगार कृषि स्नाताको तथा डिप्लोमा करने वाले युवकों को प्रशिक्षण व आर्थिक सहायता के माध्यम से कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करवाया जाता है।
- इस कार्यक्रम के मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित है-

  1. तकनीकी शिक्षा प्राप्त बेरोजगारों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
  2. ग्रामीण क्षेत्रों में व फार्म के पास ही कृषि मशीनरी व औजारों के लिये अनुरक्षण व मरम्मत की सुविधाएं उपलब्ध कराना।
  3. उर्वरकों, कीटनाशकों आदि को उपलब्ध कराना।

१०. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम

(Training of Rural Youth for Self Employment TRYSEM)-

- ❖ यह कार्यक्रम 15 अगस्त, 1979 को आरंभ किया गया।
- ❖ इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के युवाओं को तकनीकी प्रशिक्षण देकर स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना है।
- ❖ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, प्रशिक्षण के बाद वित्तीय तथा तकनीकी सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।
- ❖ इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांगो के लिये आरक्षण की व्यवस्था है।
- ❖ 1989 में इस योजना को जवाहर रोजगार योजना में सम्मिलित किया गया था।
- ❖ 1 अप्रैल, 1999 को इस योजना का "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" में विलय कर दिया गया।

११. ग्रामीण क्षेत्रों में महिला व बाल विकास कार्यक्रम

(Development of women and Children in Rural Area- DWACRA-ड्वाकरा)

- ❖ इस कार्यक्रम को 1982 में समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की उपयोजना के रूप में आरम्भ किया गया था।

- इस कार्यक्रम का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग की और गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली ग्रामीण महिलाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण देना था।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रशिक्षण प्राप्त करने वाली महिलाओं को समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत ऋण व अनुदान की सुविधा प्रदान की जाती है। इसमें 10-15 महिलाओं के समूह को स्वरोजगार हेतु 25,000 रूपये तक की कार्यशील पूंजी उपलब्ध कराई जाती है।
- इस कार्यक्रम का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास अधिकरण (DRDA) द्वारा किया जाता है।
- इस कार्यक्रम के कोष के लिये केन्द्र, संबंधित राज्यों तथा यूनिसेफ (UNICEF) का योगदान क्रमशः 40: 20: 20 है।
- 1995-96 से बाल कल्याण कार्यक्रमों को भी इस कार्यक्रम में सम्मिलित किया गया था।
- 1 अप्रैल, 1999 से ड्वाकरा का "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" में विलय कर दिया गया।

१२. जवाहर रोजगार (JRY) -

- यह योजना 1989-90 में आरंभ की गयी।

- इस योजना में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) तथा ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना का विलय कर दिया गया।
- अनुसूचित जनजातियों से संबंधित रोजगार की अन्य योजनाओं का भी इस योजना में विलय कर दिया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना तथा ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत ढांचे (सामुदायिक परिसम्पत्तियों) का विकास करना है।
- इस योजना की मुख्य विशेषता इसका विकेन्द्रीकृत रूप है जिसमें इस योजना के क्रियान्वयन का भार पंचायतो को सौंपा गया है।
- इस योजना में व्यय का 80 प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा और 20 प्रतिशत भाग संबंधित राज्यो द्वारा किया जाता है।
- इस योजना में अनुसूचित जाति और जनजाति को वरीयता दी जाती है तथा महिलाओं के लिये 30 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।
- दो पंचायतों को सहभागिता के आधार पर संयुक्त योजना के क्रियान्वयन की भी अनुमति दी गई है।
- 1 अप्रैल 1999 से जवाहर रोजगार योजना को समाप्त करके इसके स्थान पर "जवाहर ग्राम समृद्धि योजना" आरंभ की गई है।

१३. दस लाख कुंआ योजना-

(Million Wells Scheme-MWS)-

- यह योजना 1988-99 में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP) और ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी योजना (RLEGP) की उपयोजना के रूप में आरंभ की गयी थी। अप्रैल 1989 में इसका जवाहर रोजगार योजना में विलय कर दिया गया। 1995-96 में इसे पुनः स्वतंत्र योजना के रूप में प्रदान किया गया।
- इस योजना का मुख्य उद्देश्य अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के गरीब परिवारों, लघु व सीमान्त किसानों तथा मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों के लिये निःशुल्क खुले सिंचाई कुंओ का निर्माण करना है।
- जिन स्थानों पर भौगोलिक कारणों से खुले कुंओं का निर्माण संभव नहीं है, वहां लघु सिंचाई की अन्य योजनाएं चलाने का प्रावधान है।
- इस योजना के अन्तर्गत देश भर में दस लाख कुंओ के निर्माण का लक्ष्य है।
- 1 अप्रैल 1999 से इस योजना का "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" में विलय कर दिया गया है।

१४. इन्दिरा आवास योजना (IAY) -

- यह योजना 1985-86 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारण्टी कार्यक्रम RLEGP की उपयोजना के रूप में आरंभ की गयी थी। 1989 में इस योजना का जवाहर रोजगार

योजना में विलय कर दिया गया। 1996 में इसे जवाहर रोजगार योजना से अलग करके स्वतंत्र रूप से लागू किया गया।

- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के गरीब परिवारों तथा मुक्त हुए बंधुआ मजदूरों को निःशुल्क भवन उपलब्ध कराना है। 1993 में इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले अन्य वर्गों को भी सम्मिलित किया गया है।
- इस योजना में मकान का आवंटन पति-पत्नी के संयुक्त नाम से अथवा परिवार की महिला सदस्य के नाम से किया जाता है।
- इस योजना का सम्पूर्ण खर्च सरकार वहन करती है।

१९. नेहरू रोजगार योजना

(Nehru Rojgar Yojna)-

- यह योजना अक्टूबर 1989 में आरंभ की गयी थी। मार्च 1990 से इसके संशोधित प्रारूप को लागू किया गया है।
- इस योजना का क्रियान्वयन शहरी विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था।
- इस योजना का प्रमुख उद्देश्य शहरी बेरोजगार तथा अर्द्ध बेरोजगार गरीब व्यक्तियों को रोजगार सुलभ कराना था।

❖ कुल व्यय का केन्द्र द्वारा 60 प्रतिशत और संबंधित राज्यों द्वारा 40 प्रतिशत वहन किया जाता था।

❖ इस योजना की तीन उपयोजनाएं थी-

(1) <u>शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम</u> **(Scheme of Urban Micro Enterprises-S.U.M.E)-**

❖ इस स्कीम के अन्तर्गत लाभार्थी को वार्षिक आय 11,850 रूपये से कम होनी चाहिये तथा कम से कम 3 वर्षो से शहर में ही स्थायी निवासी होना चाहिये।

❖ इस स्कीम के अन्तर्गत शहरी गरीब लोगों को 5 वर्ष तक की अवधि के ऋण प्रदान किये जाते है।

❖ ऋण की राशि सामान्य वर्ग के लाभार्थियों के लिए अधिकतम 16,000 रूपये तथा अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों के लिये अधिकतम 20,000 रूपये है। इस राशि में 25 प्रतिशत अनुदान के रूप में देने की व्यवस्था है।

(२) <u>शहरी आवास एवं आश्रय सुधार योजना</u> **(Scheme of Housing and Shelter Upgradation- SHASU) -**

❖ इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख से 20 लाख तक की जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में आश्रय उन्नयन के माध्यम से शहरी बेरोजगारों को रोजगार प्रदान किया जाता है।

- इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को 10 प्रतिशत ब्याज पर 4000 रूपये तक का ऋण उपलब्ध कराया जाता है, जिसमें से 1000 रूपये अनुदान के रूप में प्रदान किये जाते है।
- 1992-93 से इस योजना में शहरी गरीबी के लिये स्वरोजगार कार्यक्रम (SEPUP) को भी सम्मिलित कर दिया गया।

(३) <u>शहरी संवेतन रोजगार योजना</u> **(Scheme of Urban Wage Employment -SUWE) -**

- इस योजना के अन्तर्गत 1 लाख से कम जनसंख्या वाली शहरी बस्तियों में गरीबों को मूलभूत सुविधायें उपलब्ध कराकर रोजगार प्रदान किया जाता है।
- 1 दिसम्बर 1997 से उपर्युक्त तीनों स्कीमों को समाप्त करके एक नई "स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना" आरंभ की गई है।

१६. <u>प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)</u>-

- यह योजना 2 अक्टूबर 1993 को आरंभ की गयी थी जिसे 1994 से शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों सहित सम्पूर्ण देश में लागू किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य 18 से 35 वर्ष आयु वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत उद्योग

एवं सेवा क्षेत्र ऋण सीमा 2 लाख रूपये तक और व्यवसाय के लिये ऋण सीमा 1 लाख रूपये तक निर्धारित है। इस ऋण में 15 प्रतिशत (अधिकतम 7500 रूपये) तक अनुदान की व्यवस्था है।

- इस योजना की पात्रता के लिये आवश्यक है कि लाभार्थी 18 से 35 वर्ष आयु-वर्ग का हो, मैट्रिक पास/फेल हो, आई0 टी0 आई0 या अन्य किसी सरकारी मान्यता प्राप्त संस्था से कम से कम छः माह का कोर्स पूरा किया हो तथा उस क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष से निवास कर रहा हो। इसके अतिरिक्त उसकी पारिवारिक आय भी 24,000 रूपये प्रतिवर्ष से कम होनी चाहिए।
- इस योजना के अन्तर्गत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये 22.5 प्रतिशत तथा अन्य पिछड़े वर्गो के लिये 27 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था है।

१७. रोजगार आश्वासन योजना

(Employment Assurance Scheme-EAS)-

- यह योजना 2 अक्टूबर, 1983 को देश के सबसे पिछड़े 1778 खण्डों में लागू की गई थी। 1994-95 में खण्डों की संख्या बढ़ाकर 2447 कर दी गई और 1997-98 से इसे देश के सभी विकास खण्डों में लागू किया गया है।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेंत्रों में 18 से 60 वर्ष वर्ग के किसानो और खेतिहर मजदूरों को वर्ष में कम से कम 100 दिन का रोजगार सुनिश्चित करना है।

- इस योजना का क्रियान्वयन जिला ग्रामीण विकास प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।
- प्रत्येक परिवार के अधिकतम दो लोगों को इस योजना का लाभ मिल सकता है जिसके लिये उन्हें ग्राम पंचायत में अपना पंजीकरण कराना होता है।
- इस योजना में होने वाले व्यय का 80 प्रतिशत केन्द्र द्वारा वहन किया जाता है।
- मजदूरी के कुछ भाग का भुगतान अनाज के रूप में किया जा सकता है, लेकिन यह 2 किलोग्राम प्रति व्यक्ति प्रतिदिन अथवा 50 प्रतिशत मजदूरी से अधिक नहीं होनी चाहिए।

१८. महिला समृद्धि योजना (MSY)-

- यह योजना 2 अक्टूबर, 1993 को आरंभ की गयी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं में बचत की प्रवृत्ति को प्रोत्साहित करके उन्हें आर्थिक रूप से स्वावलम्बी बनाना है।
- इस योजना के अन्तर्गत महिलाएं पोस्ट ऑफिस में 4 रूपये से खाता खोल सकती है और 4 रूपये के गुणक में ही अन्य राशियाँ जमा कर सकती है। इस खाते में से जो राशि एक वर्ष तक नहीं निकाली जाएगी, उस पर सरकार 25 प्रतिशत प्रोत्साहन राशि के रूप में खाते में जमा करेगी। यह प्रोत्साहन राशि अधिकतम 300 रूपये पर ही अनुमान्य होगी।
- जमाकर्ता इस राशि में से साल में दो बार धन की निकासी कर सकता है।

१९. लोक कल्याण एवं ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद्-

(Council for Advancement of Peoples Action and Rural Technology-CAPART) -

- इसका गठन 1 सितम्बर, 1986 में किया गया।
- इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।
- इसका मुख्य उद्देश्य ग्रामीण समृद्धि के लिये परियोजनाओं के कार्यान्वयन में स्वैच्छिक कार्य को प्रोत्साहन देना और उसमें सहायता देना है।
- इसके द्वारा जवाहर रोजगार योजना (JRY) समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम(IRDP), गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों के लाभार्थियों के संगठन, तथा ग्रामीण क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों के विकास आदि से संबंधित विभिन्न संगठनों को सहायता उपलब्ध कराई जाती हैं।
- भारत सरकार का ग्रामीण विकास मंत्रालय इसको आवश्यक विधियां उपलब्ध कराता है।

२०. ग्रामीण कारीगरों को सुधरे हुए औजारों की पूर्ति-

(Supply of Improved Toll kits to Rural Artisans-SITRA) -

- यह योजना केन्द्र द्वारा समर्पित योजना के रूप में 1992 में कुछ चुने हुए जिलों में लागू की गयी जिसे बाद में सम्पूर्ण देश में लागू किया गया।

- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण कारीगरों को आधुनिक औजार उपलब्ध कराना तथा इसके माध्यम से उनके उत्पादनों की गुणवता तथा उनकी आय में वृद्धि करना है।
- इस योजना की महत्वपूर्ण बातें निम्नलिखित हैं-
  1. इस कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण दस्तकारों को 2000 रूपये तक की लागत के औजार उपलब्ध कराये जाते हैं। इन औजारों की लागत का 10 प्रतिशत दस्तकार द्वारा तथा 90 प्रतिशत केन्द्र द्वारा अर्थ सहायता (सब्सिडी) के रूप में वहन किया जाता है।
  2. इस कार्यक्रम में बुनकरों, दर्जियों, काश्तकारों तथा बीडी मजदूरों को छोड़कर गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले सभी परम्परागत कारीगरों को शामिल किया गया है।
- 1 अप्रैल, 1999 से इस योजना का "स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना" में विलय कर दिया गया है।

२१. सांसद स्थानीय क्षेत्र विकास योजना-

(Member of Parliament Local Area Development Scheme-MPLADS)-

- यह योजना 1993 में आरंभ की गयी।
- इस योजना का उद्देश्य किसी योजना में सम्मिलित न हो पाने वाली विकास योजना पर अधिकतम 10 लाख रूपये तक व्यय करने का प्रावधान है।

- प्रत्येक सांसद अपने निर्वाचन क्षेत्र में प्रतिवर्ष 2 करोड़ रूपये तक के विभिन्न कार्यो को सम्पन्न कराने के लिये संबंधित जिलाधिकारी को अपनी संस्तुति दे सकता है । इस योजना के लिये कोई राशि अलग से आंवटित नही की जाती है तथा जिले में प्रचलित विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत ही सांसदो की संस्तुतियों को संभावित सीमा तक लागू किया जाता है।
- आरंभ में इस योजना का क्रियान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा किया जाता था। 1994 में यह कार्य कार्यान्वयन विभाग को सौंप दिया गया है।

२२. प्रधानमंत्री का समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम (PMIUPEP)-

- यह कार्यक्रम 19 नवम्बर, 1995 को केरल के कोट्टायम जिले में लागू किया गया।
- गरीबी उन्मूलन का यह कार्यक्रम 50,000 से 1,00,000 आबादी वाले देश के द्वितीय श्रेणी के सभी शहरों समूहों (URBAN AGGLOMERATIONS) में लागू किया गया ।
- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी बेरोजगारों को प्रशिक्षित करके स्वरोजगार के लिये प्रेरित करना था।
- 1 दिसम्बर, 1997 से इस कार्यक्रम के स्थान पर "स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना" (SJSRY) आरंभ की गयी है ।

२३. सामूहिक जीवन बीमा योजना-

(Group Life Insurance Scheme)-

- ग्रामीण क्षेत्रों के लिये यह योजना 1995-96 में आरंभ की गयी।
- इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों मे जीवन बीमा निगम के माध्यम से नई सामूहिक जीवन बीमा का कार्यान्वयन करना है।
- इस योजना के अन्तर्गत 40 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों के लिये 60 रूपये वार्षिक प्रीमियम तथा 40 से 50 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों के लिये 70 रूपये वार्षिक प्रीमियम के भुगतान पर 5.000 रूपये का जीवन सुरक्षा कवच उपलब्ध कराया जाता है।
- निर्धनता रेखा से नीचे रहने वाले व्यक्तियों को प्रीमियम की आधी राशि ही चुकानी होगी। प्रीमियम की शेष राशि केन्द्र व राज्यों द्वारा आधी-आधी वहन की जाती है।

२४. संगम कल्याण योजना-

- यह योजना 15 अगस्त, 1996 को आरंभ की गयी।
- इस योजना के अन्तर्गत, ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के समूह को 15.000 रूपये तक की सहायता प्रदान करने का प्रावधान है।

२९. राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम

(National Social Assistance Programme-NSAP) -

- इस कार्यक्रम की घोषणा 15 अगस्त, 1996 को की गयी।
- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत तीन योजनाएं चलायी जा रही है-

(1) राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना(National Old Age Pension Scheme-NOAPS) -

⇨ इस योजना के अन्तर्गत 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बेसहारा व्यक्तियों को 125 रूपये प्रतिमाह पेंशन देने का प्रावधान है

⇨ इसकी पात्रता की शर्ते निम्नलिखित है-

1. प्रार्थी की मासिक आय 225 रूपये से अधिक नहीं होनी चाहिय तथा भूमि 2.5 एकड से अधिक नहीं होनी चाहिए।
2. कोई बालिग पुत्र कमाऊ नही होना चाहिए।
3. पति या पत्नी में से केवल पत्नी को वरीयता क्रम में पेंशन स्वीकृत की जाती हैं।

⇨ वृद्धावस्था पेंशन स्वीकृति का अधिकार ग्राम पंचायत में निहित है।

(2) राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना(National Family Benefit Scheme) -

- ➪ इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले परिवार के मुख्य आय अर्जक की मृत्यु होने पर उसके मुख्य आश्रित को एकमुश्त सहायता देने का प्रावधान है।
- ➪ इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृतक की उम्र 18 वर्ष से 64 वर्ष के मध्य होनी चाहिए।
- ➪ इस योजना के अन्तर्गत सामान्य मृत्यु पर 5,000 रूपये तक व अकाल मृत्यु पर 10,000 रूपये तक सहायता का प्रावधान है।

(3) राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना (National Maternity Benefit Scheme)-

- ➪ इस योजना के अन्तर्गत गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली गर्भवती माताओं के प्रथम व द्वितीय 'जीवित' प्रसव पर 500 रूपये की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है।
- ➪ इस योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त करने के लिये लाभार्थी की आयु 19 वर्ष या इससे अधिक होनी चाहिये।

२६. गंगा कल्याण योजना (Ganga Kalyan Yojana)-

- यह योजना समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की सहायक योजना के रूप में 1 फरवरी, 1997 से आरम्भ की गई, किन्तु 1 अप्रैल, 1997 से इसे स्वतंत्र योजना का दर्जा दे दिया गया।
- इस योजना का उद्‌देश्य गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले छोटे व सीमान्त किसानो को भूमिगत जल एवं भूतल जल के लिये योजनायें आरम्भ करके सहायता प्रदान करना है।
- इस योजना में व्यय का 80 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और 20 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य द्वारा वहन किया जाता है।
- इस योजना के अनतर्गत आवंटित राशि का 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित है।
- 1 अप्रैल, 1999 से इस योजना का स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना में विलय कर दिया गया है।

२७. कस्तूरबा शिक्षा योजना-

- यह योजना 15 अगस्त, 1997 को लागू की गई।
- इस योजना के अन्तर्गत कम महिला साक्षरता वाले जिलो में बालिका विद्यालयों की स्थापना करने का प्रावधान है।

२८. <u>स्वर्ण जयंती आवास योजना</u>-

❖ यह योजना 15 अगस्त, 1997 को स्वतंत्रता की स्वर्ण जयंती के अवसर पर आरम्भ की गयी।

❖ इस योजना के अन्तर्गत 50,000 आवासों के निर्माण की योजना है।

❖ इस योजना के लिये व्यापारिक बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों तथा अन्य वित्तीय संस्थाओं से सहयोग लिया जाएगा।

२९. <u>बालिका कल्याण योजना</u>-

❖ यह योजना 15 अगस्त, 1997 को आरम्भ की गयी।

❖ इस योजना के अन्तर्गत भ्रूण की जाँच पर प्रतिबन्ध, गरीब परिवार में जन्म लेने वाले बालिकाओं के लिये आर्थिक सहायता तथा उनकी शिक्षा के लिये छात्रवृत्ति का प्रावधान है।

३०. <u>स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना</u> **(SJSRY)**-

❖ यह योजना 1 दिसम्बर, 1997 से लागू की गयी जिसमें पूर्व में चल रही तीन योजनाओं को सम्मिलित किया गया है। ये योजनाएँ है-

1. नेहरू रोजगार योजना,

2. गरीबों के लिये शहरी बुनियादी सेवायें,

3. प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी गरीबी उन्मूलन योजना।

❖ इस योजना के अन्तर्गत कुल व्यय का 75 प्रतिशत केन्द्र द्वारा और 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा।

❖ इस योजना के अन्तर्गत दो विशेष स्कीमें है-

1. शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम (Urban Self Employment Programme USEP)- इस कार्यक्रम के दो घटक हैं-

(क) लघु उद्यम और कौशल विकास के द्वारा स्वरोजगार,

(ख) शहरी क्षेत्रों में महिलाओं और बच्चों का विकास।

2. शहरी मजदूर रोजगार कार्यक्रम (Urban Wage Employment Programme-UWEP)- इस कार्यक्रम का उद्देश्य शहरी स्थानीय निकायों के अधिकार क्षेत्र में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लाभार्थियों को उनके श्रम का सामाजिक और आर्थिक रूप से उपयोगी सार्वजनिक सम्पत्ति के निर्माण में उपयोग करके मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराना है।

३१. अन्नपूर्णा योजना -

❖ इस योजना की घोषणा 1999-2000 के बजट में की गई। प्रधानमंत्री द्वारा गाजियाबाद जिले के सिखेड़ा गाँव में 19 मार्च, 1999 को इसका उद्घाटन किया गया तथा 1 अप्रैल 2000 से योजना पूर्ण रूप से प्रभावी हुई।

- यह योजना 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना है, जिसके अन्तर्गत उन वरिष्ठ नागरिकों, जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था स्कीम के तहत पेंशन प्राप्त करने के पात्र है लेकिन जिन्हें पेंशन नहीं मिल रही है, की आवश्यकता को पूरा करने के लिये खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराई जाती है।
- योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों को रियायती दर पर 2 रूपए प्रति किलो गेंहूँ तथा 3 रूपए प्रति किलो चावल उपलब्ध कराया जाता है।
- यह योजना 25 राज्यों तथा 5 संघ राज्य क्षेत्रों में चल रही है जिसके अन्तर्गत 6.08 लाख से अधिक परिवारों की पहचान की गई तथा इस योजना का लाभ उन्हें पहुँचाया जा रहा है।

३२. सर्वशिक्षा अभियान (Sarva Shiksha Abhiyan)-

- इसकी घोषण 2000-01 के बजट में की गई है।
- इसका उद्देश्य प्राथमिक शिक्षा का सर्वव्यापीकरण करके 2003 तक सभी छात्रों के लिये पंजीकरण की व्यवस्था करना है।

३३. पोषित वाटिका योजना –

- उत्तर प्रदेश सरकार की इस योजना का उद्देश्य फलों का उत्पादन तथा इनके निर्यात में वृद्धि करना है।

- इस योजना के अन्तर्गत 4.20 लाख परिवारों के प्रति परिवार 10 फलदार पौधों के हिसाब से 42 लाख पौधों का निःशुल्क वितरण किया जाएगा।
- इस योजना के लिये राज्य के प्रत्येक जनपद में 3-3 विकास खण्डों का चयन किया गया है।

३४. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना-

(Jawahar Gram Samridhi Yojana-JGSY) -

जवाहर रोजगार योजना का पुनर्गठन करते हुए जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के नाम से एक नई योजना 1 अप्रैल, 1999 से लागू की गई है।

इस योजना का प्राथमिक उद्देश्य माँग आधारित सामुदायिक ग्रामीण आधारिक परिसम्पत्तियों का सृजन है, जिसमें ग्राम स्तर पर स्थायी परिसम्पत्तियों के सृजन तथा ऐसी परिसम्पत्तियों के सृजन जिससे रोजगार के सतत अवसर प्राप्त हो सकें, को वरीयता दी गयी है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब बेरोजगारों के लियें पूरक रोजगार को भी योजना के उद्देश्य में सम्मिलित किया गया है।

इस योजना में समाज के कमजोर वर्गों के हितों की सुरक्षा के लिये निम्न प्रावधान किए गए है-

1. वार्षिक विनियोजन का 22.5 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति के लाभार्थ चलाए जा रहे कार्यक्रमों पर व्यय किया जाएगा।

2. इस योजना के अन्तर्गत चलाए जा रहे कार्यक्रम में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालों को रोजगार प्रदान किया जाएगा।

यह योजना केन्द्र द्वारा प्रवर्तित योजना के रूप में परिचालित की जाएगी जिसमें व्यय का 75 प्रतिशत भाग केन्द्र द्वारा और 25 प्रतिशत भाग राज्यों द्वारा वहन किया जाएगा। केन्द्र शासित राज्यों में इस योजना का सम्पूर्ण भार केन्द्र द्वारा वहन किया जाएगा।

यह योजना ग्राम पंचायतों द्वारा संचालित की जाएगी।

जहाँ पर चुनी हुई ग्राम पंचायत नहीं है वहाँ इनके हिस्से की राशि सम्बन्धित पंचायत समिति को सौंप दी जायेगी और येाजना को क्रियान्वित करने का भार भी पंचायत का होगा।

योजना के अन्तर्गत कोषों के विनियोजन में जनसंख्या को आधार बनाया गया है, जिसमें अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या को अधिक महत्व दिया गया है। सम्पूर्ण विनियोजन का 60 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति की जनसंख्या के अनुसार और 40 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति सहित सम्पूर्ण जनसंख्या के आधार पर दिया जाएगा।

कोषों को एक ग्राम पंचायत से दूसरी ग्राम पंचायत को अथवा एक जिले से दूसरे जिले को हस्तांतरित करने की अनुमति नहीं होगी।

ग्राम पंचायत धनराशि का 7.5 प्रतिशत या 75,000 रूपये में जो भी कम हो, तक प्रशासनिक/आकस्मिक मद में तथा तकनीकी परामर्श पर व्यय कर सकती है।

ग्राम पंचायतें धनराशि का 15 प्रतिशत तक इसकी भौगोलिक सीमा में स्थित सार्वजनिक परिसम्पतियों के रख-रखाव (अनुरक्षण) पर व्यय कर सकती है :-

1. अनुसूचित जाति/जनजाति के निवास स्थानों के लिए मूलभूत सुविधाएँ,
2. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के लिए आधारिक संरचना का विकास,
3. ग्राम पंचायत के अन्तर्गत कृषि कार्यो के लिए उपयोगी आधारिक संरचना का विकास,
4. शिक्षा, स्वास्थ्य तथा परिवहन के लिए सामुदायिक आधारिक संरचना का विकास,
5. अन्य सामाजिक, आर्थिक व भौतिक आधारिक संरचना का विकास।

इस योजना के अन्तर्गत श्रम प्रधान व कम लागत की तकनीकों को वरीयता दी जाएगी तथा मजदूरी व प्रयुक्त सामग्री में 60 : 40 का अनुपात रखा जाएगा, लेकिन आवश्यक होने पर इस अनुपात को प्रयुक्त सामग्री के पक्ष में शिथिल किया जा सकता है।

योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो में ठेकेदारों द्वारा कार्य कराने की अनुमति नहीं दी गयी है।

ग्रामीण आधारिक संरचना के विकास के लिये ग्रामीण समुदाय से श्रम व धन संबंधी दान लिया जा सकता है। इस कार्य के लिये ग्राम पचायतें, निश्चित नियमों के अन्तर्गत, कर द्वारा अतिरिक्त संसाधन भी एकत्रित कर सकती है।

ग्राम पंचायतें धर्मार्थ संस्थाओं/व्यक्तियों से कार्यक्रम के विस्तार अथवा परिसम्पत्तियों के स्थायित्व हेतु आवश्यक कोष के लिए दान ग्रहण कर सकती है।

३५. स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना-

(Swarnajayanti Gram Swarozgar yojana SGSY)-

देश में लागू स्वरोजगार योजनाओं की पुनसंरचना में उद्देश्य से 1 अप्रैल, 1999 को स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भ की गयी।

इस योजना के आरम्भ होने के साथ ही समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला एवं बाल विकास कार्यक्रम (TRYSEM), ग्रामीण क्षेत्रों के कारीगरों को सुधरे हुए औजारों की आपूर्ति (SITRA), गंगा कल्याण योजना (GKY), तथा दस लाख कुँआ योजना (MWS) को संमाप्त कर दिया गया है।

इस योजना का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु-उद्यमों की स्थापना करना तथा इसके माध्यम से ग्रामीण गरीबों की क्षमताओं में वृद्धि करना है।

योजना के अन्तर्गत सहायता प्राप्त परिवारों को तीन वर्ष में गरीबी की रेखा के ऊपर लाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

लघु-उद्योगों की स्थापना के लिए समूह अभिगम को अपनाया जाएगा।

चयनित मुख्य कार्य- क्षेत्रों के आधार पर मौजूदा आधारभूत ढाँचे का मूल्यांकन किया जाएगा और इनमें मौजूद कमियों को दूर करने के लिए जिला स्तर पर प्राप्त योजना राशि के 20 प्रतिशत तक व्यय का प्रावधान है। पूर्वोत्तर राज्यों के लिये यह सीमा 25 प्रतिशत निश्चित की गयी है। इस राशि को जिला ग्राम विकास अभिकरण के पास स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना आधारिक संरचना कोष के नाम से रखा जाएगा।

योजना के अन्तर्गत पांच वर्षो में प्रत्येक ब्लाक के कम से कम 30 प्रतिशत गरीब परिवारों की सहायता पहुँचाने का लक्ष्य रखा गया है।

योजना का केन्द्र- बिन्दु समूह अधिगम होगा। इसके अन्तर्गत गरीब परिवारों को स्वयं सहायता समूहों में संगठित में किया जाएगा तथा उनकी क्षमताओं में वृद्धि की जाएगी।

स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना साख व अर्थ सहायता की योजना है, जिसमें मुख्य भूमिका साख की होगी जबकि अर्थ-सहायता की भूमिका सहायक ही होगी। इसलिए इस योजना में बैंकों की विशिष्ट भूमिका होगी।

इस योजना के अन्तर्गत एक बार ही साख उपलब्ध कराने के स्थान पर बार-बार साख की आवश्यकताओं की पूर्ति पर बल दिया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रमों के द्वारा स्वरोजगारियों की निपुणता में वृद्धि पर बल दिया जाएगा। यह प्रशिक्षण चयनित कार्य क्षेत्र के आधार पर दिया जाएगा। इस कार्य के लिए जिला ग्राम्य विकास अभिकरण को कुल राशि का 10 प्रतिशत तक व्यय करने का अधिकार दिया गया है। इस राशि को स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना-प्रशिक्षण कोष के अन्तर्गत रखा जाएगा।

चयनित कार्य-क्षेत्रों में तकनीकी विकास सुनिश्चित किया जाएगा।

योजना के अन्तर्गत अर्थ-सहायता परियोजना लागत का 30 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा 7500 रूपये होगी। अनुसूचित जाति/जनजाति के लिए यह सीमाएं क्रमशः 50 प्रतिशत और 10,000 रूपये होगी। स्वरोजगारियों के समूह के लिये अर्थ-सहायता

परियोजना का 50 प्रतिशत होगी जिसकी अधिकतम सीमा 1.25 लाख रूपये होगी। सिंचाई परियोजनाओं के लिये अर्थ-सहायता की कोई मौद्रिक सीमा नहीं होगी।

इस योजना के अन्तर्गत कमजोर (संवेदनशील) वर्गो को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके अन्तर्गत स्वरोजगारियों में 50 प्रतिशत अनुसूचित जाति/जनजाति में से, 40 प्रतिशत विकलांगो में से शामिल किए जायेगें।

स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना को जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा पंचायत समितियों के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा।

इस योजना के अन्तर्गत कुल राशि का 15 प्रतिशत राष्ट्रीय स्तर पर महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिये अलग रखा जाएगा।

योजना के अन्तर्गत व्यय में केन्द्र राज्यों का हिस्सा क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत होगी।

३६. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (PMGY)-

ग्रामीण क्षेत्रों में लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के समय उद्देश्य सहित स्वास्थ्य, प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, आवास तथा ग्रामीण सड़कों जैसे पाँच महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ग्रामीण स्तर पर विकास करने पर ध्यान देने के उद्देश्य से यह योजना वर्ष 2000-01 में शुरू की गईं।

1. प्रधानमंत्री ग्राम सडक योजना **(PMGSY)**- वर्ष 2003 तक 1000 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या तथा वर्ष 2007 तक 500 व्यक्तियों से अधिक जनसंख्या सहित

सभी ग्रामीणवासियों को सभी मौसमों में अच्छी रहने वाली सड़कों के माध्यम से सड़क सम्पर्क सुविधा मुहैया कराने के उद्देश्य से यह योजना 25 दिसम्बर, 2000 को शुरू की गई।

2. <u>प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)</u>- ग्रामीण स्तर पर लोगों के स्थायी निवास को विकसित करने तथा ग्रामीण गरीबों की बढ़ती हुई आवास आवश्यकताओं को पूरा करने के उद्देश्य से यह योजना इन्दिरा आवास योजना के पैटर्न पर कार्यान्वित की जानी है।

3. <u>प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल परियोजना)</u>- इस कार्यक्रम के अन्तर्गत कुल आवंटन का कम से कम 25 प्रतिशत भाग सम्बन्धित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा मरू विकास कार्यक्रम/सूखा सम्भावित क्षेत्र कार्यक्रम के अन्तर्गत ऐसे क्षेत्रों के सम्बन्ध में जल संरक्षण, जल प्रबन्ध, जल भराई, तथा पेयजल संसाधनों को कायम रखने के लिये परियोजनाओं/योजनाओं के सम्बन्ध में उपयोग में लाया जाना है।

३७. <u>जन श्री बीमा योजना</u> —

इस योजना की घोषणा बजट 2000-01 में की गई थी जिसका आरम्भ प्रधानमंत्री द्वारा 10 अगस्त, 2000 को किया गया । यह सामूहिक बीमा की योजना है जिसका उद्देश्य समाज के गरीब वर्गों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत शहरी और ग्रामीण दोनों ही क्षेत्रों में 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के लोग 200 रूपए वार्षिक प्रीमियम

का भुगतान करके योजना का लाभ उठा सकतें है। गरीबी की रेखा के नीचे रहने वाले प्रीमियम की आधी राशि (50 प्रतिशत) का ही भुगतान करेंगे। योजना के अन्तर्गत लाभार्थी को स्वाभाविक मृत्यु या स्थायी विकलांगता पर 50,000 रूपए के बीमा कवच का प्रावधान है।

३८. अन्त्योदय अन्न योजना -

यह योजना प्रधानमंत्री द्वारा अपने जन्म दिन पर 25 दिसम्बर, 2000 को प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के साथ-साथ आरंभ की गई। इस योजना का उद्देश्य देश के निर्धनतम 1 करोड़ परिवारों को अन्न सुरक्षा उपलब्ध कराना है। इस योजना के अन्तर्गत निर्धनतम परिवारों को प्रतिमाह विशेष रियायती मूल्य पर 25 कि. ग्रा. अन्न उपलब्ध कराया जायेगा। इस योजना के अन्तर्गत जारी किए जाने वाले गेंहूँ व चावल का केन्द्रीय निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रूपए व 3 रूपए प्रति किलोग्राम होगा।

गरीबी रेखा के नीचे (BPL) तथा गरीबी रेखा के ऊपर (APL) के बाद सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अनतर्गत उपभोक्ताओं की यह तीसरी श्रेणी होगी।

३९. आश्रय बीमा योजना—

इस योजना की घोषणा 2001-02 के बजट में की गई है। इस योजना का उद्देश्य अर्थव्यवस्था में उदारीकरण की प्रक्रिया में संगठित श्रम श्रेत्र पर पड़ने वाले प्रभाव को देखते हुए एक सामूहिक बीमा योजना उपलब्ध कराना है जो प्रभावित श्रमिक वर्ग को सुरक्षा प्रदान

कर सके। इस योजना के अन्तर्गत नौकरी से अलग होने वाले श्रमिकों को उनके अन्तिम वेतन के 30 प्रतिशत के बराबर राशि का भुगतान एक वर्ष की अवधि तक किया जायेगा। आरम्भ में इस योजना में 10,000 रूपए प्रतिमाह तक वेतन पाने वाले कर्मचारियों को शामिल किया जायेगा। इस योजना को सरकार के स्वामित्व वाली चार साधारण बीमा कम्पनियों द्वारा 'न लाभ न हानि' आधार पर क्रियान्वित किया जाएगा । इस संबंध में प्रीमियम सहित अन्य सभी बातों की घोषणा जून, 2001 के अन्त तक की जाएगी।

४०. समग्र आवास योजना-

आश्रय, सफाई और पेयजल का समेंकित प्रावधान सुनिश्चित करने के उद्‌देश्य से प्रत्येक 24 राज्यों में एक खण्ड तथा संघ राज्य क्षेत्रों में एक खण्ड में प्रायोजित परियोजना के आधार पर वर्ष 1999-2000 में एक व्यापक आवास योजना के रूप में यह समग्र आवास योजना शुरू की गई है। इसका बुनियादी सिद्धान्त मौजूदा आवास, सफाई तथा जलापूर्ति योजनाओं को लोगों की भागीदारी से प्रौद्योगिकी अन्तरण, मानव संसाधन विकास और आस-पास सुधार पर विशेष जोर देते हुए एकीकृत करना है।

४१. काम के बदले अनाज कार्यक्रम -

आरम्भ में यह कार्यक्रम फरवरी, 2001 से 5 महीनों के लिये शुरू किया गया था और बाद में इसे बढ़ाया गया था। इस कार्यक्रम का उद्‌देश्य आठ राज्यों अर्थात् गुजरात,

छत्तीसगढ़, हिमाचल प्रदेश, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राजस्थान और उत्तरांचल में सूखा प्रभावित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार के माध्यम से खाद्य सुरक्षा को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत अतिरिक्त सहायता के रूप में केन्द्र प्रत्येक सूखाग्रस्त राज्य को मुफ्त खाद्यान्नों की उचित मात्रा उपलब्ध कराता है। राज्य सरकार द्वारा मजदूरी की अदायगी अंशतः वस्तु (प्रति कार्य दिवस के लिए 5 किलोग्राम खाद्यान्न तक) तथा अंशतः नकद के रूप में की जा सकती है। कामगारों को बकाया मजदूरी नकद में अदा की जाती है ताकि उन्हे अधिसूचित न्यूनतम मजदूरी प्राप्त हो। यह कार्यक्रम अधिसूचित "प्राकृतिक आपदा प्रभावित" जिलों के सम्बन्ध में 31 मार्च, 2002 तक बढ़ा दिया गया है।

४२. कृषि श्रमिक सामाजिक सुरक्षा योजना —

यह योजना जुलाई, 2001 में 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग में खेतिहर व किराए पर मजदूरों को सामाजिक सुरक्षा लाभ देने के लिए शुरू की गई थी।

४३. शिक्षा सहयोग योजना—

इस योजना को अंतिम रूप दे दिया गया है जो गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे माता-पिता को अपने बच्चों को 9वीं से 12वीं कक्षा की शिक्षा प्रदान करने के लिये 100 रूपए प्रति माह शैक्षणिक भत्ता उपलब्ध कराएगी।

४४. सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना (SGRY)-

यह योजना स्थिर सामुदायिक, सामाजिक तथा आर्थिक परिसम्पत्तियों के सृजन सहित ग्रामीण क्षेत्रों में मजदूरी रोजगार तथा खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने के उद्‌देश्य से सितम्बर, 2001 में शुरू की गई। यह योजना केन्द्र और राज्यों के बीच 75 : 25 के लागत बँटवारे के अनुपात के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। वर्तमान में चल रही रोजगार आश्वासन योजना और जवाहर ग्राम समृद्धि योजना को बाद में पूर्णतः इस योजना के अन्तर्गत 1 अप्रैल, 2002 से समेकित किया जायेगा।

४५. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना-

- साधारण बीमा निगम (GIC) द्वारा प्रायोजित इस योजना की घोषणा जून 1999 में की गई तथा रबी की फसल अर्थात अक्टूबर 1999 से लागू किया गया।
- यह योजना सम्पूर्ण देश में लागू की जायेगी। इस योजना का उद्‌देश्य प्राकृतिक व स्थानीय आपदाओं के समय गरीब किसानों को बीमा सुरक्षा प्रदान कराना है। यूँ तो यह योजना सभी किसानो के लिए है परन्तु सीमांत एवं गरीब कृषकों पर इसे विशेष प्रभावी बनाया गया है।
- इस योजना के अन्तर्गत तूफान, ओला, चक्रवात, बाढ, भूस्खलन, सूखा, रोगों आदि की स्थिति में कृषकों को बीमा का लाभ मिलेगा।
- राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की प्रीमियम दरें है-

1. बाजरा व तिलहन-बीमित राशि का 3.5 प्रतिशत

2. खरीफ फसल (शेष फसलें) - बीमित राशि का 2.5 प्रतिशत

3. गेहूं (रबी फसल)- बीमित राशि का 1.5 प्रतिशत

4. शेष रबी फसलें - बीमित राशि का 2.6 प्रतिशत

- इस योजना के अन्तर्गत लघु व सीमांत किसानों को फसल बीमा के प्रीमियम का 50 प्रतिशत अनुदान के रूप में दिया जाएगा जिसमें केन्द्र व राज्यों का हिस्सा 50 : 00 होगा। अनुदान का प्रावधान केवल 5 वर्ष के लिए है।
- इस योजना में गन्ना आलू तथा कपास को सम्मिलित किया गया है। बागवानी फसलों सहित अन्य फसलों को भी इस योजना के अन्तर्गत लाने की योजना है।

४६. ऋण सम्बद्ध पूंजी सब्सिडी योजना–

इस योजना का प्रस्ताव 1999-2000 में किया गया है। इसका क्रियान्वयन (NaBARDA) हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जाएगी।

४७. कुटीर ज्योति कार्यक्रम-

यह कार्यक्रम 1988-89 में भारत सरकार द्वारा प्रारंभ किया गया। इस कार्यक्रम का लक्ष्य हरिजन और आदिवासी परिवारों सहित गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले ग्रामीण परिवारों के जीवन स्तर में सुधार करना था। इसके अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनता रेखा से

पीछे जीवनयापन करने वाले परिवारों को एक बत्ती विद्युत कनेक्शन उपलब्ध कराने के लिए 400 रूपए की सरकारी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत मार्च 2001 तक 25.63 लाख कनेक्शन जारी किए गए।

४८. शहरी बेरोजगारी एवं गरीबी निवारण कार्यक्रम –

शहरी क्षेत्रों में विद्यमान बेरोजगारी को दो श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है-

(1) औद्योगिक श्रमिकों में बेरोजगारी तथा

(2) शिक्षित वर्ग में बेरोजगारी।

शहरीकरण के विस्तार के साथ ग्रामीण शहरी क्षेत्रों में आते जा रहे हैं। जिस समय गाँवो में कृषि कार्य नहीं होता, उस समय के लिए भारी संख्या में कृषि श्रमिक काम की तलाश में नगरों में आ जाते है। मुख्य बात यह है कि जिस दर से औद्योगिक श्रमिकों की संख्या में वृद्धि हुई है, उस अनुपात में औद्योगिक इकाईयों की संख्या में वृद्धि नहीं हुई है। शहरी बेरोजगारी का दूसरा रूप शिक्षित वर्ग में देखने को मिलता है। शिक्षा के प्रसार के साथ ही शिक्षित बेरोजगारों की संख्या में तेजी से वृद्धि हुई है।

कुछ महत्वपूर्ण शहरी रोजगार एवं विकास कार्यक्रमों का वर्णन निम्नलिखित प्रकार से किया जा सकता है-

(क) लघु एवं मध्यम कस्बों के समन्वित विकास का कार्यक्रम

(Scheme for Integrated Development of Small and Medium Towns-IDSMT)-

ग्रामीण क्षेत्रों से शहरो की ओर जनसंख्या का पलायन (Migration) रोकने, लघु एवं मध्यम कस्बों में रोजगार सुविधाओं का सृजन करने तथा इन कस्बों में अवस्थापना सम्बन्धी पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान केन्द्र प्रायोजित कार्यक्रम के रूप में यह कार्यक्रम (IDSMT) वर्ष 1979-80 में देश के समस्त राज्यों में प्रारम्भ किया गया। इस कार्यक्रम को सातवीं तथा आठवीं पंचवर्षीय योजनाओं में भी जारी रखा गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना में इसके विकास के लिए 155 करोड़ रूपए आवंटित किए गए। वित्तीय वर्ष 1997-98 के दौरान इस कार्यक्रम पर 35 करोड़ रूपए व्यय किए जाने थे, किन्तु वित्त मन्त्रालय ने इसे घटाकर 26.02 करोड़ रूपए कर दिया। 31 मार्च, 1998 तक इस कार्यक्रम के तहत 920 शहरों को सम्मिलित किया जा चुका था। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत यातायात एवं परिवहन, बाजार एवं मंण्डियों के विकास, पर्यटन सुविधाओं, पार्क तथा खेल के मैदान, बूचड-खानों (Slaughter Houses) का निर्माण, मार्गो में प्रकाश, पानी की निकासी हेतु नालियों का निर्माण आदि से सम्बन्धित कार्यो के लिए आर्थिक सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित किए जाने के लिए कस्बे की जनसंख्या की अधिकतम सीमा को 1991 की जनगणना के आधार पर 3 लाख से बढ़ाकर 5 लाख कर दिया गया है।

यह कार्यक्रम उन कस्बों में लागू नहीं किया गया है जो प्रधानमंत्री की समन्वित शहरी निर्धनता निवारण कार्यक्रम के अन्तर्गत आते है। अर्थात् वे कस्बे जिनकी जनसंख्या 50 हजार से 1 लाख के मध्य है।

इस कार्यक्रम के लिए केन्द्रीय सहायता राशि की सीमा को 60 प्रतिशत कर दिया गया है।

नौवीं योजना (1997-2002) के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 300 करोड़ रूपए व्यय करने का प्रावधान है तथा 400 कस्बों को सम्मिलित करने का लक्ष्य है। वर्ष 1997-98 के दौरान केवल 16 कस्बों को इसके अन्तर्गत लाया जा सका है। 1998-99 के लिए 35 करोड़ रूपए व्यय करके 35 नए कस्बों को इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलित करने का लक्ष्य रखा गया है।

(ख) मेगा शहरों में आधारिक विकास का कार्यक्रम

(Scheme of Infrastructural Development in mega cities)-

मेगा शहरो में आधारिक विकास का केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक नया कार्यक्रम 1993-94 से प्रारम्भ किया गया है। इस कार्यक्रम को राज्यों सरकारों की इस माँग के आधार

पर प्रारम्भ किया गया है कि बड़े शहरों की समस्या अन्य स्थानों से व्यक्तियों के प्रवास के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है।

शहरी विकास मंत्रालय द्वारा प्रशासित यह कार्यक्रम मुम्बई, कलकत्ता, चेन्नई, बंगलौर तथा हैदराबाद में लागू किया गया है।

इस कार्यक्रम पर 25 प्रतिशत व्यय केन्द्र सरकार द्वारा 25 प्रतिशत सम्बन्धित राज्य सरकार द्वारा तथा शेष 50 प्रतिशत संस्थागत वित्त अथवा पूँजी बाजार द्वारा पूरा किया जाता है।

वित्तीय संस्थाओं द्वारा जल-आपूर्ति, सीवरेज, नालियाँ, शहरी यातायात, भूमि विकास, मलिन बस्तियों के सुधार आदि के लिए परियोजनाबद्ध वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाती है किन्तु स्वास्थ्य, शिक्षा तथा विद्युत जैसे क्षेत्रों को वित्तीय सहायता उपलब्ध नहीं कराई जाती। 8वीं योजना के दौरान इस कार्यक्रम के तहत 700 करोड़ रूपए आवंटित किए गए थे।

(ग) शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार प्रदान करने की योजना

(Self-Employment to the Educated Unemployed Youth-SEEUY) -

शिक्षित बेरोजगार युवकों को स्वरोजगार योजना (SEEUY) भारत सरकार द्वारा 1983-84 के दौरान लागू की गई थी। इस योजना के अन्तर्गत ऐसे मैट्रिक पास या उससे अधिक शिक्षा प्राप्त शिक्षित बेरोजगार युवक जिनकी आयु सीमा 18 से 35 वर्षों के बीच थी

तथा जिनकी पारिवारिक वार्षिक आय 10,000 रूपए से कम थी, केन्द्र सरकार द्वारा दिए जाने वाली 25 प्रतिशत पूँजी सब्सिडी सहित ऋण प्राप्त करने के पात्र थे।

योजना के अन्तर्गत औद्योगिक उद्यमों के वास्ते पात्र उद्यमियों के लिए अधिकतम 35,000 रूपए का मिश्रित ऋण दिया जाता था। व्यावसायिक और सेवा उद्यमों के लिए उच्चतम राशि क्रमशः 25,000 रूपए और 15,000 रूपए निर्धारित की गई थी। स्वीकृत की जाने वाली ऋण की राशि का कम-से-कम 30 प्रतिशत भाग अनुसूचित जाति/जनजाति के हिताधिकारियों के लिए आरक्षित किया गया था।

1 अप्रैल, 1994 से इस योजना को प्रधानमंत्री की रोजगार योजना के अन्तर्गत विलय कर दिया गया है।

(घ) <u>शहरी गरीबों के लिए स्वरोजगार कार्यक्रम</u>

(Self-Employment Programme for the Urban Poor-SEPUP)-

भारत सरकार ने यह कार्यक्रम वर्ष सितम्बर 1986 में शुरू किया था। जिसका उद्‌देश्य महानगरीय, शहरी तथा अर्ध शहरी क्षेत्रों में जीवन निर्वाह स्तर के नीचे रहने वाले परिवारों को सब्सिडी और बैंक ऋण की सहायता से स्वरोजगार प्रदान करके प्रोत्साहित करना था।

इस योजना के अन्तर्गत किसी भी उपयुक्त कार्यकलाप/व्यवसाय को करने के वास्ते एक पात्र हिताधिकारी को इकाई की लागत के अनुसार 5,000 रूपए तक की वित्तीय सहायता

देय थी। ऋणों पर प्रति वर्ष 10 प्रतिशत ब्याज देय था। जोकि 3 मास की अनुग्रह अवधि के बाद 33 समान मासिक किस्तों में वापस अदा करना होता था। ऋणकर्ता सहायता राशि के 25 प्रतिशत पर पूँजीगत सब्सिडी पाने के भी हकदार थे। आवेदनकर्ता को समन्वित ग्रामीण विकास क्षेत्रों के अलावा किसी शहर/नगर या अन्य क्षेत्रों का निवासी होना चाहिए तथा कम से कम 3 वर्षो से निरन्तर वहाँ का निवासी होना चाहिए। आवेदनकर्ता की पारिवारिक आय 600 रूपए प्रति माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत, अनुसूचित जाति/जनजाति से सम्बन्धित हिताधिकारियों का हिस्सा संख्या और धनराशि दोनों के अनुसार 30 प्रतिशत होता था।

यह कार्यक्रम 1991-92 तक जारी रहा, किन्तु 1992-93 से इसे नेहरू रोजगार योजना के अन्तर्गत शहरी सूक्ष्म उद्यम स्कीम में मिला दिया गया था।

४e. मलिन बस्ती आवास परियोजना -

- योजना का पूरा नाम बाल्मीकि अम्बेदकर मलिन बस्ती आवास योजना (VAMBAY)।
- घोषणा 15 अगस्त, 2001 को प्रधानमंत्री द्वारा।
- कैबिनेट की स्वीकृति 23 अक्टूबर, 2001 को।

- उद्देश्य वर्ष 2010 तक शहरी निर्धनों, मुख्यतया अनुसूचित जाति, जनजाति, पिछड़े वर्गों एवं अन्य कमजोर वर्गों के लोगो को वहन-योग्य (Affordable) मूल्य पर आवास उपलबध कराना।
- (1) गरीबी रेखा के नीचे निवास करने वाले लाभार्थियों को 50 प्रतिशत धनराशि अनुदान (Subsidy) के रूप में तथा शेष 50 प्रतिशत 15 वर्षीय ऋण के रूप में उपलब्ध करायी जायेगी।

  (2) प्रतिवर्ष 4 लाख पक्के मकान योजना के तहत निर्मित किये जायेंगें।

<u>विजन</u> : <u>2020 फॉर इण्डिया</u> - देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों की स्थिति में सुधान लाने की दृष्टि से केन्द्र द्वारा एक महत्वाकांक्षी नीतिगत दस्तावेज तैयार किया जा रहा है। जिसे 'विजन : 2020 फॉर इण्डिया' नाम दिया गया है। इसका उद्देश्य विभिन्न कार्यक्रमों और योजनाओं के माध्यम से 'गरीबी की रेखा के नीचे' के कलंक को समाज से समाप्त करना है। इसके लिये शहरी विकास एवं गरीबी उन्मूलन मंत्रालय द्वारा योजना आयोग के सदस्य डॉ0 एस0 पी0 गुप्ता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया है, जो अगले 20 वर्षो के लिये नई परियोजनाओं व कार्यक्रमो के बारे में सुझाव देगा।

अध्याय- तृतीय

सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था

अध्याय तृतीय

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था-

समाज के कमजोर एवं गरीब वर्गो के उत्थान के लिए धन की आवश्यकता होती है। भारतवर्ष में इस धन की व्यवस्था सरकार को स्वयं करनी पड़ती है। जिसे वह विभिन्न योजनाओं के माध्यम से खर्च करती है। देश की कुल आबादी का 36 प्रतिशत हिस्सा[1] अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहा है और सरकार का यह प्रयास है कि इस प्रतिशत को न्यूनतम स्तर तक ले जाया जाए।

कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई विभिन्न रोजगार, आवास, चिकित्सासंबंधी व अन्य योजनाओं व कार्यक्रमो हेतु धन की व्यवस्था एक निश्चित तंत्र के अन्तर्गत की जाती है। यह तंत्र केन्द्र सरकार विकसित करती है और राज्य सरकारों को उसमें भागीदार बनाती है। इस तंत्र में कितना धन रखा जाए इसका आकलन करने के लिए विशेषज्ञो की मदद ली जाती है और आवश्यक धनराशि का प्रावधान वार्षिक बजटों में किया जाता है। इन बजटों में कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई योजना हेतु धन की व्यवस्था आंतरिक व वाह्य स्रोतों से की जाती है।

स्रोत:- 1 भारतीय अर्थव्यवस्था, अरूणेश सिंह, 2002

आंतरिक स्रोतों में कर के माध्यम से जमा राशि का एक हिस्सा, विभिन्न व्यावसायिक व वाणिज्यिक बैंकों से ऋण तथा कुछ बाण्ड इत्यादि के निर्गमन को शामिल किया जाता है। अल्प-विकसित देशों के विषय में अक्सर यह तर्क दिया जाता है कि इन देशों में प्रति व्यक्ति आय का स्तर नीचा होता है और इसलिए इन स्रोतों से सरकार को विशेष धनराशि नहीं उपलब्ध हो पाती है। इन देशों में जनसाधारण की करदेय क्षमता बहुत कम है। इनकी स्वैच्छिक बचतें बहुत कम होती है तथा आय और संपत्ति के वितरण में भारी असमानताएं हैं। गांवो में जमींदार वर्ग और बड़े किसानो के पास करदेय क्षमता के होते हुए भी इन पर नाममात्र का कराधान है। इन वर्गों में आने वाले लोग अपने आर्थिक आधिक्य का उपयोग न तो स्वयं विकास कार्यों के लिए करते हैं न ही सरकार योजनाओं में निवेश के लिए इसे एकत्रित कर पाती है। अधिकांश अल्प-विकसित देशों की सरकारें अपनी विकास योजनाओं के लिए आन्तरिक स्रोतों से पर्याप्त मात्रा में वित्तीय साधन जुटा पाने में असमर्थ रहती हैं, अतः वे वित्त के इस आभाव को पूरा करने के लिए वाह्य स्रोतों पर अपना ध्यान केन्द्रित करती है तथा अनेक साधनों से धन का एकत्रण करती है। वाह्य स्रोतों में विदेशी सहायता एवं अनुदान, विदेशों से ऋण, अन्य विदेशी एजेंसियों से प्रत्यक्ष ऋण इत्यादि को शामिल किया जाता है।

किसी भी योजना की सफलता के लिए यह आवश्यक है कि उसके लक्ष्यों और वित्तीय साधनों के बीच तालमेल हो। लक्ष्य जितने ऊँचे निर्धारित किए जाते हैं, उनके लिए

उतनी ही बड़ी मात्रा में साधनों की आवश्यकता होती है। वित्तीय साधनों के अभाव में ऊँचे लक्ष्य निर्धारित करने का कोई लाभ नहीं होता क्योंकि उन्हे पूंजी की कमी के कारण पूरा कर पाना संभव नहीं होता। विकास की दृष्टि से वित्तीय साधनों की मात्रा के अलावा वित्त के स्रोत का भी बहुत महत्व है। जहाँ तक संभव हो किसी भी विकासशील देश को अपने घरेलू साधनों को ध्यान में रखकर ही विकास योजना तैयार करनी चाहिए। इससे आरंभ में विकास की दर नीची रहेगी, लेकिन कुछ समय बाद जब देश में प्रति व्यक्ति आय का स्तर ऊँचा उठ जायेगा तो पूंजी निर्माण बड़े पैमाने पर संभव होगा और विकास की गति को तेज किया जा सकेगा।

कमजोर वर्गों से संबंधित योजनाओं के वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचे को निम्नलिखित चार्ट से और अधिक समझा जा सकता है-

चार्ट - 1
योजनाओं की वित्तीय व्यवस्था

उपर्युक्त चार्ट से यह स्पष्ट है कि कमजोर वर्गो संबंधी योजनाओं का वित्तिय एवं प्रशासनिक ढांचा रेखीय है अर्थात एक सीधी रेखा में काम

करता है। भारतीय लोकतंत्र में केन्द्र सरकार सर्वोच्च,सर्वशक्तिमान व सर्वसाधन संपंन होती है। राज्य सरकारें उसके अधीनस्थ कार्य करती है। राज्य सरकारों के अन्र्तगत प्रत्येक जिले का एक मुखिया होता है जो जिलाधिकारी के नाम से जाना जाता है। यही एक जिलाधिकारी पूरे जिले में हो रही गतिविधियों का नियंत्रण व नियामक होता है। अतः राज्य सरकारें केन्द्र सरकार से प्राप्त धन को जिलों की प्राथमिकता के अधार पर आगे बढ़ाती है। जिलाधिकारी अपने जिले की प्राथमिकता के आधार पर विकास खंडो का चयन करता है और राज्य सरकारों से प्राप्त धन को वरीयता के आधार पर खर्च करता है। विकास खंड गाँवों के समूह को कहते हैं और प्रत्येक गांव में एक ग्राम पंचायत होती है जिसका मुखिया ग्रामप्रधान होता है। ग्रामप्रधान अपने क्षेत्र में विद्यमान कमजोर वर्गों के उत्थान के लिए विकास खंड अधिकारी से धन प्राप्त करता है।

पंचवर्षीय योजना की निर्धारक एवं संचालक केन्द्र सरकार होती है अतः कमजोर वर्गो के उत्थान के लिए बनाई गई योजनाओं के समुचित क्रियान्वयन एवं वित्तीय व्यवस्था की सर्वोच्च जिम्मेदारी उसी की होती है। जहाँ तक वित्त की व्यवस्था का प्रश्न है उसे तो केन्द्र सरकार आंतरिक व बाह्य स्रोतों से एकत्र कर ही लेती है परन्तु केन्द्र सरकार स्वयं इस धन को नहीं खर्च करती है वरन् राज्य सरकारों के माध्यम से खर्च करती है, अतः वित्तीय व्यवस्था अत्यधिक जटिल तथा इसकी प्रशासनिक व्यवस्था अधिक खर्चिली हो जाती है। क्योंकि राज्य सरकारें केन्द्र सरकार की एक एजेंसी का काम करती है अतः योजनाओं के सफलता की उनकी स्वयं की कोई विशेष जिम्मेदारी नहीं रह

जाती है। उदाहरणार्थ आवास संबंधी योजना जिनमें प्रमुख रूप से इंदिरा आवास योजना है के समस्त खर्चों का बोझ एवं इनकी सफलता की जिम्मेदारी केन्द्र सरकार पर है । यहाँ राज्य सरकारें केन्द्र सरकार को मात्र यह सूचना देती है कि उस प्रदेश में कमजोर वर्गो की संख्या तथा उनकी स्थिति का दृश्य इस प्रकार है। अब केन्द्र सरकार इन योजनाओं हेतु उपलब्ध धन का विभिन्न राज्यों के लिए अनेक मानदण्डों के आधार पर वितरण करती है।

राज्य सरकारें उन जिलों का चयन करती है जहाँ इन वर्गों की बहुतायत संख्या है और संबंधित जिलाधिकारियों के पास एक निश्चित धनराशि भेजकर विकास योजनाओं को उनके कार्यक्षेत्र तक पहुँचाया जाता है, जहाँ जिलाधिकारी प्राप्त धन को योजनाओं पर खर्च करता है। जिलाधिकारी ही वित्तीय एवं प्रशासनिक ढांचे का वह महत्वपूर्ण अंग होता है जहाँ से योजना का क्रियान्वयन प्रारम्भ होता है। जिलाधिकारी अपने जिले में विद्यमान विकास खण्डों को प्राथमिकता के क्रम में रखकर कमजोर वर्गो हेतु आबंटित धन की गति को आगे बढ़ाता है। क्रियान्वयन की समग्र जिम्मेदारी जिलाधिकारी पर ही होती है।

विकास खण्ड अधिकारी योजनाओं का वास्तविक क्रियान्वयन करता है। यहीं से ही योजनाएं अपने गंतव्य तक पहुँचती हैं। खण्ड विकास अधिकारी अपने क्षेत्र में पडने वाले गावों की उनकी प्राथमिकता के आधार पर एक सूची बनाता है। उस सूची में गांवो की कमजोर वर्गों की संख्या के आधार पर वरीयता सूची बनाई जाती

है। इस सूची के आधार पर कमजोर वर्गों के सहायतार्थ ग्रामप्रधानों के माध्यम से योजना के क्रियान्वयन को अंतिम रूप दिया जाता है।

उपर्युक्त व्याख्या से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि केन्द्र सरकार से लेकर ग्राम पंचायत तक कमजोर वर्गों हेतु बनी योजनाएं एक निश्चित व्यवस्था से होकर गुजरती हैं और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। यहाँ इस तथ्य की चर्चा भी प्रासांगिक होगी कि इस ढाँचे के विभिन्न अंगो के बीच में क्या संबंध है। इस बात को निम्नलिखित चार्ट से समझा जा सकता है-

चार्ट - 2

योजना की विभिन्न इकाईयों के बीच सम्बन्ध

उपर्युक्त चित्र प्रदर्शित करता है कि कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं के निर्धारक एवं क्रियान्वयनकर्ता एक दूसरे पर परस्पर निर्भर है। जैसे केन्द्र सरकार योजनाओं को बनाती है परंतु इन योजनाओं को अंतिम रूप देने से पहले राज्य सरकारों से सूचनाएं, सलाह व सुझाव आमंत्रित किए जाते है। इस स्थिति में केन्द्र सरकार राज्य सरकार के लिए जहाँ एक ओर निर्देशक का कार्य करती है वहीं दूसरी ओर राज्य सरकार, केन्द्र सरकार के लिए सलाहकार का कार्य करती है। संविधान के अनुच्छेद 15(4) में राज्यों को, कमजोर वर्गों के लोगों के उत्थान के लिए विशेष उपाय करने का अधिकार प्रदान किया गया है[2]। राज्य सरकार इन उपायों की विस्तृत जानकारी केन्द्र सरकार को देती है जिसके आधार पर योजनाओं का निर्माण अथवा समयानुरूप संशोधन होता है। राज्य सरकार द्वारा प्रेषित रिपोर्ट के आधार पर ही केन्द्र सरकार धन का आवंटन करती है। इस प्रकार प्रशासकीय दृष्टि से केन्द्र और राज्यो के बीच एक ऐसा अन्तर-गुम्फित जाल है कि राजकीय प्रशासन केन्द्र पर निर्भर हुए बिना सरलता से नहीं चल सकता। केन्द्रीय प्रशासन् ने जाने-अनजाने राजकीय प्रशासनों का नेतृत्व छीनकर समन्वय के नाम उन्हे नियन्त्रित करना आरम्भ कर दिया हैं। विकास प्रशासन इन संबन्धो को और भी अधिक जटिल एवं केन्द्र प्रधान बनाता जा रहा हैं। संविधान में यद्यपि प्रत्यक्ष एवं स्पष्ट रूप से यह नहीं चाहा गया था कि प्रशासनिक स्तर पर इन संबंधों का यह स्वरूप बने, किन्तु जैसे-जैसे संघ शासन का आकार फैला तथा उसके पास योजनाओं के नाम पर अधिक धन-राशि आयी वैसे-वैसे ही यह प्रशासनिक हस्तक्षेप और नियन्त्रण

स्रोत:- 2 भारतीय लोक प्रकाशन, डा. बी. एल. फाडिया, पृ. सं. 17, 18

धीरे-धीरे कड़ा होता चला गया। केन्द्र सारे देश की अर्थव्यवस्था का जिम्मेदार होने के नाते, संघीय अर्थ-व्यवस्था को राष्ट्रीय अर्थ-व्यवस्था समझने लगा है, जिसके फलस्वरूप राजकीय प्रशासन केन्द्र प्रशासन की इकाइयां से बनते दिखाई देते हैं। ऋण और उधार के क्षेत्र में भी यही दशा है और केन्द्र धीरे-धीरे अनुदान के नाम पर राज्य प्रशासनों की नीति और उसके क्रियान्वयन तक पर नियन्त्रण करने लगा है। इस प्रकार, राज्य प्रशासन केन्द्र का मुखापेक्षी बनकर रह गया है। योजना जब किसी राज्य को दी जाती है, तो चाहे वह पूरी तरह केन्द्र द्वारा चलायी गई हो अथवा समान सहायता के आधार पर राज्य ने आरम्भ की हो, दोनो ही स्थितियों में राज्य प्रशासन केन्द्र से यह आशा करता है कि वह उसकी सफलता की जिम्मेदारी ले। केन्द्र के अनुदान यदि समय पर नहीं मिलते तो किसी राज्य की योजना का क्रियान्वयन कभी भी ठप्प हो सकता है और ऐसी स्थिति में राज्यों के पास कोई चारा नही है कि सिवाय इसके कि वे केन्द्र से अपनी वार्षिक प्रार्थनायें और याचनायें करते रहें।

यह एक आश्चर्य की बात है कि भारत वर्ष में केन्द्रीय सरकार केन्द्रीय सूची की अपेक्षा राजकीय सूची पर अधिक धनराशि खर्च करती है। जिस विषय को राज्यों को चलाने चाहिए वे राज्यों में इसलिए चल रहे हैं कि केन्द्र ने उनका वित्तीय पक्ष संभाल रखा है। राज्य अपने आर्थिक निर्णयों को अपने राजनितिक ढंग से प्रस्तुत करते है और इस तरह राज्यों की राजनीति केन्द्र पर निर्भर होती हुई अपनी स्वायत्तता खो रही है।

स्वतन्त्रता के बाद कलेक्टर के विकास कार्य महत्त्वपूर्ण बने हैं। सामुदायिक विकास योजनाओं के परिणामस्वरूप हो सका है। इस सम्बन्ध में वह जिले के विकास कार्यक्रमों का पर्यवेक्षण करता है तथा सरकार की ओर से मुख्य समन्वयकर्ता के रूप में कार्य करता है। कलेक्टर से विकास कार्य के सम्बन्ध में सामाजिक एवं तात्कालिक प्रतिवेदन प्राप्त किये जाते हैं। विकास तथा समाज कल्याण विभाग के सभी जिला अध्यक्ष कलेक्टर से निर्देशन एवं सहायता प्राप्त करते हैं। किसी महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम को अन्तिम रूप से स्वीकार करने के पूर्व कलेक्टर से परामर्श लिया जाता है।

कलेक्टर पंचायती राज के अन्तर्गत प्रजातन्त्रात्मक विकेन्द्रीकरण के सफल संचालन के लिये उत्तरदायी है। पंचायती राज संस्थाओं में कलेक्टर का महत्त्वपूर्ण योगदान रहता हैं। वह जिला परिषद् का प्रमुख सदस्य होता है। सरकार के प्रतिनिधि के रूप में उसकी यह जिम्मेदारी है कि वह यह देखे कि पंचायत समितियाँ, जिला परिषदें और ग्राम पंचायतें सभी ठीक प्रकार से गठित की जाँय। वह इन सबके काम में सम्बन्ध स्थापित कर यह प्रयत्न करता कि जिले की योजनाएँ पूर्व योजना के ढाँचे के भीतर तैयार की जाँय। वह यह भी देखता है कि विकास से सम्बन्धित संस्थाएँ निर्धारित कार्यों से इधर-उधर न हो। पंचायत समितियों के कार्य तथा प्रगति का मूल्यांकन करने के लिए वह प्रति-वर्ष निरीक्षण करता है। राजस्थान में पंचायत समिति एवं जिला परिषद् अधिनियम 1959 के भाग 59 तथा 69 में जिला विकास अधिकारी की शक्तियों एवं कार्यों का उल्लेख किया गया है। विकास के क्षेत्र में उसके कार्य इस प्रकार है।

1. कलेक्टर का यह दायित्व है कि वह विभिन्न कार्यक्रमों की क्रियान्विति में प्राप्त की गयी सफलता तथा विभिन्न प्रस्तावों और निर्णयों में की गयी प्रगति की देख-रेख करे।
2. कलेक्टर यह भी देखता है कि पंचायत समितियाँ अपने धन का सही कार्यों में उपयोग करती हैं तथा प्रस्थापित नीति के अनुसार ही कार्य करती हैं।
3. विकास अधिकारी के रूप में कलेक्टर को यह भी देखना होता है कि प्रसार अधिकारियों को राज्य सरकार के विभिन्न विभागों से वांछनीय तकनीकी सहायता प्राप्त हुई अथवा नहीं।
4. कलेक्टर राज्य सरकारों को इस सम्बन्ध में प्रतिवेदन देता है कि योजनाओं में जो प्राथमिकताएँ निश्चित की गयी हैं, उनका पालन किया जा रहा है अथवा नहीं।

स्पष्ट है कि कलेक्टर का विकास कार्यों में महत्वपूर्ण स्थान है। जिला स्तर पर सामुदायिक विकास कार्यों में समन्वय तथा सहयोग स्थापित करने के लिए योजनाओं के निर्माण एवं उनकी उचित रूप से क्रियान्विति के लिए कलेक्टर ही जिम्मेदार हैं। जिला परिषद् का अध्यक्ष न होते हुए भी तथा वोट देने का अधिकारी होने पर भी उसके विचारों को प्रधानता दी जाती है तथा उसके अपने विचार नीति निर्णयों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालते हैं। विकास कार्यों में आने वाली बाधाओं के निराकरण के प्रयास भी कलेक्टर करता है। इससे उसके पद की महत्ता और भी बढ़ जाती है। वर्तमान में जहाँ तक विकास कार्यों का सीधा सम्बन्ध है उससे कलेक्टर को मुक्त कर दिया गया है और अधिकतर राज्यों में

स्थानीय स्तरों पर विकास कार्यों का उत्तरदायित्व पंचायती राज संस्थाओं को सौंप दिया गया। जिले के विकास कार्यों का अन्तिम उत्तरदायित्व अब इन्हीं संस्थाओं का है। प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिश के अनुसार कलेक्टर को इन पर निरीक्षण एवं नियन्त्रण रखने की आवश्यकता नहीं है। आयोग का यह भी मत था कि एक ही व्यक्ति नियमनकारी तथा विकास कार्यों का दायित्व नहीं निभा सकता। अतः दोनो को अलग-अलग कर दिया जाये। नियमनकारी कार्य कलेक्टर को सौंप दिये जायें तथा विकास कार्यों का दायित्व पंचायती राज संस्थाओं को दिया जाये। इससे कलेक्टर नियमनकारी कार्य अधिक उचित तरीके से कर सकेगा एवं उन पर ज्यादा ध्यान दे सकेगा।

दूसरी ओर यह भी विचार व्यक्त किया गया है कि विकास कार्यों के लिए कलेक्टर एक उचित व्यक्ति है, क्योंकि विकास कार्य व्यक्तिगत निर्देशन की अपेक्षा रखते हैं जो कलेक्टर के माध्यम से ही सुलभ हो सकता है। साथ ही विकास कार्य नवीन प्रकृति के हैं अतः समय-समय पर इनका निरीक्षण आवश्यक है। विकास कार्यों के लिए प्रभावशाली समन्वय अपेक्षित है जिसकी पूर्ति केवल कलेक्टर ही कर सकता है। ऐसी स्थिति में विकास कार्यों का दायित्व कलेक्टर अधिक दक्षता से सम्भाल सकता है।

वास्तव में इस मत को स्वीकारा नहीं जा सकता क्योंकि कलेक्टर के पास उचित मात्रा से अधिक कार्य हैं। इतने कार्यों को वह दक्षतापूर्वक नहीं चला सकता । कलेक्टर से विकास कार्य लेने के अतिरिक्त उसकी कार्यक्षमता बनाये रखने के लिए जिले का क्षेत्र छोटा किया जा सकता हैं। उसे प्रोटोकोल कार्यों से तो मुक्त किया ही जाना

चाहिए। इसके साथ ही कलेक्टर की कार्यदक्षता बनाये रखने के लिए उससे कुछ कार्य भी ले लेने चाहिए तथा महत्त्वपूर्ण सुविधाएँ दी जानी चाहिए। उसके द्वारा अध्यक्षता की जाने वाली कमेटियों की संख्या कम की जा सकती है।

इस प्रकार यह स्पष्ट है कि कलेक्टर द्वारा सम्पन्न किये जाने वाले कार्यों की सूची पर्याप्त लम्बी है तथा व्यापक है। आज वह अतीत की भाँति **एक लाइन अभिकरण न रह कर स्टाफ अभिकरण** बन गया है। वृहत् कार्यक्षेत्र होने पर भी वह उल्लेखनीय है कि जिले के जो भी तकनीकी विषय हैं उन पर कलेक्टर का नियन्त्रण न होकर जिलास्तर के अन्य तकनीकी अधिकारियों का होता है।

कलेक्टर के कार्यों के सन्दर्भ में एक समस्या यह भी उठती है कि एक ओर तो कलेक्टर को कानून तथा व्यवस्था का दायित्व दिया गया है और दूसरी ओर वह अनेक कार्यपालन सम्बन्धी कार्य भी करता है। 28 रिपोर्ट्स ऑफ दी टीचर फोर दी स्टेडी ऑफ कम्यूनिटी प्रोजेक्टस एण्ड नेशनल एक्सन सर्विस[3]। तत्वों में अपेक्षित शक्ति विभाजन कैसे सम्भव है? यद्यपि कलेक्टर की इस स्थिति में वर्तमान में परिवर्तन आया है तथा अब विशुद्ध रूप से न्यायिक प्रकृति के कार्य न्यायपालिका को सौंप दिये गये है। इस सन्दर्भ में भारत के सात राज्यों में पूर्णतः विभाजन है। ये राज्य हैं[4] -

उत्तर प्रदेश में — न्यायपालिका व कार्यपालिका का विभाजन 47 जिलों में है।

उड़ीसा में — 13 में से 9 जिलों में

स्रोतः- 3, 4 भारतीय लोकप्रशासन, डा. बी. एल. फाडिया, पृ. स. 155

बिहार में	17 में से 12 जिलों में
पंजाब में	विभाजन की आधुनिक व्यवस्था 5 जिलों में प्रयोग की
राजस्थान में	आंशिक विभाजन है।

गुजरात, महाराष्ट्र, मैसूर, हरियाणा, तमिलनाडू, व केरल के अधिकांश जिलों में न्यायकि कार्यों के विभाजन की स्थिति देखी जा सकती है। जिन राज्यों में कलेक्टर के न्यायिक कार्य अंशतः या पूर्णतः न्यायपालिका को नहीं सौंपे गये वहाँ ऐसा करने के लिए आवश्यक कदम उठाये जाने चाहिए।

कलेक्टर से न्यायिक कार्य तथा विकास कार्य लिए जाने के बाद भी कलेक्टर के पद की महत्ता कम नहीं हुई, यद्यपि उसकी भूमिका का स्वरूप उसकी अतीत की भूमिका के स्वरूप से बदल गया। उसके कार्यों की प्राथमिकताएँ, कार्यों का स्वरूप तथा लक्ष्य में एक महत्वपूर्ण परिवर्तन स्वतन्त्रता के बाद के युग में देखा जा सकता है। प्रजातन्त्रीय दायित्व पंचायती राज की व्यवस्था तथा तकनीकी कार्यों की महत्ता ने उसकी भूमिका के स्वरूप में परिवर्तन ला दिया है। वास्तव में अभी तक यही सत्ता है, जो सरकारी कार्यों में बड़े स्तर पर समन्वय करती है।

स्पष्ट है कि कलेक्टर जिला प्रशासन के सन्दर्भ में केन्द्रीय व्यक्तित्व रखता है। स्वतन्त्रता के बाद आने वाले उसके कार्यक्षेत्र, लक्ष्यों तथा प्रशासकीय दृष्टिकोण के परिवर्तनों ने कलेक्टर की महत्ता को किसी भी दृष्टि से कम नहीं किया। सम्पूर्ण प्रशासनिक त्रिकोण में कलेक्टर को मुख्य स्थिति तथा अधिक शक्तियाँ दी गयी हैं। एक

मध्यम स्तर के कार्यपालक से ज्यादा शक्ति व महत्ता दे कर उसे प्रभावशाली बनाने की चेष्टा की गयी है। जिला स्तर के प्रशासन पर कलेक्टर का व्यक्तित्व मुख्य सूत्रधार के रूप में अतीत में भी था और वर्तमान में भी परिवर्तित स्वरूप में हैं।

ग्राम पंचायतो के वित्त का मुख्य स्रोत खण्ड विकास अधिकारी होता है जो राज्य सरकार से प्राप्त धन का ग्राम पंचायतों को आबंटन करता है परंतु इसके अतिरिक्त ग्राम पंचायतों के पास आय के अपने आंतरिक स्रोत भी होते हैं जो उसे स्थानीय रूप से उपलब्ध साधनों से प्राप्त होते है जैसे स्थानीय कर, मंण्डियों से प्राप्त फीस, पंचायत कर आदि। प्रत्येक ग्राम पंचायत में कुछ खाली जमीनें होती हैं जो ग्राम समाज के नाम से जानी जाती हैं तथा कुछ ऐसे तालाब इत्यादि होते हैं जो ग्राम समाज के होते हैं, अतः ग्राम पंचायतें ग्राम समाज की खाली जमीनों को पट्टे पर देकर या उसपर कुछ मकान आदि बनाकर किराए के रूप में राशि वसूल करता है। इसीप्रकार, तालाबों में मत्स्य पालन के द्वारा भी आय प्राप्त करती है।

संविधान के 73 वें संशोधन के द्वारा ग्राम पंचायतों को अनेक अधिकार दिए गए जिसमें सबसे महत्वपूर्ण अधिकार पंचायतों को पंचायत क्षेत्र की आवश्यकता के अनुसार नियोजन का अधिकार[5]। अतः अब योजनाएं ग्राम पंचायतों पर थोपी नहीं जा सकती बल्कि ग्राम पंचायतें गरीब एवं कमजोर वर्गों की योजना का लाभ आवश्यकतानुसार ले सकती हैं। अंततः यह कहा जा सकता है कि कमजोर एवं गरीब वर्गों संबंधी योजनाओं का वित्तीय एवं प्रशासनिक ढाँचा चक्रीय है जिनमें देश की सबसे

स्रोत:- 5 उत्तर प्रदेश, जैन एवं सौलांकी, पृ. स. 103

बड़ी पंचायत से लेकर सबसे छोटी पंचायत के बीच में ही सारी क्रियाएं संपन्न हो रही है। इसे निम्नलिखित चक्र से भी प्रदर्शित किया जा सकता है -

चार्ट - 3

<u>योजना की वित्तीय एवं प्रशासनिक व्यवस्था का चक्र</u>

अध्याय–चतुर्थ

योजना अवधि में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति

अध्याय–चतुर्थ

योजना अवधि में सामाजिक सुरक्षा की प्रगति

15 अगस्त 1947 को आजादी मिलने के बाद तत्कालीन नीति निर्धारको ने देश की अर्थव्यवस्था में सामाजिक समरसता एवं समानता के सिद्धांत को लागू करने के लिए योजनाबद्ध तरीके पर विचार किया। तदुपरांत पंचवर्षीय योजनाओं के माध्यम से देश के सर्वांगीण विकास का संकल्प लिया गया । इस समय देश के सामने विकास की दो प्रमुख समस्याएं थी -एक तो ढाँचागत विकास दूसरा सामाजिक विकास। पहली तीन पंचवर्षीय योजनाएं ढाँचागत विकास पर अधिक जोर दीं परंतु समाज के सर्वांगीण विकास में इन योजनाओं से कोई विशेष योगदान नहीं मिला। जिसका प्रमुख कारण था समाज में कमजोर एवं गरीब वर्गों की बहुतायत मात्रा। इन वर्गों की विद्यमानता विकास के पहिए को जगह-जगह अवरूद्ध कर देती थी अतः यह विचार किया कि गया इन वर्गों के समुचित उत्थान के लिए पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत विशिष्ट कार्यक्रमों को अपनाकर उन्हें क्रियान्वित किया जाएं।

प्रथम पंचवर्षीय योजना जिसकी अवधि 1950 -51 से लेकर 1955-56 तक थी, में यह विचार किया गया कि देश में विद्यमान अभावों को, जो कमोवेश देश की 90 प्रतिशत आबादी में थी, को दूर किया जाए। इस योजना अवधि में कृषि एवं आधारभूत उद्योगों के

विकास पर जोर दिया गया। जो अप्रत्यक्ष रूप से कमजोर एवम् गरीब वर्गों के उत्थान से संबंध रखती थी। शिक्षा, रोजगार, एवंम् आवास आदि बातों की ओर इस योजना का ध्यान नहीं गया परन्तु संविधान में वर्णित इन वर्गो के उत्थान से संबंधित तथ्यों की चर्चा सदैव गर्म रही।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य देश का तीव्र औद्योगीकरण करना था। जिसके माध्यम से रोजगार के अवसरों में महत्वपूर्ण वृद्धि को शामिल किया गया। इस अवधि में भी सामाजिक सुरक्षा जैसे तथ्य पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया जा सका। ऐसा प्रतीत होता है कि नीतिनिर्धारक विदेशी नकल पर आधारित भारतीय अर्थव्यवस्था को विकसित करने का प्रयत्न कर रहे थे। आबादी का एक बहुत बड़ा समुदाय वंचित समुदाय था।

तृतीय पंचवर्षीय योजना जॉनसेंडी वायस चक्रवर्ती के मॉडल पर आधारित थी और इस योजना का लक्ष्य अर्थव्यवस्था को स्वालंबी व स्वस्फूर्त बनाना था। पहली बार इस योजना में इस बात पर गौर किया कि आय व सम्पत्ति की असामानता में कमी लाई जाए तथा अवसरों की समानता को भी सुनिश्चित किया जाए। इस योजना में कृषि सुधार पर विशेष जोर दिया गया और भूमि सुधार व भूमि बंदोबस्त के नाम पर जमींदारी प्रथा का उन्मूलन करके नई भूमि व्यवस्था व कृषि व्यवस्था को बनाने का प्रयास किया गया।

यह योजना भी कमजोर व गरीब वर्गों को अपने किसी कार्यक्रम में कोई जगह नहीं दे पाई और इस वर्ग का आकार वृहद् होने लगा। परंतु अब तक इन वर्गों में सामाजिक चेतना का संचार होने लगा था और गणमान्य बुद्धिजीवियों ने इन वर्गों की विद्यमानता को देश के

विकास में एक बहुत बड़ा रोड़ा बताया। इस योजना के अंत तक देश के सत्ता की लगाम भी हस्तांतरित हुई जिसमें लाल बहादुर शास्त्री ने देश की मुखिया की कमान संभाली। शास्त्री जी के प्रधानमंत्री बनने के साथ ही सत्ता की सोच बदल गई और उन्होने "जय जवान जय किसान" का नारा दिया। इसी मूल विचारधारा के आधार पर समाज के सभी वर्गों को मानसिक संतुष्टि एवं उत्थान देने का प्रयत्न किया गया। इस योजना के अंतिम चरण में समाज के उपेक्षित वर्गों में एक नई अनुभूति का जागरण हुआ और इन्हें भी इनकी योग्यता के अनुसार व्यवस्था के विभिन्न अगों में शामिल किया जाने लगा।

चौथी पंचवर्षीय योजना जन्म लेने के पहले ही समाप्त हो गई क्योंकि देश राजनैतिक नेतृत्व के उथल पुथल से गुजरने लगा था। शास्त्री जी के दिवंगत होने के पश्चात् इंदिरा गाँधी ने सत्ता की डोर पकडी और अप्रैल 1966 से मार्च 1969 तक वार्षिक योजनाओं के माध्यम से कार्य किया गया। इन योजनाओं का प्रथम लक्ष्य था युद्ध से उत्पन्न स्थिति का निराकरण, खाद्यान्न संकंट का समाधान तथा चौथी योजना के लिए आधर तैयार करना था।

इन वार्षिक योजनाओं में एक बात पर विशेष जोर दिया गया कि बढ़ती बेरोजगारी से कैसे निपटा जाए। क्योंकि देश चीन से युद्ध में खस्तहाल हो चुका था अतः सैन्य भर्तियों में समाज के सभी वर्गों को रोजगार पाने का अच्छा अवसर मिला। परन्तु इन तीन वर्षों में भी वंचित वर्गों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि होती रही जिस पर नियंत्रण पाने के लिए नीति निर्धारकों ने एक मसौदा तैयार करना प्रारंभ कर दिया था।

1970 आते-आते आयोजकों के दृष्टिकोण में काफी परिवर्तन हुआ। 1971 में बी. एम. दाण्डेकर तथा नीलकंठ रथ के महत्त्वपूर्ण अध्ययन Poverty In India के कारण तथा अन्य अर्थ शास्त्रियों द्वारा किए गए आलोचनात्मक विवेचन के कारण यह बात स्पष्ट हो गई कि आयोजन के दो दशकों के बाद भी देश में भयानक गरीबी व्याप्त है। यह कटुसत्य है कि देश में 40 प्रतिशत जनसंख्या जीवन का न्यूनतम स्तर प्राप्त कर पाने में भी असफल रही है, सभी को झकझोरने के लिए काफी था। इसलिए, आयोजन की प्राथमिकताओं एवं कार्यक्रमों पर दुबारा नजर डालना जरूरी हो गया। इस लिए पहली बार योजना आयोग के Approach paper of the fifth plan में पुनर्वितरण की एक योजना की सिफारिश की गई। जिसके अर्न्तगत देश के सबसे धनी 30 प्रतिशत वर्ग के प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को कम करने की व्यवस्था थी ताकि सबसे निर्धन 30 प्रतिशत वर्ग के प्रति व्यक्ति उपभोग स्तर को बढाया जा सके। ऐसा माना गया कि पॉचवी योजना के आखिरी वर्ष तक गरीबी दूर हो जाएगी तथा वितरण में असमानताएं कम हो जाएंगी।

इंदिरा गॉंधी के नेतृत्व में 1 अप्रैल 1969 से 31 मार्च 1974 तक की अवधि के लिए एलन एस मान्नै और अशोक रूद्र मॉडल के आधार पर चौथी पंचवर्षीय योजना का श्री गणेश किया गया जिसमें आर्थिक विकास के साथ-साथ स्थिरता एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति हेतु प्रयासों पर जोर दिया गया। इस योजना अवधि में भारत को एक और युद्ध से गुजरना पड़ा अत: कमजोर एवं गरीब वर्गो की ओर सरकार का ध्यान नही जा सका। परंतु इस योजना में भी रोजगार के अवसरों में वृद्धि पर विशेष जोर दिया गया।

इस योजनाकाल में जनंसख्या की ऊँची वृद्धि दर व श्रमिक असंतोष तथा बेरोजगारी की समस्या खुलकर सामने आई। श्रमिक संगठनों का शोषण के खिलाफ विकट आंदोलन एवं देश के विभिन्न भागों में बेरोजगारी की समस्या ने नीति निर्धारकों का ध्यान अपनी ओर आकृष्ट किया जिसने अगली योजना में इन वर्गों को विशेष स्थान देने पर सरकार को बाध्य किया।

पांचवी पंचवर्षीय योजना, जिसकी अवधि 1 अप्रैल 1974 से 31 मार्च 1979 तक थी, में गरीबी निवारण व आत्मनिर्भरता पर विशेष जोर दिया गया। यह योजना समविष्ट भावी मॉडल, आगत-निर्गत मॉडल एवं उपयोग मॉडल पर आधारित थी। पहली बाल पंचवर्षीय योजना में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम को स्थान मिला जिसके अन्तर्गत प्राथमिक शिक्षा, पेयजल, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं व पोशण, भूमिहीनों को घर, ग्रामीण क्षेत्र की सड़कें, ग्रामीण विधुतीकरण व समाज कल्याण पर विशेष बल दिया गया। उक्त सभी आवश्यकताएं कमजोर एवं गरीब वर्ग से संबंध रखती हैं अतः यह कहा जा सकता है की पंचम पंचवर्षीय योजना विशेष रूप से कमजोर एवं गरीब वर्ग के समग्र उत्थान के लिए बनी थी।

इतना ही नहीं रोजगार के अवसरों में वृद्धि, मूल उद्योगों के विकास पर बल एवं उपभोक्ता वस्तुओं के उत्पादन पर विशेष बल दिया गया। आर्थिक, सामाजिक तथा क्षेत्रीय असमानता को कम करने के लिए भी इस योजना में विशेष प्रावधान किए गए।

जनता पार्टी सरकार ने 1 अप्रैल, 1978 को पांचवी योजना का चार वर्षों में समाप्त कर छठी योजना आरंभ की थी। 1980 में कांग्रेस ने सत्ता में आने के बाद 1 अप्रैल 1980

को नई छठी योजना आरंभ की 1 अप्रैल 1979 से 31 मार्च 1980 तक की अवधि को योजनावकाश माना गया।

छठी योजना कठिन परिस्थितियों में आरंभ की गई। "गरीबी हटाना" इस योजना का मुख्य लक्ष्य था साथ ही लाभदायक रोजगार अवसरों के सृजन तथा तकनीकी व आर्थिक आत्मनिर्भरता के उद्‌देश्यों को महत्व दिया गया। गरीबी हटाओं के लिए रणनीति का उल्लेख करते हुए छठी योजना का मत इस प्रकार है- "इस समस्या के समाधान के लिए केवल विकास प्रक्रिया पर ही निर्भर रहना युक्तियुक्त नहीं होगा। इसके लिए विशेष नीति संबंधी उपायों की आवश्यकता होगी ताकि न केवल उत्पादन की संरचना को जनोपभोग की वस्तुओं के पक्ष में प्रभावित किया जाए बल्कि एक अधिक संतुलित क्षेत्रीय एवं वर्ग सम्बन्धी वितरण का भी आश्वासन देना होगा। श्रम-प्रधान ग्राम तथा लघु उद्योगों के विकास के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन देने होगें।" इस योजना का मुख्य उद्‌देश्य गरीबी और बेरोजगारी के प्रभाव में उत्तरोत्तर कमी लाना, सार्वजनिक नीतियों एवं सेवाओं के पुनर्वितरक आधार को गरीबों के हित में मजबूत बनाना जिससे आय और सम्पत्ति की असमानताओं में कमी हो, न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से कमजोर जनसंख्या के विशेष सन्दर्भ में सामान्य जनता के जीवनस्तर में सुधार करना, अतः न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम द्वारा यह सुनिश्चित करना कि देश के सभी भागों में एक निर्धारित अवधि के अन्दर राष्ट्रीय दृष्टि से स्वीकृत स्तर प्राप्त किए जा सकें तथा विकास की गति और तकनालाजीय लाभों के प्रसार में क्षेत्रीय असमानताओं में उत्तरोत्तर कमी करना था।

इस योजना में एक-दूसरे से संबंद्ध समस्याओं को सुलझाने के लिए अलग-अलग विचार करने की बजाय, उनपर समग्र रूप से विचार की नीति अपनाई गई। त्वरित विकास तथा न्यून असमानता हेतु सामान्य उपायों के अतिरिक्त कमजोर वर्गों के लिए चार महत्वपूर्ण कार्यक्रम आरंभ किए गए-

1. समन्वित ग्रामीणय विकास कार्यक्रम (IRDP)
2. राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)
3. ग्रामीण खेतिहर मजदूर रोजगार गारण्टी योजना (RLEGP)
4. ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (TRYSEM)।

इन कार्यक्रमों की विकास-रणनीति में व्यक्ति की अपेक्षा परिवार को केन्द्र बनाया गया। सबसे गरीब परिवारों की पहचान की गई और इन परिवारों का आर्थिक उद्धार करने के लिए कार्यक्रम को एकमुश्त प्रयोग किया गया, जिसमें परिवारों के सदस्य, विशेषकर स्त्रियाँ शामिल की गयी। कार्यक्रम के लिए योजना के पहले वर्ष में प्रति खण्ड 5 लाख रूपए, दूसरे वर्ष में 6 लाख रूपए और अन्तिम तीन वर्ष के लिए 8 लाख रूपए उपलब्ध कराए गए। ग्रामीण-निर्धनों के एक विशेष वर्ग, जिनके पास या तो परिसम्पत् है नहीं या बहुत ही अपर्याप्त मात्रा में हैं, तथा जिनके पास का काम काज के मौसम में आय का कोई स्रोत नहीं है उन्हें मजदूरी रूपी रोजगार उपलब्ध कराने हेतु रोजगार कायम करने वाली विकास परियोजनाए व प्रशिक्षण कार्यक्रम शुरू किए गए।

छठी योजना ऐसे कठिन दौर में शुरू की गई थी कि उस समय भारत की अर्थव्यवस्था की स्थिरता में ही संदेह था, निरंतर विकास को कायम रखने की संभावना का तो प्रश्न ही उठाना व्यर्थ था। तथापि, इस योजना का देश की संवृद्धि की गति को बनाए रखने और उसे सुदृढ़ करने, आधुनिकीकरण और सामाजिक न्याय में बड़ा योगदान है। निम्न सारणी द्वारा हम छठी योजना में प्राप्त वास्तविक प्रतिफल का एक दृष्टि में अवलोकन कर सकते हैं :-

सारणी 2
छंठी योजना की प्रगति (रू.लाख में)

		छठी योजना (1980-85)
1.	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या जिनमें	165.6
	अनुसूचित जनजाति/	64.6
	स्त्रियां	-
2	योजना परिव्यय	166170
3.	आवंटित संस्थानिक उधार	310101
4.	कुल निवेश	476278
5.	प्रति व्यक्ति आर्थीक राहत	
	1.पुराने हिताधिकारी	-
	2. नए हिताधिकारी	0.01003
6.	प्रति व्यक्ति संस्थानिक उधार	
	1.पुराने हिताधिकारी	-
	2.नये हिताधिकारी	0.01873
7.	प्रति व्यक्ति निवेश	
	1.पुराने हिताधिकारी	
	2.नये हिताधिकारी	0.02876

(स्रोतः- भारत- 2001).

छठी योजना के सफल समापन के पश्चात सामाजिक न्याय के साथ आत्मनिर्भर विकास के उद्देश्य से सातवीं योजना (1980-1985) शुरू की गई। इस योजना के लिए अपनाई गई विकास-रणनीति में निर्धनता, बेरोजगारी और क्षेत्रीय असन्तुलन की समस्या पर सीधा प्रहार करने का संकल्प किया गया। छठी योजना के आधारभूत कार्यक्रमों को इसका मुख्य अंग बनाया गया और इस बात पर विशेष बल दिया गया कि निर्धनता-विरोधी कार्यक्रम अपने आप में स्थाई आधार पर निर्धनता को समाप्त नहीं कर सकते अतः निर्धनता और अल्प-रोजगार की समस्याओं पर एक चिरस्थायी प्रभाव डालने के लिए एक विस्तारी अर्थव्यवस्था और गत्यात्मक कृषि क्षेत्र का ढाँचा होना अनिवार्य है। कृषि और उद्योग के क्षेत्र में घरेलू तकनीकी का विकास किया गया। बेरोजगारी तथा गरीबी को कम करने की वर्तमान योजनाओ के अलावा जवाहर रोजगार योजना, इन्दिरा आवास योजना जैसे विशेष कार्यक्रम भी आरम्भ किये गये। इस दिशा में लघु उद्योगों और खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के महत्व को भी स्वीकार किया गया। रोजगार के महत्व को स्वीकार करते हुये रोजगार के बिस्तार के लिये महज आर्थिक संवृद्धि पर निर्भर नहीं रहकर, रोजगार को एक सीधा और अपने आप में महत्वपूर्ण उद्देश्य माना गया था। उत्पादक रोजगार से लोगों में आत्म विश्वास पैदा होगा, और इससे उनकी विकास कार्यो में भागीदारी बढ़ जायेगी।

सातवीं पंचवर्षीय योजना में इस बात पर बल दिया गया कि आधारभूत ढांचे में जो भी निवेश किया गया हो, उसका उचित नतीजा निकले। ऐसा होने पर कृषि और आद्यौगिक क्षेत्र के विकास में आने वाली कुछ बाधायें स्वतः दूर हो जायेंगी। अनुकूल मौसम, विभिन्न

प्रमुख कार्यक्रमों पर अमल और सरकार तथा किसानों के अथक प्रयासों की वजह से इस योजना के दौरान खाद्यान्न उत्पादन 3.23 प्रतिशत बढा, जो कि 1967-68 से 1988-89 की लम्बी अवधि की उत्पादन दर 2.68 प्रतिशत तथा अनुकूल मौसम के बावजूद आठवें दशक की उत्पादन दर 2.55 प्रतिशत की तुलना में अधिक है। इस योजना में कुल परिव्यय 2,18,729.62 करोड़ रूपये रहा तथा सफल घरेलू उत्पाद की वार्षिक औसत दर 5.8 प्रतिशत रही जो लक्ष्य से 0.8 प्रतिशत अधिक रही। इस योजना अवधि में कार्यक्रमों के विकास को निम्न चार्ट द्वारा आसानी से समझा जा सकता है-

सारणी 3

सातवीं योजना की प्रगति (रू.लाख में)

		सातवीं योजना पहले चार वर्ष
1.	सहायता प्राप्त परिवारों की संख्या जिनमें	147.2
	अनुसूचित जनजाति/	65.9
	स्त्रियां	25.6
2	योजना परिव्यय	252118
3.	आवंटित संस्थानिक उधार	404963
4.	कुल निवेश	657086
5.	प्रति व्यक्ति आर्थीक राहत	
	1.पुराने हिताधिकारी	0.0119
	2. नए हिताधिकारी	0.0147
6.	प्रति व्यक्ति संस्थानिक उधार	
	1.पुराने हिताधिकारी	0.02426
	2.नये हिताधिकारी	0.02828
7.	प्रति व्यक्ति निवेश	
	1.पुराने हिताधिकारी	0.03619
	2.नये हिताधिकारी	0.04298

(स्रोत:- भारत- 2002).

राजनैतिक अस्थिरता के कारण आठवीं पंचवर्षीय योजना पूर्व निर्धारित समय पर आरम्भ नहीं की जा सकी, और इसे दो वर्षो के लिए स्थगित करना पड़ा। इन दो वर्षो में वार्षिक योजनायें लागू की गयीं जिसमें मुख्य रूप से रोजगार के अधिक अवसर और सामाजिक परिर्वतन पर बल दिया गया। 1 अप्रैल 1992 से आठवीं पंचवर्षीय योजना प्रारम्भ की गयी। इस योजना में पिछड़े क्षेत्रों और समाज के कमजोर वर्गो की ओर अधिक ध्यान दिया गया। पर्याप्त भोजन की उपलब्द्धि, स्फीति पर नियन्त्रण, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का प्रभावी संचालन और ऐसे विकास कार्यक्रम जो अधिक रोजगार-जनन करते हैं, गरीबों की दशा सुधारने की रणनीति का मुख्य अंग है। इसके अतिरिक्त प्राथमिक शिक्षा में बलिकाओं के नामांकन और इनमें से पढाई छोडने वाली बालिकाओं की संख्या कम करने की ओर विशेष ध्यान दिया गया।

यह योजना बहुत से सराहनीय उद्देश्यों से आरम्भ की गयी। इसमें उत्पादन एवं रोजगार के लक्ष्य का समन्वय किया गया। इसमें देश के पिछड़े क्षेत्रों और कमजोर वर्गो की ओर ध्यान देने पर विशेष जोर दिया गया। इसी योजना के तहत, 1.62 लाख ग्राम ऐसे थे, जहाँ पानी का कोई स्रोत नही था, इनमें से 1.54 लाख ग्रामों में पानी का स्रोत उपलब्ध्द कराया गया। साथ ही प्राथमिक शिक्षा के सर्वव्यापीकरण की योजना शुरू की गयी तथा सिर पर मैला ढोने की प्रथा का अन्त किया गया। आठवीं पंचवर्षीय योजना जॉन डब्लू मिलर मॉडल पर आधारित थी।

इस योजना अवधि में शिक्षित बेरोजगारी की संख्या में भी पर्याप्त वृद्धि हो चुकी थी। समाज के विभिन्न वर्गों द्वारा रोजगार को मौलिक अधिकार बनाने की बात की जाने लगी थी। इस अवधि में ही कमजोर वर्गो के समग्र उत्थान के लिए मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू कर इन वर्गों को पर्याप्त लाभ देने की व्यवस्था की गई। यह भी प्रयत्न किया गया कि संविधान में वर्णित अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को उचित आत्मसम्मान के साथ-साथ उनके आर्थिक उत्थान हेतु रोजगार प्रदान किया जाए। अतः सरकारी नौकरियों में आरक्षण के माध्यम से इन वर्गों का उचित पोषण किया गया।

इस योजना अवधि में देश उदारीकरण एवं भूमण्डलीकरण के दौर से गुजरने लगा था। अतः देश का गरीब एवं कमजोर वर्ग पूरे विश्व का ध्यान आकृष्ट करने लगा। शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, आवास एवं अन्य सामाजिक सुरक्षा सुविधाओं पर सरकार ने विशेष ध्यान देना शुरू किया।

आठवीं पंचवर्षीय योजना की महत्वपूर्ण सफलता के बाद नीति निर्धारकों में योजना के प्रति नया उत्साह देखने को मिला। इसलिए नौवीं पंचवर्षीय योजना में न्यायपूर्ण वितरण और समानता के साथ विकास को प्रमुख बिन्दु माना गया। इस योजना को (यदि गौर से देखा जाए) गरीब एवं कमजोर वर्गों की योजना भी कह सकते हैं क्योंकि इसमें निम्नलिखित बिन्दुओं पर जोर दिया गया-

1. निर्धनता उन्मूलन की दृष्टि से कृषि एवं ग्रामीण विकास को प्राथमिकता देना।
2. पर्याप्त उत्पादक रोजगार का सृजन

3. सभी वर्गों विशेष रूप से समाज के कमजोर वर्गों के लिए भोजन एवं पोषण का ऊँचा स्तर सुनिश्चित करना।
4. स्वास्थ्य, पेयजल, प्राथमिक शिक्षा, प्राथमिक स्वास्थ्य एवं आवास जैसी मूलभूत न्यूनतम सेवाओं की व्यवस्था करना।
5. सामाजिक सद्भाव तथा सभी स्तरों पर लोगों की विकास प्रक्रिया में भागीदारी सुनिश्चित करना।
6. सामाजिक आर्थिक परिवर्तन एवं विकास के अभिकर्ता के रूप में महिलाओं और सामाजिक रूप से कमजोर लोगों को शक्तियाँ प्रदान करना
7. पंचायती संस्थाओं को प्रोत्साहन देना।
8. आत्मनिर्भरता के प्रयासों को तेज करना।

उपर्युक्त बिन्दओं पर यदि हम गौर करें तो पायेगें कि जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना इस योजना का मुख्य लक्ष्य था। इसके अर्न्तगत निर्धनता उन्नमूलन तथा न्यूनतम प्राथमिक सेवाओं की आवश्यकताओं को ध्यान में रखते हुये निर्धनों के लिये परिसम्पत्तियों का सृजन तथा अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों का एकीकरण किया गया। गरीबों को रोजगार तथा आय की व्यवस्था के साथ-साथ कुछ न्यूनतम बुनियादी सुविधायें भी उपलब्द्ध करायी गई जैसे- पीने के लिये सुरक्षित पानी, प्राथमिक स्वास्थ्य सुविधा, सभी को प्राथमिक शिक्षा, एवं स्कूल जाने या न जाने वाले बच्चों के लिये आहार, गरीबों के लिए आवास, सभी गाँवों और

बस्तियों तक सड़क यातायात और गरीबों के लिये सार्वजनिक वितरण प्रणाली आदि की व्यवस्था पर विशेष जोर दिया गया। इस योजना में पिछड़े हुये व शक्ति विहीन लोगों को नई चेतना जगा कर सामर्थ्यवान बनाने की कोशिश की गई, ताकि वे आर्थिक सवृद्धि द्वारा जनित अवसरों का पूरा लाभ उठा सकें। इसके तहत अनेक प्रकार के प्रशिक्षण कार्यक्रमों जैसे-अगर बत्ती बनाना, मोमबत्ती बनाना, दिया सलाई बनाना, अचार बनाना, मुरब्बा बनाना, बुनाई, बागवानी दस्तकारी, रेशमी कीडे पालना, आदि की शुरूआत की गई। विकास क्रिया के माध्यम से श्रम बहुल क्षेत्रों तथा उद्योगों में प्रौद्योगिकी के बेहतर प्रयोग के द्वारा अधिक उत्पादक रोजगार का सजृन किया गया। चूंकि यह सरकार की जिम्मेदारी है कि वह समाज के उपेक्षित एवं निर्धन वर्गों की कमजोरियों को दूर करें तथा उनके हितों व अधिकारों की रक्षा करे। अतः इसे ध्यान में रखते हुये सरकार ने इस योजना में क्षेत्रीय असन्तुलन को दूर करने के लिये, अल्प विकसित तथा पिछड़े क्षेत्रों में औद्योगीकरण की प्रक्रिया को तीव्र गति से लागू किया। साथ ही साथ ग्रामीण क्षेत्र में कृषि तथा अन्य सहायक क्रियाओं का आधुनिकीकरण किया। इसी योजना के अर्न्तगत शहरी क्षेत्रों में गन्दी बस्तियों की समस्या, स्वच्छ पानी पीने की कमी, अर्पयाप्त सफाई सुविधाओं जैसे अनेक समस्याओं के निदान के लिये भी पर्याप्त कदम उठाये गये।

उपर्युक्त विवरण से स्पष्ट है कि कमजोर वर्गों हेतु बनाई गई योजनाएं उत्तरोत्तर लक्ष्य की ओर बढ़ती रहीं और कालांतर में इन वर्गो के समुचित उत्थान के लिए एक योजना विविध कार्यक्रमों के अन्तर्गत कार्य करने लगी। योजनाओं को अधिक प्रभावी बनाने के लिए

समय-समय पर इनका मूल्यांकन कर दिया गया। पंचवर्षीय योजना की अवधि में कमजोर एवं गरीब वर्गों के लिए बनाये गये कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की प्रगति को क्रमशः निम्नलिखित चित्रों से और अधिक समझा जा सकता है-

1. समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

पांचवी पंचवर्षीय योजना से प्रारम्भ होकर नौवीं पंचवर्षीय योजना तक यह कार्यक्रम सफलता पूर्वक कार्य करता रहा परन्तु 1 अप्रैल, 1999 को इसे स्वर्ण जयन्ती ग्राम रोजगार कार्यक्रम में विलय कर दिया गया। स्थापना से लेकर 1999 तक इस योजना की उपलब्धियों को निम्न चार्ट से समझा जा सकता है:-

चार्ट - 4

समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम से लाभान्वित लोगों की संख्या

रोजगार का सृजन (लाख व्यक्तियों में)

100
80
60
40
20
0

1980-85 1985-91 1991-96 1996-99

वर्ष

(स्रोतः- यूनिक सामान्य अध्ययन 2002 के आंकड़ो पर आधरित)

उपर्युक्त चार्ट से स्पष्ट है कि वर्ष 1980-85 अवधि के दौरान कुल 20 लाख लोगों के लिए रोजगार का सृजन हुआ जो उत्तरोत्तर बढ़ता रहा और वर्ष 1991-96 की अवधि में यह बढ़कर 105 लाख हो गया। परंतु अनेक समस्याओं के चलते वर्ष 1996-99 की अवधि में रोजगार के सृजन में गिरावट आयी और इस अवधि में कुल 102 लाख लोगों के लिए ही रोजगार का सृजन हुआ।

प्रस्तुत रेखाचित्र बताता है कि रोजगार के अवसरों में वर्ष 1980-85 और 85-91 के मध्य 225 प्रतिशत की वृद्धि हुई है जो 1991-96 की अवधि में 61 प्रतिशत तक बढ़ी किन्तु वर्ष 96-99 अवधि में लगभग 3 प्रतिशत कम हो गई। अतः निष्कर्ष स्वरूप कहा जा सकता है कि अच्छी प्रगति के बावजूद यह योजना निष्प्रभावी होना शुरू हो गई।

2. <u>जवाहर रोजगार योजना</u> :-

ग्रामीण क्षेत्रों के कमजोर एवं गरीब वर्गों के लिए रोजगार मुहैया कराने के उद्देश्य से 1990 में इस योजना का शुभारम्भ किया गया । इस योजना की उपलब्धियों को निम्न चार्ट से प्रदर्शित किया जा सकता है।

चार्ट - 5
जवाहर रोजगार योजना पर व्यय

वर्ष
(स्रोतः- योजना फरवरी 2000 के आंकडो पर आधरित)

उक्त रेखाचित्र जवाहर रोजगार योजना पर विभिन्न योजनाओं में किये गये व्यय को प्रदर्शित करता है वर्ष 1991-92 जहाँ 2100 करोड़ रू. खर्च किये गये वहीं 1992-93 में 2046 करोड़ रू. खर्च किये गये जो पिछले वर्ष से लगभग 3 प्रतिशत कम था। वर्ष 1993-94 और 1994-95 में इस योजना पर 2400 करोड़ रू. और 2600 करोड़ रू. खर्च हुए परन्तु वर्ष 1998-99 में इस योजना पर मात्र 2340 करोड़ रू. खर्च किये गए जो

पिछली अवधि से 2600 करोड़ रू. कम था। ऐसा प्रतीत होता है कि अनेक नई योजनाओं के आजाने के कारण जवाहर रोजगार योजना के लिए सरकार के पास पर्याप्त धन नहीं था।

जवाहर रोजगार योजना से कमजोर एवं गरीब वर्गो के रोजगार में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई और योजना अपने उद्देश्य के करीब पहुँच गई जिसे निम्न चार्ट से समझा जा सकता है।

चार्ट - 6
जवाहर रोजगार योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

वर्ष
(स्रोतः- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

वर्ष 1990-91 और 1996-99 के अवधि में इस योजना के लाभार्थियों की संख्या 96 लाख तक पहुँच गई। चित्र प्रदर्शित करता है कि वर्ष 1990-91 में, जो योजना का

आरम्भिक वर्ष था मात्र 10 लाख लोगों रोजगार मिला परन्तु इसमें उत्तरोत्तर वृद्धि होती गई, जो 1992-93 में 73.2 लाख पहुँच गई। वर्ष 1993-94 में इस योजना से मात्र 71.6 लाख लोग लाभान्वित हुए परन्तु 1995-96 में यह आंकड़ा 125 लाख तक पहुँच गया। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते है कि यह योजना कमजोर एवं गरीब लोगो को रोजगार दिलाने में पर्याप्त सीमा तक सफल रही।

3. <u>राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम</u> :-

इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न योजनाओं को रखा गया जिनकी प्रगति को एक दृष्टि में निम्नलिखित चार्ट द्वारा समझा जा सकता है:-

(1) <u>राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना</u> -

चार्ट - 7

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना से लाभान्वित व्यक्तियों की संख्या

(स्रोतः- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

उपर्युक्त चार्ट क्रमशः ऊपर की ओर बढती जा रही है जो यह दर्शाती है कि इस योजना से लाभान्वित लोगों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। वर्ष 1995-96 में जहाँ 4.88 लाख परिवार इस योजना का लाभ उठा रहे थे। वहीं 1997-98 और 98-2001 में क्रमशः 12.5 और 52.4 लाख परिवार इस योजना से जुड़े। यह योजना बुढापे की लाठी साबित हुई। वृद्धावस्था में न्यूनतम जीवन की आवश्यकता की पूर्ति हेतु यह योजना कारगर एवं सराहनीय है।

(2) राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना-

चार्ट - 8

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना से लाभान्वित परिवारों की संख्या

वर्ष

(स्रोतः- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

उक्त चित्र को देखकर यह स्पष्ट होता है कि इस योजना से जुड़ने वाले परिवारों की संख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है। जहाँ वर्ष 1997-98 में लाभान्वित परिवारों की संख्या 32 हजार थी वहीं वर्ष 1998-99 में यह बढ़कर 58.7 हजार हो गई और वर्ष 2000-2001 में यह 1.86 लाख तक पहुँच गई। वर्ष 1998-99 में जहाँ 83 प्रतिशत की वृद्धि हुई वहीं 1999-2000 में यह बढ़कर 111 प्रतिशत हो गई। यह योजना कमजोर वर्गो के लिए चलाई गई सफलतम योजनाओं में से एक है जिससे लाभान्वित परिवारों की संख्या में दिनो-दिन वृद्धि हो रही है।

(3) <u>राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना</u> -

चार्ट - 9

राष्ट्रीय मातृत्व लाभ योजना से लाभान्वित महिलाओं की संख्या

वर्ष

(स्रोतः- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

उपरोक्त रेखा चित्र से स्पष्ट होता है कि कमजोर वर्ग की महिलाओं में भी योजनाओं के प्रति अब नई चेतना जागृत होने लगी है। वे भी अपने स्वास्थ्य के प्रति तथा बढ़ती हुई जनसंख्या के प्रति सजग हो चुके हैं। वर्ष 1997-98 में जहाँ 1.72 लाख महिलायें इस योजना से जुड़ी थी वहीं वर्ष 1998-99 में यह संख्या बढ़कर लगभग दोगुनी हो गई, इस अवधि में 117 प्रतिशत की वृद्धि हुई । वर्ष 2000-2001 में 12.92 लाख महिलायें इससे लाभान्वित हुई जो एक आश्चर्यजनक परिणाम है।

4. <u>इन्दिरा आवास योजना</u> :-

इस योजना के माध्यम से कमजोर वर्ग के लोगो की तीन आवश्यक आवश्यकताओं में से एक की पूर्ति के लिए सरकार प्रयास रथ है। इस योजना की प्रगति को निम्न चार्ट से समझा जा सकता है-

चार्ट - 10
इन्दिरा आवास योजना की प्रगति

वर्ष
(स्रोतः- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

प्रत्येक पंचवर्षीय योजना के अन्तर्गत इस योजना को मुख्य रूप से समाविष्ट किया गया। वर्ष 1986-91 की अवधि में कमजोर वर्गों के लिए निर्मित एवं आवंटित किये गये मकानों की संख्या 2.3 लाख थी जबकि वर्ष 1991-96 की अवधि में यह संख्या 55.8 लाख थी । वर्तमान में (1996-2001) में 75 लाख मकान निर्मित एवं आवंटित किए गये। इस योजना का ग्राफ लगातार ऊपर की ओर अग्रसरित है।

5. ग्रामीण आवासों के लिए ऋण योजना:-

ग्रमीण क्षेत्रों के कमजोर वर्गों के आवास के लिए ऋण उपलब्ध कराने हेतु अप्रैल 1999 में यह योजना शुरू की गयी। इस योजना के अन्तर्गत सरकार द्वारा किये गये व्यय को निम्न चार्ट से प्रदर्शित किया जा सकता है-

चार्ट - 11

ग्रामीण आवासों के लिए ऋण योजना की प्रगति

वर्ष

(स्रोत:- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

उपरोक्त चार्ट से स्पष्ट है कि वर्ष 1999-2000 में 60.92 करोड़ रूपये की राशि कमजोर वर्ग के लोगों को ऋण स्वरूप प्रदान की गयी। वर्ष 2000-2001 में यह राशि बढ़ाकर 82 करोड़ रू. कर दी गई परन्तु इस बड़ी राशि का सही उपयोग इस योजना के अन्तर्गत नही हो पा रहा था। राजनैतिक भ्रष्टाचार की वजह से अशिक्षित जनता को इसका समुचित लाभ नहीं मिल पा रहा था, फलतः 2001-2002 में इस राशि को घटाकर अड़तीस करोड़ कर दिया गया।

6. सुनिश्चित रोजगार कार्यक्रम-

कमजोर वर्ग के लोगो को रोजगार सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सरकार ने 2 अक्टूबर, 1993 को यह योजना शुरू की। इस योजना की प्रगति को निम्न चार्ट से प्रदर्शित किया जा सकता है-

चार्ट - 12

सुनिश्चत रोजगार कार्यक्रम की प्रगति

वर्ष

(स्रोतः- भारत 2001-2002 के आंकडो पर आधरित)

उक्त चार्ट से स्पष्ट है कि शुरूआती दौर में यह योजना कुछ चुने हुए पिछड़े जिलो में ही लागू की गई। वर्ष 1993-94 में 8.57 लाख लोग इससे लाभान्वित हुए और 1994-95 की अवधी में इससे 12.87 लाख लोग लाभान्वित हुए। बाद के वर्षों में यह योजना देश के सभी 5,448 पंचायतों में लागू की गई तथा 1996-2001 तक की अवधि में इस योजना से 17.2 लाख लोग लाभान्वित हुए। अतः निष्कर्ष स्वरूप यह कह सकते हैं कि कमजोर वर्गों के रोजगार सम्बन्धी समस्याओं के निदान हेतु सरकार प्रयासरत है।

अध्याय- पंचम्

सामाजिक सुरक्षा- उत्तर प्रदेश के संदर्भ में

अध्याय-पंचम्

सामाजिक सुरक्षा- उत्तर प्रदेश के संदर्भ में

उत्तर प्रदेश राज्य की लगभग 80 प्रतिशत जनता ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है इसके समग्र विकास के लिये प्रदेश सरकार द्वारा विगत तीन दशकों से निरन्तर प्रयास किया जा रहा है। 70 के दशक तक संचालित ग्रामीण विकास कार्यक्रम परीक्ष रूप से गरीबी उन्मूलन में सहायक थे। यह अवधारणा थी कि सकल कृषि उत्पादन में वृद्धि के साथ आय वृद्धि होगी परिणामस्वरूप गरीबों को स्वतः लाभ होगा। परन्तु कृषि उत्पादन वृद्धि का अधिकांश लाभ साधन सम्पन्न किसानों को ही मिला। गरीब किसानों को अपेक्षकृत कम लाभ मिला। फलस्वरूप गरीबी की स्थिति और गम्भीर हुई सरकार का ध्यान इस ओर जाना स्वाभाविक था इसलिए गरीबों को सीधे लाभ पहुँचाने के निमित्त 70 के दशक में गरीबी पर प्रहार की विशिष्ट योजनायें आरम्भ हुई। जिनसे ग्रामीण गरीबों विशेष कर अकुशल श्रमिकों को रोजगार के अवसर सुलभ हो सकें । वर्ष 1971 में क्रैश प्रोग्राम आरम्भ किया गया जिसके माध्यम से गामीण एजेन्सी की स्थापना हुई इन एजेन्सियों द्वारा लघु एवं सीमान्त कृषकों को कृषि यंत्रों एवं कृषि निवेशों हेतु सहायता उपलब्ध हुई। वर्ष 1975 में सुखोन्मुख क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम आरम्भ हुआ। ग्रामीण मजदूरों को रोजगार देने के ही उद्देश्य से काम के बदले अनाज योजना का सूत्रपात वर्ष 1977 में हुआ। प्रत्येक ग्राम पंचायत के 5

गरीबतम् व्यक्तियों को चयनित कर वर्ष 1978 में अन्तयोदय कार्यक्रम के अन्तर्गत लाभान्वित किया गया।

न्यूनतम आवश्कताओं को चिह्नित कर पाँचवीं योजनाकाल से विशेष रूप से धनराशि मात्राकृत करने की व्यवस्था की गयी। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 8 चयनित विषय इस प्रकार थे- 1. प्राथमिक शिक्षा, 2. पेयजल, 3. स्वास्थ्य सेवायें, 4. सम्पर्कमार्ग, 5. विद्युत सुविधा, 6. मलिन बस्तियों का सुधार, 7. महिलाओं एवं बच्चों हेतु पौष्टिक आहार, 8. आवास स्थल विकास एवं उनकी उपलब्धता।

80 के दशक से गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में सुव्यवस्थित एवं सुविचारित अवधारणा के तहत गरीबी पर प्रहार हेतु दो तरफ (टू-प्रांग्ड) प्रहार की रणनीति बनाई गयी। पहली गरीबी पर अल्पकालिक प्रहार की, जिसके तहत मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने की योजनाएँ प्रतिपादित हुईं और दूसरी, गरीबी पर दीर्घकालिक प्रहार की, जिसके अन्तर्गत स्वरोजगार कार्यक्रमों के क्रियान्वयन की व्यवस्था की गयी। पहली रणनीति के तहत राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (आर. एल. ई. पी.) का सूत्रपात हुआ और इसी श्रृंखला में वर्ष 1983 मे ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारन्टी योजना (आर. एल. ई. जी. पी.) लागू की गयी जिससे अकुशल श्रमिकों को निर्माण कार्यो के माध्यम से रोजगार के समुचित अवसर मिले। दूसरी रणनीति के तहत ग्रामीण गरीबों को स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एकीकृत ग्राम विकास योजना एवं इसकी सहभागी योजनाएं एकीकृत ग्राम विकास योजना एवं

इसकी साहभागी योजनाएं अस्तित्व में आयीं। इनमें ट्राइसेम, ड्वाकरा, उन्नत टूल किट्स आदि प्रमुख है।

वर्ष 1999-2000 में महत्वपूर्ण बदलाव हुए है क्योंकि अनेक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों को उनकी प्रभावकारिता तथा स्थायित्व बढ़ाने के लिए पुनर्गठित किया गया है। स्वरोजगार की महत्वपूर्ण योजना स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना आरम्भ हुई। यह अनुभव किया गया कि गरीबी उन्मूलन के उद्देश्य की पूर्ति में वांछित सफलता नही मिल रही है। अतः स्वरोजगार क्षेत्र में संचालित योजनाओं यथा- एकीकृत ग्राम विकास योजना, ट्राइसेम, ड्वाकार, उन्नत टूल किट, गंगा कल्याण येाजना तथा मजदूरी क्षेत्र की योजना 'दस लाख कूप योजना' को समाप्त कर उक्त नई योजना अवधारित हुई। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगारयोजना पूर्व योजनाओं की भाँति मात्र ऋण एवं अनुदान सुलभ कराने की योजना नहीं है जिसमें स्वरोजगारी स्वयं को एक उद्यमी के रूप में विकसित कर सके। इसके निमित्त योजना मे अवस्थापना सुविधाओं के सृजन, कौशल विकास एवं विपणन व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण पर बल दिया गया है। इसके अतिरिक्त ग्रामीण ढांचे के सुधार पर नये सिरे से जोर देने के लिए जवाहर रोजगार येाजना को नया रूप दिया गया है तथा अब इसका नाम जवाहर ग्राम समृद्धि योजना है, जो ग्राम स्तर पर अवस्थापना के विकास के लिए पूर्णतः समर्पित है। सुनिश्चित रोजगार येाजना का भी पुनर्गठन किया गया है। यह एक मजदूरी रोजगार कार्यक्रम है इस योजना के अन्तर्गत 70 प्रतिशत धन राशि क्षेत्र पंचायतों द्वारा तथा 30 प्रतिशत धनराशि जिला पंचायत द्वारा व्यय की जानी है। इन्दिरा आवास योजना के आवासों के स्तरोन्नयन को

भी सम्मिलित किया गया है। सभी ग्रामों/बस्तियों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने के उद्देश्य से इस ग्रामीण पेयजल योजना को सर्वोच्च महत्व दिया जा रहा है।

पंचायती राज व्यवस्था को सुदृढ़ एवं सशक्त करने के मामले में उत्तर प्रदेश अग्रणी रहा है। विगत वर्षों से पंचायतों को प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकारों के हस्तान्तरण में प्रभावी कार्यवाही की गयी है, जिसके दूरगामी परिणाम सामने आएंगे। प्रदेश के आठ विभागों के ग्राम स्तरीय कार्यकर्ताओं की सेवाएं पूर्णतः ग्राम पंचायतों के अधीन कर दी गयी हैं और वे उनके प्रशासनिक नियन्त्रण में कार्य करेंगे। ग्रामीण विकास से सम्बन्धित विभिन्न विभागों यथा ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग, स्वास्थ्य विभाग, सिंचाई विभाग, गन्ना विकास विभाग, कृषि विभाग, लघु सिंचाई विभाग, सहकारिता विभाग आदि ने अपने सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु शासनादेश निर्गत किये हैं।

राज्य वित्त आयोग, दशम वित्त आयोग, जवाहर ग्राम समृद्धि योजना के माध्यम से प्रचुर मात्रा में ग्राम पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों एवं जिला पंचायतों को संसाधनों का अन्तरण हो रहा है। यह पंचायती राज संस्थाएँ इन संसाधनों के सापेक्ष अपनी योजनाएँ तैयार करने, उन्हें अनुमोदित करने एवं क्रियान्वित करने हेतु अधिकृत है। महिलाओं को पंचायती राज संस्थाओं के विभिन्न पदों पर आरक्षण प्रदान कर उनमें जागरूकता उत्पन्न करने एवं पंचायतीराज संस्थाओं में उनकी सहभागिता सुनिश्चित करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है।

5.1 गरीबी

उत्तर प्रदेश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों की संख्या वर्ष 1977-78 में 49.8 प्रतिशत थी, जो वर्ष 1989-99 में घटकर 36.9 प्रतिशत रह गयी है। इस प्रकार 1977-78 की तुलना में 1998-99 में 12.9 प्रतिशत की कमी गरीबी के प्रतिशत में आयी है। ग्रामीण बी. पी. एल. परिवारों की संख्या 71.65 लाख है (उत्तर प्रदेश के 70 जनपदों) जबकि ग्रामीण परिवारों की कुल संख्या 194 लाख है।

प्रदेश के अन्दर बी. पी. एल. परिवारों का न्यूनतम 6.33 प्रतिशत तथा अधिकतम 57.64 प्रतिशत है, जो क्रमशः बागपत एवं हरदोई जनपद में है। 71.65 लाख बी. पी. एल. परिवारों में से 29.24 लाख परिवार लघु कृषकों के परिवार हैं। ग्रामीण दस्तकारों के परिवारो की संख्या लगभग 5.81 लाख है।

- ❖ प्रदेश में लगभग 31.34 लाख परिवार अनुसूचित जाति के हैं जो कुल परिवारों का 44 प्रतिशत है।
- ❖ 8,593 परिवार अनुसूचित जनजाति के हैं
- ❖ लगभग 4.46 लाख परिवार महिला मुखिया के हैं।

उपर्युक्त बी. पी. एल. सर्वे व्यापक सर्वेक्षण के आधार पर पूर्ण किया गया है[1] तथा गरीबी उन्मूलन की सभी योजनायें उक्त बी. पी. एल. सर्वे के आधार पर चिह्मांकित परिवारों को 1.4.99 से आच्छादित कर रही हैं।

स्रोतः- 1, उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान 2002

सारणी - 4

गरीबी की सीमा रेखा के नीचे के लोगों की विगत वर्षों की तुलनात्मक स्थिति

वर्ष	उत्तर प्रदेश (प्रतिशत)	सम्पूर्ण भारत (प्रतिशत)
1983-84	46.45	45.65
1987-88	41.10	39.09
1993-94	42.28	37.27
1998-99	36.94	34.22

(स्रोतः- योजना, अगस्त 2000)

5.2 ग्राम्य विकास की योजनाएँ

स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना -

गरीबी उन्मूलन के क्षेत्र में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना, ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बालोत्थान कार्यक्रम (ड्वाकरा) उन्नत टूल किट् योजना, गंगा कल्याण योजना, मिलियन वेल विगत दो दशकों से संचालित की जा रही थी। एक ही उद्देश्य की पूर्ति हेतु विभिन्न योजनाओं के क्रियान्वयन, उनके अलग-अलग प्राविधानों, वित्तीय एवं कार्यक्रम प्रबन्धन से जो जटिलता उत्पन्न हो रही थी, वह मुख्य उद्देश्य की प्राप्ति में बाधक थी। इसी पृष्ठभूमि में उपर्युक्त सभी छः कार्यक्रमों को विलीन कर स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना का सूत्रपात हुआ। जिसके स्वरूप में समग्रता है। पूर्व योजनाओं के सभी लाभकारी प्रावधानों को

इसमें समाहित किया गया है और अनुपयोगी अंशो का परित्याग किया गया है। योजना के मुख्य बिन्दु निम्नवत् है :

- प्रभावी नियंत्रण अवस्थापना सुविधाओं के विकास एवं तकनीकी हस्तान्तरण की आसानी के लिए क्लस्टर पद्धति का अनुसरण किया गया है।
- योजना के अन्तर्गत स्थानीय संसाधनों, विपणन, व्यवस्था आदि पर आधारित मुख्य क्रिया-कलापों का चयन किया जाना है जिससे उनकी आर्थिक उपादेयता सुनिश्चित रहे।

योजना का उद्देश्य-

योजना का उद्देश्य चयनित स्वरोजगारी को 2-3 वर्ष में 2000 रू. प्रतिमाह की शुद्ध आय अर्जित करने के योग्य बनाना है जिससे वह गरीबी की रेखा से ऊपर उठ सकें।

योजना का लक्ष्य -

योजना सकल चिन्हित गरीब परिवारों में से 30 प्रतिशत परिवारों को आगामी 5 वर्षों में गरीबी की सीमा रेखा से ऊपर उठाना है।

योजनान्तर्गत स्वयं सहायता समूह-

योजना की रणनीति का एक विशिष्ट बिन्दु इसे स्वयं सहायता के माध्यम से क्रियान्वित करना है, जिसके लिए स्वयं सहायता समूहों का गठन करना है। यह विचारधारा कोई नई नहीं है, नाबार्ड द्वारा प्रचलित बैकिंग व्यवस्था से हटकर इस व्यवस्था को विकसित

किया गया है और अनेक क्षेत्रों में प्रतिष्ठित संस्थाओं/संगठनों के माध्यम से इस समूह पद्धति के सफल प्रयोग हुए हैं। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजनान्तर्गत समूहों का गठन ग्राम रूट स्तर पर होना है। यह ध्यान रखा जाना है कि स्वयं सहायता समूह स्वतः अस्तित्व में आने वाले घटक नहीं हैं। समूह गठन में इस बात पर ध्यान दिया जाएगा कि सदस्यों की आर्थिक, सामाजिक पृष्ठभूमि में एकरूपता हो और उपनी गरीबी दूर करने की ललक हो। स्वयं सहायता समूहों की सफलता एवं सार्थकता का मुख्य आधार सदस्यों की निरन्तर, नियमित और निर्धारित बचत है, जिससे बाद में आन्तरिक ऋण की व्यवस्था की जाय। वस्तुतः इसी व्यवस्था की सफलता में समूह की सफलता और अग्रेतर वृहत्तर दायित्व के निर्वाहन की क्षमता निहित है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार गठित स्वयं सहायता समूहों से अलग करती है। गठन के छह माह बाद परीक्षणोपरान्त इन समूहों को बैंक द्वारा ऋण दिलाया जायेगा। इन ऋणों को चुकाने की गारन्टी सम्पूर्ण समूह की होगी।

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना -

जवाहर ग्राम समृद्धि योजना 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई ताकि पूर्ववर्ती जवाहर रोजगार योजना को पुनर्गठित करके ग्राम स्तर पर ग्रामीण ढाँचागत सुविधाओं के विकास को सुनिश्चित किया जा सके। जवाहर ग्राम समृद्धि योजना का प्राथमिक उद्‌देश्य ग्राम स्तर पर लोगों की माँग पर स्थायी परिसम्पत्तियों सहित सामुदायिक ग्रामीण ढाँचा तैयार करना और ऐसी परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है जिनसे ग्रामीण निर्धनों के लिए रोजगार के स्थायी

अवसरों में बढ़ोत्तरी हो सके। इसका गौण उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धन बेरोजगारी के लिए मजदूरी रोजगार का सृजन करना है।

वित्त पोषण का तरीका -

यह कार्यक्रम केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना के रूप में लागू किया गया है और केन्द्र तथा राजय को 75 : 25 के अनुपात में इसका खर्च वहन करना होता है। केन्द्रशासित प्रदेशों के मामले में योजना की सारी राशि केन्द्र सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जाती है।

आरम्भ किए जाने वाले कार्य-

ऐसी सभी कार्यो जिनसे स्थायी उत्पादक सामुदायिक परिसम्पत्तियों का सृजन होता है, को पंचायत द्वारा शुरू किया जा सकता है। ग्रामीण ढाँचा सृजित करते समय जवाहर रोजगार योजना के अन्तर्गत निर्धारित 60 : 40 के मजदूरी-सामग्री अनुपात में समुचित रूप से रियायत दी गई है, ताकि माँग जनित ग्रामीण ढाँचा तैयार किया जा सके। तथापि यह सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरती गई है कि न केवल सामग्री उन्मुख कार्य ही शुरू किए जाएं, बल्कि इसके साथ ही कम लागत वाली स्थायी प्रौद्योगिकी वाले श्रम गहन कार्यो को शुरू करने के प्रयास भी किए जाने चाहिए।

ग्रामीण आवास यॊजना-

ग्रामीण क्षेत्रों में गरीब परिवारों के लिए आवास की समस्या दूर करने के उद्‌देश्य से उत्तर प्रदेश में भारत सरकार द्वारा ग्रामीण आवास कार्यक्रम के अन्तर्गत निम्नलिखित योजनाएं क्रियान्वित की जा रही है:

1. इन्दिरा आवास योजना
2. ऋण एवं अनुदान ग्रामीण आवास योजना
3. समग्र आवास योजना
4. ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए अभिनव योजना
5. ग्रामीण भवन केन्द्र
6. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)

इन्दिरा आवास यॊजना -

भारत सरकार द्वारा वर्ष 1985-86 से इन्दिरा आवास योजना चलाई जा रही है, जिसका उद्‌देश्य गामीण क्षेत्रों में गरीबी की रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा मुक्त बंधुआ मजदूरों को मुफ्त आवास उपलब्ध कराना है। वर्ष 1993-94 से इसके कार्यक्षेत्र में गैर-अनुसूचित जाति/जनजातियों को मिलने वाला लाभ इन्दिरा आवास योजना आवंटन के 40 प्रतिशत से अधिक न हो। इस योजना का लाभ युद्ध में मारे गये सशस्त्र और अर्द्धसैनिक बलों के जवानों के परिवारों को भी प्रदान किया गया है।

इनमें से 3 प्रतिशत मकान ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले गरीबी की रेखा से नीचे के विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित किये गये है।

इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत निर्माण सहायता की अधिकतम सीमा इस समय मैदानी क्षेत्रों के लिए 20,000 रूपये और पहाड़ी/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 22,000 रूपये प्रति इकाई है। ग्राम सभा को इस योजना के अन्तर्गत लाभार्थियों का चयन करने का अधिकार प्राप्त है। इसके अलावा, आवास इकाई का आवंटन लाभार्थी परिवार की महिला सदस्य के नाम किया जाना चाहिए। इसका आवंटन पति और पत्नी दोनों के नाम पर भी किया जा सकता है। स्वच्छ शौचालय और धुआँरहित चूल्हा इन्दिरा आवास योजना का अभिन्न अंग है। मकान का निर्माण लाभार्थी की जिम्मेदारी है। इन्दिरा आवास योजना के मकानों का निर्माण और सुपुर्दगी कोई बाहरी एजेंसी जैसे सरकारी विभाग, गैर-सरकारी संगठन आदि नहीं कर सकती है।

ऋण एवं अनुदान ग्रामीण आवास योजना-

ग्रामीण आवास सम्बन्धी ऋण-सह-सब्सिडी योजना 1 अप्रैल, 1999 से शुरू की गई है। योजना का लक्ष्य 32,000 रू. तक की वार्षिक आय वाले ग्रामीण परिवार है। यद्यपि सब्सिडी 10,000 रूपये तक सीमित है, परन्तु अधिकतम 40,000 रूपये ऋण की राशि प्राप्त की जा सकती है। सब्सिडी केन्द्र तथा राज्यों द्वारा 75 : 25 के अनुपात में वहन की जाती है। ऋण का वितरण वाणिज्यिक बैंको, आवास वित्त संस्थानों आदि द्वारा किया जाता है।

ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास के लिए अभिनव योजना-

ग्रामीण क्षेत्रों में इमारत/मकान क्षेत्रों में अभिनव, किफायती और पर्यावरण अनुकूल समाधानों को प्रोत्साहन देने के लिए यह योजना 1.4.1999 से शुरू की गई है।

ग्रामीण निर्मित केन्द्रों की स्थापना-

ग्रामीण निर्मित केन्द्र स्थापित करने के प्राथमिक उद्देश्य हैं:

(क) प्रौद्योगिकी हस्तान्तरण और सूचना का प्रसार

(ख) प्रशिक्षण के जरिए कौशल उन्नयन

(ग) किफायती और पर्यावरण अनुकूल सामग्रियों/घटको का उत्पादन।

समग्र आवास योजना-

समग्र आवास योजना को ऐसे जनपदों में जिनकी पहचान त्वरित ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भागीदारी दृष्टिकोण कार्यान्वित करने के लिए की गई है, शुरू करने का निर्णय किया गया है। आवास पेयजल और स्वच्छता सम्बन्धी मौजूदा योजनाएं सामान्स वित्त पोषण पद्धति का अनुपालन करेंगी। तथापि समग्र पर्यावरण विकास और सूचना, शिक्षा एवं सेंचार कार्य को शुरू करने के लिए लोगों से मिलने वाले 10 प्रतिशत योगदान सहित प्रत्येक खण्ड को 25 लाख रूपये की केन्द्रीय सहायता प्रदान की जायेगी। प्रदेश में लखनऊ जनपद का बख्शी का तालाब विकास के लिए योजना तैयार कर भारत सरकार की स्वीकृति के लिए प्रेषित की गयी है।

सारणी - 5

भौतिक एवं वित्तीय उपलब्धियाँ

वर्ष	खर्च (करोड़ रू. में)	निर्मित मकानों की संख्या	इकाई लागत सामान्य/कठिनाई क्षेत्र (रू. में)
1997-98	288.41	1,37,396	20,000/22,000
1998-99	371.51	1,81,274	20,000/22,000
1999-2000	279.57	1,55,248	20,000/22,000
2000-2001	266.50	1,54,697	20,000/22,000
योग	2026,71	12,59,064	

(स्रोत :- उत्तर प्रदेश ईयर बुक 2002, उपकार प्रकाशन)

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना-

ग्रामीण क्षेत्रों के सर्वांगीण विकास के लिए माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा दिनांक 15.8. 2000 को प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 6 महत्वपूर्ण योजनाओं के प्रारम्भ करने की घोषणा की गयी, जो निम्नलिखित है:-

1. ग्रामीण सड़कों का निर्माण

2. ग्रामीण आवास

3. पुष्टाहार

4. स्वास्थ्य

5. पेयजल

6. बेसिक शिक्षा

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना-

प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का राज्य स्तर पर शुभारम्भ 25.12.2000 को माननीय प्रधानमंत्रीजी द्वारा किया गया। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत अगले 3 वर्षों में वर्ष 2003 तक 1,000 से अधिक आबादी वाले प्रत्येक ग्रामों को सर्वऋतु योग्य सम्पर्क मार्गों से जोड़ने की योजना है तथा 2007 तक 500 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक ग्राम को पक्के सम्पर्क मार्ग से जोड़ा जायेगा।

वित्तीय वर्ष 2000-2001 में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत 315.78 करोड़ रूपये की धनराशि मार्च के अन्तिम सप्ताह में न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रम के अपूर्ण चालू कार्यों हेतु अवमुक्त की गई है। इसके अतिरिक्त लखनऊ जनपद के लिए 4.22 करोड़ रूपये नये कार्यों के लिए भारत सरकार द्वारा धनराशि अवमुक्त की गई है। योजना के क्रियान्वयन हेतु 14 जनपदों में ग्रामीण अभियंत्रण सेवा की डेडीकेट यूनिट तथा 56 जनपदों में लोक निर्माण विभाग की इकाई को डेडिकेटेड यूनिट के रूप में गठन किया गया है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)- ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों में आवास की कमी को दूर करने तथा इन क्षेत्रों में पर्यावरण विकास में मदद करने

हेतु इन्दिरा आवास के पैटर्न पर प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास 2000-2001) कार्यान्वित की जा रही है।

योजना अन्तर्गत लक्ष्य समूह में ग्रामीण क्षेत्र में बी. पी. एल. के नीचे जीवनयापन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति तथा बंधुआ मजदूर वर्ग के लोग तथा अनुसूचित जाति /जनजाति के लोग है। गैर अनुसूचित जाति/जनजाति के बी. पी. एल. के नीचे के परिवारो के लिए आवासों के निर्माण हेतु वित्तीय वर्ष में योजनान्तर्गत कुल आवंटन के 40 प्रतिशत से ज्यादा का उपयोग नहीं किया जायेगा। विकलांग लोगों के लिए निधियों का 3 प्रतिशत आरक्षित किया जायेगा।

योजना के तहत निर्माण सहायता के लिए रू. 20 प्रति व्यक्ति मकान है और न रहने लायक कच्चे मकानों को पक्का/अर्द्ध पक्का मकानों में बदलने के लिए अधिकतम सहायता 10 हजार रू. होगी। वित्तीय वर्ष 2000-2001 हेतु 52.34 करोड़ का परिव्यय निर्धारित किया गया, जिसमें से नये आवासों 20,937 के निर्माण हेतु 41.87 करोड़ रूपये तथा 10,469 अपग्रेडेशन आवासों के लिए 10.469 करोड़ रूपये है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल)-

वित्तीय वर्ष 2000-2001 से प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण पेयजल) संचालित की जा रही है। इस योजना को केन्द्र सरकार द्वारा अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता में 70 प्रतिशत ऋण तथा 30 प्रतिशत अनुदान के रूप में होगी। योजना अन्तर्गत कुल आवंटन का 25

प्रतिशत धनराशि जल संरक्षण, वाटर हार्वेस्टिंग, वाटर रिचार्जिंग पर व्यय की जायेगी। शेष 75 प्रतिशत धनराशि का उपभोग अनाच्छादित तथा आंशिक रूप से आच्छादित बस्तियों में स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने पर उपभोग किया जायेगा। योजना का कार्यान्वयन जन सहभागिता तथा पंचायतों का अधिकतम सहयोग लेकर जल निगम द्वारा किया जायेगा। भारत सरकार द्वारा इस योजना के अन्तर्गत अनुदान की धनराशि 2018.10 लाख रू. तथा ऋण के रूप में 4708.90 लाख रू. की धनराशि (कुल 6,727.00 लाख रू.) अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता के रूप में राज्य सरकार को आवंटित की गयी जिसे जनपदों को मार्च, 2001 में अवमुक्त किया जा चुका है।

ग्रामीण पेयजल योजना-

इस योजना का प्रमुख उद्देश्य सामान्य, अनुसूचित जाति/जनजाति बाहुल्य क्षेत्रों में तथा प्राथमिक विद्यालयों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराना है। वर्तमान समय में जल निगम के सहयोग से 5 योजनायें चलायी जा रही है।

1. अनुसूचित जाति/जनजाति पेयजल येाजनाः यह योजना प्रदेश सरकार की शत-प्रतिशत अनुदान के अन्तर्ग समस्याग्रस्त स्रोत विहीन अनुसूचित जाति/जनजाति की बस्तियों, ग्राम एवं मजरों में शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने के लिये इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्प लगाकर चलायी जा रही है।

2. न्यूनतम आवश्यकता कार्यक्रमः प्रदेश के समस्त जनपदों में हैण्डपम्प एवं पाइप पेयजल योजना का कार्य जिला योजना के आधार पर किया जा रहा है।

3. त्वरित कार्यक्रमः इसमें 250 व्यक्तियों पर एक हैण्डपम्प लगाकर पेयजल से संतृप्त किया जा रहा है।

4. गुणवत्ता प्रभावित कार्यक्रमः इसमें त्वरित कार्यक्रम की अधिकतम 20 प्रतिशत धनराशि व्यय की जा सकती है। इस कार्यक्रम में रासायनिक अशुद्धियों (फ्लोराइड, लोहा तथा खारा पानी) से प्रभावित ग्रामों में पाइप पेयजल योजना के माध्यम से शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाता है।

5. डच कार्यक्रमः आठ जनपदों अलीगढ़, मुरादाबाद, बदायूँ, उन्नाव, कानपुर देहात, कानपुर नगर, सिद्धार्थनगर और बलिया में हैण्डपम्प लगाने का कार्य जनसहभागिता के आधार पर किया जा रहा है।

जन सहभागिता पर आधारित ग्रामीण पेयजल योजना (जलनिधि)

सेक्टर रिफर्म योजना समुदाय आधारित जलापूर्ति एवं स्वच्छ व्यवस्था हेतु अग्रगामी परियोजना है। उक्त योजना के संचालन हेतु राज्य स्तर पर सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम के अधीन उत्तर प्रदेश जलापूर्ति एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है जिसका पंजीकृत कार्यालय 1040 जवाहर भवन, लखनऊ में स्थित है। पाइलेट प्रोजेक्ट के रूप में इस योजना से आगरा, चन्दौली, लखनऊ, मिर्जापुर एवं सोनभद्र अर्थात पाँच जनपदों के समस्याग्रस्त गाँव

आच्छादित किये जाने हैं। जनपद स्तर पर भी योजना के क्रियान्वयन के लिए सोसाइटीज रजिस्ट्रेशन अधिनियम 1860 के अधीन जनपद जलापूर्ति एवं स्वच्छता मिशन का गठन किया गया है।

सारणी - 6
ग्रामीण पेयजल योजना के अन्तर्गत विभिन्न जनपदों में व्यय

क्र.स.	जनपद का नाम	स्वीकृति (करोड़ में)	अवमुक्त धनराशि (करोड़ में)	व्यय धनराशि (लाख में)
1	आगरा	30	08.41	03.60
2	चन्दौली	25	07.01	00.02
3	लखनऊ	40	11.22	26.78
4	मिर्जापुर	30	08.41	02.93
5	सोनभद्र	25	07.01	07.62
	योग	150	42.06	40.95

(स्रोतः- योजना, अगस्त 2002)

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम

राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यक्रम वर्ष 1983-84 से प्रयोग के रूप में प्रारम्भ किया गया था। क्षेत्रीय आवश्यकताओं के अनुरूप परिवर्तनकारी वैज्ञानिक निवेशों और उपर्युक्त कार्यान्वयन पद्धति के कारण व्यापक रूप से लाभार्थियों द्वारा कार्यक्रम अपनाया जा रहा है।

यह योजना शत प्रतिशत भारत सरकार से वित्त पोषित है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य की धुएँ से सुरक्षा पर्यावरण सुधार तथा वन कटाव रोकने तथा स्थानीय कार्यकर्ताओं को चूल्हा निर्माण एवं रखरखाव के अन्तर्गत रोजगार प्रदान करना है।

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम

राष्ट्रीय बायोगैस विकास कार्यक्रम, अपारम्परिक ऊर्जा स्रोत मंत्रालय भारत सरकार का महत्वपूर्ण कार्यक्रम है जो भारत सरकार द्वारा शत-प्रतिशत वित्त पोषित है। इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं लाभार्थियों का चयन किया जाता है जा इनमें रूचि रखते है इसे मात्र सरकारी येाजना न समझकर वह अपने व परिवार के विकास का एक आवश्यक अंग मानते हों, साथ ही इस योजना के अंगीकार करने के इच्छुक भी हों। इस योजना के अन्तर्गत उन्हीं लाभार्थियों का चयन किया जाता है, जिनके पास पर्याप्त पशु होते हैं और उनके पालन-पोषण की क्षमता होती है।

बायोगैस संयंत्र द्वारा पशुओं के गोबर से गैस और गोबर के घोल से उत्तम खाद प्राप्त होती है। बायोगैस खाना बनाने व रोशनी के काम आती है और गैस बनने के पश्चात् प्राप्त गोबर के घोल को खाद के रूप में खेतों में डालते हैं। वर्ष 2000-2001 में इस योजना के तहत 9,418 संयंत्र लगाये गये जिस पर 200.1 लाख रूपए व्यय किय गये।

विधायक निधि

यह योजना उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 1989-99 में प्रारम्भ की गयी। इस योजना का उद्देश्य क्षेत्र का संतुलित विकास करते हुए जनता की विभिन्न कार्यों की तात्कालिक माँग की पूर्ति करना है, योजना शत-प्रतिशत राज्य पोषित है। निर्माण कार्य के लिए विधायक मुख्य विकास अधिकारी के पास प्रस्ताव भेजते हैं। यह आवश्यक है कि प्रस्ताव प्राप्त होने की तारीख से 45 दिनों के भीतर इसकी स्वीकृति प्रदान कर दी जानी चाहिए। विधायक निधि द्वारा व्यय की गयी धनराशि का ऑडिट ग्राम्य विकास विभाग द्वारा किया जायेगा।

सारणी - 7

विधायक निधि की वित्तीय प्रगति (रू. लाख में)

वर्ष	वार्षिक परिव्यय	व्यय	प्रतिशत
1989-99	133.50	118.57	89
1999-2000	267.00	224.19	84
2000-2001	393.39	130.81	33

(स्रोतः- परीक्षा मंथन, नवम्बर 2001)

अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना (ए. वी. आर. वाई.)

आबादी के दृष्टिकोण से उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा प्रदेश है और प्रदेश की आबादी का अधिकांश भाग कृषि व्यवसाय से जुड़ा हुआ है। बढ़ती हुई जनसंख्या एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के साधनों की पर्याप्त उपलब्धता के अभाव के कारण खेती योग्य भूमि पर अत्यधिक दबाव रहा। फलस्वरूप अनुकूलतम आय हेतु रोजगार के अवसरों की मांग बढ़ी

और इसी दृष्टिकोण के मद्देनजर प्रदेश के स्थानीय संसाधनों एवं आवश्यकताओं को देखते हुए बहुमुखी एवं बहुआयामी स्वरोजगार परियोजनाओं के निर्माण व संचालन पर बल दिया गया जिससे कि ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार उपलब्ध हो सके। इस हेतु 'प्रोजेक्ट एप्रोच' के आधार पर एक विशेष रोजगार योजना के स्वरूप में दिनांक 25 सितम्बर, 1991 से प्रारम्भ की गयी तो सम्प्रति अम्बेडकर विशेष रोजगार योजना के नाम से क्रियान्वित है। इस योजना का प्रमुख उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय संसाधनों एवे आवश्यकताओं को देखते हुए बहुआयामी योजनाओ का निर्माण/विस्तार कर स्थानीय स्तर पर सतत रोजगार के अवसर सृजित करना है।

योजना अलग-अलग क्षेत्रों में स्थानीय भौगोलिक, सामाजिक-आर्थिक विशिष्टताओं एवं सम्भावनाओं के अनुरूप रोजगारपरक परियोजनाओं का निर्माण व संचालन इसकी विशिष्टता है।

योजना का आधार -

योजना का क्रियान्वयन 'प्रोजेक्ट एप्रोच' के आधार पर होगा जिससे लाभार्थियों को प्रशिक्षण, कच्चे माल की उपलब्धता, वित्तीय व्यवस्था तथा उत्पाद सेवाओं हेतु प्रभावशाली विपणन व्यवस्थाकी सुनिश्चितता तथा विभिन्न विभागों के संसाधनों का सामंजस्य हो सके इसके लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संसाधनों की उपलब्धता एवं दक्षता के आधार पर जनपद स्तर से अम्बेडकर विशेष रोजगार (ए. वी. आर. वाई.) मानकों के अनुरूप प्रस्ताव तैयार कर

सम्बन्धित विभाग के माध्यम से प्रस्तुतीकरण तथा परिक्षणोपरान्त अनुमोदन एवं तद्नुसार क्रियान्वयन किया जायेगा।

प्रशासनिक स्वरूप -

उपर्युक्त सभी मार्गदर्शक बिन्दुओं, सिद्धान्तों को दृष्टिगत रखते हुये परियोजनाओं के अनुमोदन हेतु कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय टास्क फोर्स गठित है जिसमें विभिन्न विभागों यथा वित्त, नियोजन, खादी, पशुधन/मत्स्य, लघु उद्योग, रेशम विकास, दुग्ध विकास, संस्थागत वित्त, समाज कल्याण के प्रमुख सचित/सचिव एवं निदेशक संस्थागत वित्त, निबंधक सहकारी समितियों, मुख्य महा प्रबन्धक, नाबार्ड के प्रतिनिधि, स्टेट लेबिल लीड बैंक के प्रतिनिधि, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक (सीडवी) के प्रतिनिधि सदस्य के रूप में तथा संयोजक सदस्य सचिव ग्राम्य विकास विभाग नामित है। उच्चस्तरीय टास्क फोर्स में प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने से पूर्व प्रोजेक्टस की समीक्षा सम्बन्धी विभिन्न कार्यों के लिए सचिव ग्राम्य विकास की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय प्रोजेक्ट परीक्षण एवं समन्वय समिति तथा विशेष सचिव नियोजन, वित्त एवं ग्राम्य विकास की उपसमिति का गठन किया गया है। इस समिति में शासन स्तर पर स्थापित प्रोजेक्ट अप्रेजल एवं अनुश्रवण प्रकोष्ठ के द्वारा प्रोजेक्ट का तकनीकी परीक्षण (अप्रेजल) के दृष्टिगत परियोजना की गहन समीक्षा की जाती है।

उपर्युक्त के अतिरिक्त योजना के प्रशासनिक स्वरूप में तृतीय स्तर पर, जिलास्तरीय प्रोजेक्ट निर्माण एवं क्रियान्वयन समिति का गठन है।

योजनाओं के उपर्युक्त प्रशासनिक स्वरूप का उपयोग करते हुए योजना को गतिशील बनाने का प्रयास किया गया। परिणामस्वरूप मार्च 2001 तक विभिन्न स्वभाव की 174 परियोजनाएँ संचालन हेतु स्वीकृत की गयीं। जिनमें से उत्तरांचल राज्य गठन के उपरान्त उत्तर प्रदेश के लिए 148 योजनाएँ हैं।

रोजगार छतरी योजना

प्रदेश में बढ़ती हुई आबादी के परिणामस्वरूप जनशक्ति को पर्याप्त रोजगार के अवसर उपलब्ध हो सके इस चिन्तनस्वरूप रोजगार सृजन की प्राथमिकता मानी गयी है अतएव बेरोजगार युवक, भूमिहीन मजदूर, लघु एवं सीमान्त किसान, ग्रामीण दस्तकार व अन्य ग्रामीण तथा नगरीय क्षेत्र के जो लोग काम करना चाहते हैं तथा रूचि रखते हैं उन्हें रोजगार संकल्प के अन्तर्गत चिन्हित रोजगार कार्यक्रम व योजनाओं में लाभान्वित करने के उद्देश्य से रोजगार संकल्प का शुभारम्भ किया गया है। विशेष रूप से गरीबी की रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले लोगों को लाभान्वित करने हेतु विशेष बल दिया जाता है।

इस दृष्टि से रोजगार सृजन से सम्बन्धित विभिन्न विकास विभागों यथा- ग्राम्य विकास, खादी ग्रामोद्योग, रेशम विकास उद्योग, हथकरघा एवं वस्तु उद्योग, अल्पसंख्यक कल्याण, समाज कल्याण, दुग्ध विकास, विकालांग कल्याण नगर विकास (सूडा), पिछड़ा वर्ग

कल्याण, इलेक्ट्रॉनिक्स, पशुपालन एवं वन आदि को चिन्हित करते हुये किया गया है, जिससे उपलब्ध संसाधनों को समुचित उपयोग व यथाआवश्यक लिंकजेज का समावेश होकर सुनिश्चित प्रयास सम्भव हो सके। इसीलिये इन समन्वित व संगठित प्रयासों हेतु रोजगार संकल्प को रोजगार छतरी योजना भी कहते हैं।

रोजगार संकल्प की उपलब्धि की समीक्षा हेतु प्रशासनिक स्वरूप के रूप में निम्नस्तरीय समिति गठित है:

<u>राज्य स्तर पर</u> - कृषि उत्पादन आयुक्त एवं अपर मुख्य सचिव महोदय की अध्यक्षता में राज्य संकल्प समिति।

<u>मण्डल स्तर पर</u>- आयुक्त अध्यक्षता में मण्डल संकल्प समिति।

<u>जनपद स्तर पर</u>- जिलाधिकारी की अध्यक्षता में जिला संकल्प समिति।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में 5 लाख 38 हजार 270 लोगों के लक्ष्यय के सापेक्ष्य 5 लाख 38 हजार 270 लागो के लक्ष्य के सापेक्ष्य 5 लाख 29 हजार 930 (98.45 प्रतिशत) लोगों के लिये रोजगार अवसर सृजित हुये। वित्तीय वर्ष 2000-2001 की अवधि में रोजगार संकल्प के अन्तर्गत प्रदेश में 10 लाख लोगों को रोजगार के अवसर प्रदान करने का प्रयास है।

<u>दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम विकास संस्थान</u>

ग्राम विकास के मुख्य लक्ष्य ग्रामीण अंचल में रोजगार सुविधाओं को सहज रूप से उपलब्ध कराने तथा ग्रामीण जनसमुदाय की स्थिति में परिवर्तन लाने के प्रयासें की ओर ही

केन्द्रित है। इन कार्यक्रमों के लिए दक्ष समर्पित सरकारी तथा गैर सरकारी कार्यकर्ता जरूरी हैं, जोकि एक बहुत चुनौतीपूर्ण कार्य है। चूँकि प्रशिक्षण, अनुसन्धान तथा विकास एक दूसरे से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए हैं अतः नीति-निर्माताओं तथा कार्यक्रम संचालकों, दोनों को शिक्षित करना आवश्यक है।

दीनदयाल उपाध्याय राज्य ग्राम्य विकास संस्थान इसी उद्देश्य के साथ प्रशिक्षण, शोध संस्था के रूप में कार्य कर रहा है। संस्थान उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से 22 किमी. दूर लखनऊ-सीतापुर राष्ट्रीय मार्ग से इन्दौराबाग जाने वाले उप मार्ग पर स्थित है। बख्शी का तालाब रेलवे स्टेशन भी इससे मात्र 3 किमी. दूर है।

इस संस्थान से 2 किमी. की परिधि में ही सामुदायिक विकास खण्ड, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, क्षेत्रीय ग्राम्य विकास संस्थान तथा लघु सिंचाई प्रशिक्षण संस्थान है। इस प्रकार संस्थान बख्शी का तालाब में विभिन्न प्रशिक्षण संस्थानों के कॉम्पलेक्स के रूप में उभर रहा है और वह संस्थान केन्द्र बिन्दु के रूप में उन्हें मदद तथा सहयोग प्रदान करता है। ग्रामीण अंचल में स्थित होने से निकट गाँवो के स्थल भ्रमण का लाभ भी प्रशिक्षणार्थियों को सहज ही उपलब्ध हो जाता है।

पोषणा परियोजना

उत्तर प्रदेश में 55 प्रतिशत महिलाएँ एवं बच्चे कुपोषित हैं। इस कुपोषण का कारण बीमारियाँ, अनुपयुक्त आहार, माँ एवं बच्चे की देखभाल में कमी, स्वच्छ वातावरण का अभाव आदि है। प्रदेश में कुपोषण की इस स्थिति को देखते हुए इस दिशा में सक्रिय सहयोग करने

हेतु राज्य ग्राम्य विकास संस्थान अपने परम्परागत कार्यभार ग्राम्य विकास सम्बन्धित प्रशिक्षणों के संचालन के साथ-साथ अब एक अलग तरह का कार्यक्रम पोषणा परियोजना को यूनीसेफ के सहयोग से संचालित कर रहा है। यूनीसेफ इस पायलट प्रोजेक्ट को शत-प्रतिशत आर्थिक सहायता प्रदान कर रहा है। यह परियोजना लखनऊ जनपद के बक्शी का तालाब तथा चिनहट विकास खण्डों में क्रियान्वित की जा रही है। पोषणा परियोजना अर्थात् पोषण, स्वास्थ्य एवं स्वच्छता पर आधारित सहभागी कार्यक्रम का मुख्य उद्‌देश्य सामुदायिक सहभागिता के माध्यम से कुपोषण की दर में कमी लाना है। यह कार्यक्रम मुख्यतः विभिन्न सरकारी तथा गैर सरकारी विभागों, संस्थाओं के आपसी समन्वय पर आधारित है।

5.3 समाज कल्याण

समाज कल्याण विभाग की स्थापना वर्ष 1948-49 में हुई थी और उस समय इस विभाग का नाम 'हरिजन सहायक विभाग' था। अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों को इसके पूर्व शिक्षा विभाग के कुछ शैक्षिक सुविधायें दी जाती थीं इसके अतिरिक्त वर्ष 1940-41 में 'रिक्लेमेंशन विभाग' के नाम से एक अलग विभाग संचालित था। इसका मुख्य कार्य उन जातियों का कल्याण करना था जो उस समय अपराध की ओर उन्मुख थीं और यह विभाग तत्कालीन समय में रिक्लेमेंशन अधिकारी के अधीन था। कुछ समय तक समाज कल्याण विभाग एवं रिक्लेमेंशन विभाग दोनों ही साथ-साथ कार्य करते रहे एवं तत्पश्चात् रिक्लेमेंशन विभाग के समस्त कार्य को 'हरिजन सहायक विभाग' में सम्मिलित कर दिया गया। वर्ष 1955

में समाज कल्याण विभाग की स्थापना की गई जिस वर्ष 1961 में अलग-अलग मानते हुए निदेशक, हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के अधीन कर दिया गया[2]। सामन्जस्य तथा समन्वय की दृष्टि से अलग-अलग चल रहे हरिजन सहायक विभाग एवं समाज कल्याण विभाग को वर्ष 1977-78 में सभी स्तरों पर विलीनीकरण कर 'हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग' कर दिया गया। वर्ष 1991-92 में विभाग का नाम समाज कल्याण विभाग कर दिया। उत्तर प्रदेश शासन द्वारा 1995-96 में अल्पसंख्यक कल्याण विभाग एवं इससे सम्बन्धित निदेशालय का अलग से गठन कर दिया गया एवं उनसे सम्बन्धित समस्त योजनाओं को समाज कल्याण विभाग से स्थानान्तरण करके सम्बन्धित विभागों को संचालन हेतु दे दिया गया।

विभाग के मूल उद्देश्य, कार्यक्रम एवं उपलब्धियाँ

वर्तमान में समाज कल्याण विभाग द्वारा कमजोर वर्गो, अनुसूचित जातियों तथा जनजातियों के कल्याण सेक्टर के अन्तर्गत अनुसूचित जातियों/विमुक्त जातियों के व्यक्तियों के कल्याण हेतु विभिन्न कल्याणकारी योजनायें चलाई जा रही हैं जिन्हें मुख्यतः शैक्षिक, आर्थिक, सामाजिक एवं अन्य योजनाओं के अन्तर्गत वर्गीकृत किया जा सकता है। विभाग द्वारा संचालित इन योजनाओं को मुख्य उद्देश्य यह है कि सदियों से पिछड़े व उपेक्षित, अशक्त, असहाय एवं दुर्बल लोगों का जीवन स्तर इस योग्य बनाया जा सके कि यह भी समाज के अन्य विकसित एवं उन्नत लोगों के बराबरी के स्तर पर आ सके तथा खुशहाली का जीवन

व्यतीत करने के लिए उन सभी आवश्यक आवश्यकताओं की पूर्ति उन्हें की जा सके, वे स्वतंत्र भारत के नागरिक होने के नाते प्राप्त करने के अधिकारी हैं।

विभाग द्वारा संचालित एवं छात्रावासों की स्थापना तथा आर्थिक समस्याओं के निराकरण हेतु उत्पीड़न की घटनाओं में आर्थिक सहायोग प्रदान किये जाने, पुत्रियों की शादी एवं परिजनों की बीमारी हेतु अनुदान दिया जाना मुख्य है। स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अन्तर्गत संचालित मुख्य योजनाओं जिन्हें अनुसूचित जाति वित्त एवं विकास निगम द्वारा संचालित किया जाता है, में स्वतः रोजगार योजना, विमुक्ति एवं पुनर्वास योजनायें प्रमुख हैं। इसके अतिरिक्त विभाग द्वारा निःशुल्क बोरिंग योजना भी संचालित की जा रही है। उत्तर प्रदेश में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं कमजोर वर्ग के लोगो के लिए छात्रावास निर्माण, आश्रम पद्धति, विद्यालयों का निर्माण, आई. ए. एस./पी. सी. एस. कोचिंग सेन्टर आदि संचालित हैं। छात्रवृत्ति योजना में वर्ष 1998-99 वर्ष में कुल 78,90,000 छात्रों को लाभान्वित किया गया है एवं वर्ष 1999-2000 में 85,000,00 छात्र लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य निर्धारित है तथा वर्ष 2000-2001 में कुल 95,01,234 छात्रों को लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया है। अत्याचार उत्पीड़न के अन्तर्गत वर्ष 1998-99 में 6,355 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई।

स्पेशल कम्पोनेन्ट प्लान के अनतर्गत समाज कल्याण निदेशालय द्वारा संचालित निःशुल्क बोरिंग योजना में वित्तीय वर्ष 1996-97 में पुनः संचालित की गई है। योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 1998-99 में स्वीकृत 906.825 लाख रू. धनराशि से 15,000 बोरिंग कराये

जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, जिसके विपरीत 540.18 रू. लाख की धनराशि से 9,003 बोरिंग पूर्ण करायी जा चुकी हैं और शेष बोरिंग शीघ्र पूर्ण कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है। वर्ष 1999-2000 में योजनान्तर्गत 10,000 बोरिंग कराने हेतु 602.10 लाख रू. का वित्तीय लक्ष्य शासन द्वारा निर्धारित किया गया है। वर्ष 2000-01 हेतु योजनान्तर्गत 10,000 बोरिंग के लिए 900.00 लाख रू. का प्रावधान है।

उपलब्धियाँ एवं कार्यक्रम

वर्ष 1998-99 आयोजनागत पक्ष में आंवटित कुल परिव्यय 17821.00 लाख रूपये के विरूद्ध 37270.00 लाख रूपये का धनराशि तथा आयोजनेत्तर पक्ष में कुल 22111.48 लाख रूपये को सम्मिलित करते हुए 39382.15 लाख रूपए की धनराशि का प्रावधान किया गया, जिसमें से अनुसूचित जाति के 75,25,568 छात्र पूर्वदशम कक्षाओं में एवं विमुक्त जाति के 1,35,490 छात्र लाभान्वित हुए। पुत्रियों की शादी एवं बीमारी के लिए अनुदान दिया गया।

वित्तीय वर्ष 1999-2000 में भी उपर्युक्त योजनाओं के संचालन हेतु कुल 19315.00 लाख रू. का परिव्यय आयोजनागत पक्ष में आवंटित किया गया है, जिसके आय-व्यय में केन्द्रांश सहायता को सम्मिलित करते हुए 34197.09 लाख रूपये का प्राविधान है एवं आयोजनेत्तर पक्ष में भी 22033.23 लाख रूपये के प्राविधान को सम्मिलित करते हुए कुल 56230.32 रू. लाख की व्यवस्था आय-व्ययक में प्रस्तावित की गयी है, ताकि उपर्युक्त समस्त योजनाओं एवं कार्यक्रमों को वित्तीय वर्ष 1999-2000 में भी संचालित किया जा सके

एवं लाभार्थियों को अधिकतम लाभ पहुँचाया जा सके। इस वर्ष पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के 79,21,890 छात्रों तथा विमुक्त जाति के 1,35,490 छात्रों को छात्रवृति प्रदान करने का लक्ष्य है।

अनुसूचित जाति के कक्षा 1 से 8 में समस्त अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृति प्रदान करने की योजना संचालित की गई। इसके अतिरिक्त वर्ष 1997-98 में स्वच्छकार कार्य में लगे व्यक्तियों के बच्चों को शिक्षा हेतु महात्मा ज्योतिबा राव फूले राजकीय स्वच्छकार आश्रम पद्धति विद्यालय मोहान रोड, लखनऊ में खोला गया है, जिसमें 1 से 12 तक कक्षाएँ खोली गई हैं। प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के शिक्षित बेरोजगार नवयुवकों को भी सेवाओं में समुचित प्रतिनिधित्व प्राप्त कराने हेतु परीक्षा के पूर्व कोचिंग दिये जाने के लिए श्री छत्रपति शाहूजी महाराज शोध एवं प्रशिक्षण संस्थान, गोमतीनगर, लखनऊ में खोला गया है। वर्ष 1998-99 में इन दोनों ही संस्थाओं ने कार्य करना प्रारम्भ कर दिया।

शैक्षिक कार्यक्रम

सदियों से सामाजिक तथा आर्थिक रूप से निर्बल, पिछड़ी तथा उत्पीड़ित अनुसूचित जाति/विमुक्त जाति के उत्थान के लिए शिक्षा सर्वोपरि है, शिक्षा के आभाव में वे पिछड़े हैं। इस दृष्टिकोण से शासन द्वारा राज्य के अनुसूचित जाति, विमुक्त जाति के विद्यार्थियों को साक्षर एवं शिक्षित बनाने के लिए योजनाएँ संचालित की जा रही हैं। नई शिक्षा नीति के अनुसार शिक्षा के प्रति प्रेरित करने एवं उन्हें शिक्षा हेतु आर्थिक सहायता उपलब्ध कराने हेतु समाज कल्याण विभाग द्वारा उन्हें प्राइमरी स्तर से स्नातकोत्तर स्तर तक छात्रवृत्ति प्रदान की

जा रही है। छात्रवृति वितरण में विभिन्न समस्याओं को देखते हुए सर्वप्रथम छात्रवृति स्वीकृति एवं वितरण का कार्य विद्यालय स्तर पर दे दिया गया। वर्तमान में संविधान के 73वें संशोधन के फलस्वरूप पंचायती राज व्यवस्था के सुदृढ़ीकरण हेतु तथा छात्रवृत्ति वितरण में पारदर्शिता रखने हेतु ग्रामीण क्षेत्रों के विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक की छात्रवृति की स्वीकृति एवं वितरण विद्यालय जिस क्षेत्र में स्थित है, की ग्राम पंचायत की शिक्षा समिति द्वारा किया जायेगा। इसके लिए विद्यालय में अध्ययनरत विद्यार्थियों की सूची शिक्षा विभाग के समक्ष अधिकारी द्वारा सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी को उपलब्ध करायी जायेगी। जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा आवश्यकतानुसार धनराशि सम्बन्धित ग्राम पंचायतों के छात्रवृत्ति हेतु विशेष रूप से खोले गये बैंक खाते में सीधे अन्तरित की जायेगी। नगर क्षेत्र में कक्षा 8 तक की छात्रवृत्ति के स्वीकृति एवं वितरण हेतु विद्यालयों में प्रधानाध्यापक की अध्यक्षता में 6 सदस्यीय समिति गठित है जिसमें नगर क्षेत्र के सम्बन्धित वार्ड के सभासद। सभासद के निकटतम प्रतिद्वन्द्वी विद्यालय प्रबन्ध समिति के अनुसूचित जाति/जनजाति का सदस्य एवं पिछड़ी जातियों अल्पसंख्यक जाति का एक सदस्य तथा अनुसूचित जाति का एक वरिष्ठतम् अध्यापक सदस्य हैं। शिक्षा विभाग के द्वारा प्रत्येक विद्यालय में अभिभावक दिवस का आयोजन कर उनके व गठित समिति के सदस्यों के समक्ष छात्रवृत्ति वितरित करने के निर्देश हैं।

पूर्वदशम कक्षाओं में अनुसूचित जाति के छात्रों को शुल्क क्षतिपूर्ति

मान्यता प्राप्त गैर सरकारी विद्यालयों में कक्षा 7 से 8 तक की कक्षाओं में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु विद्यालयों को, जो आर्थिक क्षति होती है, इस कमी को विभाग द्वारा शुल्क क्षतिपूर्ति प्रदान करके पूरा किया जा रहा है। कक्षा 9 से उच्चतम कक्षाओं तक पात्रता की श्रेणी के सभी विद्यार्थियों को निःशुल्क शिक्षा हेतु शुल्क क्षतिपूर्ति भी विभाग द्वारा की जाति है। शैक्षिक संस्थाओं को निःशुल्क क्षतिपूर्ति छात्रों की दी गई सुविधा के निमित्त दी जाती है। यह निम्न प्रकार है-

1. ट्यूशन, 2. खेल, 3. चिकित्सा, 4. पुस्तकालय, 5. इंस्ट्रूमेन्ट एजूकेशन, 6. स्याही, 7. आडोविजुअल, 8. मैंगजीन, 9. विज्ञान, 10. महँगाई, 11. विकास, 12. पंखा।

दशमोत्तर कक्षाओं की छात्रवृत्ति एवं अन्य शैक्षिक सुविधाएँ

अनुसूचित जाति के उन समस्त छात्र/छात्राओं को दशमोत्तर कक्षाओं में छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है जिनके माता-पिता/अभिभावक की वार्षिक आय समस्त स्रोतो से 50,920 रूपए से अधिक नहीं है। वर्तमान में 39,220 रू. तक वार्षिक आय वाले छात्र/छात्राओं को पूर्ण दर से छात्रवृत्ति तथा उससे अधिक और 50,920 रूपये तक वार्षिक आय वाले छात्र/छात्राओं को आधी छात्रवृत्ति मिडिल/इंजीनियरिंग के छात्रों को 50,920 रूपये वार्षिक आय तक पूरी छात्रवृत्ति) स्वीकृत की जाति है। यह छात्रवृत्ति भारत सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अन्तर्गत प्रदान की जाती है।

बुकबैंक की स्थापना

50 प्रतिशत केन्द्र पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत मेडिकल तथा इंजीनियरिंग कॉलेजों में अध्ययन करने वाले अनुसूचित जाति/जनजाति के विद्यार्थियों को अध्ययन की सुविधा हेतु कोर्स की अनिवार्य महँगी पुस्तकें उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 1978-79 से बुक बैंक की स्थापना की गई है। वर्ष 2000-2001 में भी 99.40 लाख रू. की धनराशि योजना में प्रस्तावित है।

अनावर्तीय सहायता

चिकित्सा, इंजीनियरिंग की डिग्री कक्षाओं तथा पॉलीटेक्निक में छात्रवृत्ति प्राप्त अध्ययनरत अनुसूचित जाति के विद्यार्थियों को पुस्तकें तथा उपकरण क्रय हेतु अनावर्ती सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2000-2001 के लिए आयोजनागत पक्ष में 5.95 लाख रूपये तथा आयोजनोत्तर पक्ष से 20.75 लाख रूपये कुल 26.70 रूपये लाख का व्यय प्रस्तावित है तथा जिससे लगभग 6,675 छात्रों को लाभान्वित किये जाने का लक्ष्य है।

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को मेरिट उच्चीकृत किये जाने की केन्द्र पुरोनिधानित योजना

अनुसूचित जाति/जनजाति के छात्रों को रेमिडियल कोचिंग प्रदान करके उनके शैक्षिक अवरोधों को दूर करने के उद्देश्य से यह योजना उत्तर प्रदेश के 6 जनपदों, इलाहाबाद, लखनऊ, गोरखपुर, झाँसी, आगरा, मुरादाबाद के राजकीय इण्टर कॉलेजो में वर्ष 1988-89

में शिक्षा विभाग द्वारा संचालित थी जो वर्ष 1994-95 में समाज कल्याण विभाग को स्थानान्तरित की गई है। जिसमें शत-प्रतिशत भारत सरकार द्वारा सहायता दी जाती है। इसके अन्तर्गत प्रति छात्र 8,000 रू. वार्षिक तथा प्रत्येक विद्यालयों के प्रधानाचार्य एवं 4 अध्यापकों को शिक्षण हेतु 7.000 रू. वार्षिक दिये जाने का प्रावधान है।

केन्द्रीय पुरोनिधानित योजना के अन्तर्गत अस्वच्छ पेशा (चमड़ा उतारने, चमड़ा कमाने, मैला उठाने) में लगे व्यक्तियों के बच्चों को विशेष छात्रवृत्ति

यह विशेष योजना वर्ष 1997-98 से प्रदेश में संचालित हैं। वर्ष 1991-92 से पूर्व इसमें केवल 6 से 10 तक पढ़ने वाले छात्रों को छात्रावास में रहने पर लाभान्वित किया जाता था, भारत सरकार द्वारा अब इस योजना की प्रक्रिया दरों में संशोधन कर दिया गया है जो माह नवम्बर 1991 से प्रभावी है।

स्वैच्छिक संगठनों द्वारा शिक्षा सम्बन्धी कार्य तथा उन्हें दी जाने वाली आर्थिक सुविधाएँ

ऐसे स्वैच्छिक संगठन जो अनुसूचित जाति के बच्चों की शिक्षा में गहरी रूचि लेते हैं औरर प्राइमरी पाठशालाओं को संचालित कर शिक्षा देती हैं, उन्हें शासन की वित्तीय स्थिति तथा नीतियों के अनुसार अनावर्तक अथवा आवर्तक अनुदान दिया जाता है। ऐसी संस्थाएँ जो

अनुसूचित जाति में शिक्षा के प्रसार हेतु वाचनालयों/पुस्तकालयों एवं छात्रावासें की भी सुविधाएँ देते हैं, उन्हें भी अनुदान दिया जाता है।

अनुदान के लिए स्वैच्छिक संगठनों द्वारा संचालित विद्यालयों में इस बात का विशेष ध्यान दिया जाता है कि इसमें अनुसूचित जाति के छात्रों की संख्या अनुपात में 50 प्रतिशत से कम न हो। आवर्तक अनुदान प्राप्त प्राइमरी पाठशालाओं में अनुमन्य अध्यापकों के लिए विभाग द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुसार समतुल्य वेतन की धनराशि प्रत्येक वर्ष आवर्तक अनुदान के रूप में प्रदान की जाती है।

<u>राज्य सेवाओं की परीक्षा पूर्व प्रशिक्षण योजना</u>

इस योजना के अन्तर्गत इलाहाबाद विश्वविद्यालय के तत्वावधान में एक केन्द्र अनुसूचित जाति के लिए 50 अभ्यर्थियों हेतु संचालित है। केन्द्र विभागीय अनुदान पर संचालित है । इसके अतिरिक्त 200 छात्रों की क्षमता का आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र, लखनऊ में स्थापित किया गया है। गोरखपुर, वाराणसी, झाँसी, इलाहाबाद (पी. सी. एव. जे) में भी ऐसे ही केन्द्र संचालित हैं। इन केन्द्रों में प्रवेश हेतु उपयुक्त अभ्यर्थियों का चयन योग्यता के आधार पर किया जाता है और प्रवेश प्राप्त प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण, आवास, भोजन इत्यादि की मुफ्त सुविधा प्रदान की जाती है। लखनऊ के आदर्श पूर्व परीक्षा प्रशिक्षण केन्द्र हेतु शासन द्वारा 1.50 करोड़ रू. की विशेष निधि स्थापित की गई है, जिसके ब्याज से केन्द्र का संचालन होता है। इसके अतिरिक्त आगरा, अलीगढ़ एवं वाराणसी में कोचिंग केन्द्रों के भवन निर्माण हेतु 100.00 लाख रू. का प्रावधान किया गया है।

विमुक्त जातियों के लिए औद्योगिक प्रशिक्षण केन्द्र

यह प्रशिक्षण केन्द्र 1 अप्रैल, 1986 से लालगंज, प्रतापगढ़ में चलाया जा रहा है। इस केन्द्र में विमुक्त जातियों को तीन व्यवसायों में प्रशिक्षण दिया जाता है- 1. हैण्डलूम से सूती वस्त्रों की बुनाई, 2. सिलाई का प्रशिक्षण, 3. हिन्दी टंकण का प्रशिक्षण। प्रत्येक ट्रेड में 15-15 प्रशिक्षणार्थियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान 150 रूपये प्रतिमाह की दर से प्रशिक्षणार्थियों को छात्रवृत्ति दी जाती है।

राजकीय उन्नयन बस्तियों का रखरखाव

वर्ष 1924 में ब्रिटिश काल में घोषित अधिनियम के अन्तर्गत अपराधशील जातियों के बसाने के उद्देश्य से उन्नयन बस्तियों की स्थापना की गई। स्वतन्त्रता के बाद अब उन्हें अन्य नागरिकों की भाँति स्वतंत्र कर दिया गया। इनको भूमि तथा कारखाने में कार्य दिलाकर बसाया गया है, ताकि वे अपनी प्रवृत्ति को अदल कर कार्य करें एवं रोजी रोटी में लगर आदर्श नागरिक के रूप में जीवनयापन कर सके।

कल्याणपुर-कानपुर, फूलपुर, मुरादाबाद तथा साहबगंज-खीरी में उपनिवेश बनाकर इस जाति के लोगों को रोजगार एवं खेतीबारी में लगाकर पुनर्वासित किया गया है।

आश्रम पद्धति विद्यालयों का संचालन

प्रदेश में अनुसूचित जाति एवं विमुक्त जाति के बालक/बालिकाओं के शैक्षिक उत्थान के लिए समाज कल्याण विभाग द्वारा आश्रम पद्धति विद्यालयों की स्थापना की गई है। इन विद्यालयों में दलित वर्ग के ऐसे परिवार जो अपने बच्चों की न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति नहीं कर पाते तथा अत्यन्त निर्धन हैं, के बच्चों को प्रवेश मिलता है। इन विद्यालयों में प्रवेशित बच्चों को निःशुल्क शिक्षा, आवास, वस्त्र आदि सुविधाएँ राजकीय व्यय पर प्रदान की जाती है।

छात्रावास निर्माण

अनुसूचित जाति के छात्र/छात्राओं को अपने घरों से दूर शिक्षा ग्रहण करने हेतु आवासीय सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से छात्रावासों का निर्माण कराया जा रहा है। राजकीय छात्रावासों का निर्माण समाज कल्याण निर्माण निगम द्वारा निःशुल्क प्राप्त भूखण्ड पर किया जाता है। इसके अतिरिक्त स्वैच्छिक संस्थाओं को 10 प्रतिशत लागत मूल्य वहन करने पर 90 प्रतिशत की धनराशि अनुदान के रूप में उपलब्ध करायी जाती है। वर्तमान में छात्राओं हेतु 32 एवं छात्रों हेतु 148 छात्रावासों का निर्माण कराया जा चुका है।

उत्तर प्रदेश समाज कल्याण निर्माण निगम लिमिटेड

इस निगम की स्थापना कम्पनी अधिनियम 1956 के अन्तर्गत 25 जून, 1976 को हुई थी। कम्पनी का पंजीकृत कार्यालय वर्तमान में लेखराज मार्केट, इन्दिरा नगर, लखनऊ में है।

इस निगम के मुख्य उद्देश्य निम्नवत् है:-

1. उ. प्र. राज्य में अनुसूचित जाति/जनजाति एवं अन्य निर्बल वर्गों के लिए आवास योजनाओं और उससे सम्बन्धित योजनाओं को बनाना और उन्हें कार्यान्वित करना।
2. सिविल अभियन्ता के रूप के कार्यों की जिम्मेदारी लेना, सड़कों और सभी प्रकार के भवनों, बैराजों, बाँधो, जलमार्गों, पुलों, पुलियों, रज्जु मार्गो, विद्युत व सफाई सम्बन्धी संस्थापनों तथा नगर एवं ग्राम नियोजन कार्यो का निर्माण, अनुरक्षण तथा सुधार कार्य पूरा करना।
3. सड़कों एवं समस्त प्रकार के भवनों से सम्बन्धित सब प्रकार की ईंटों, खपरैलों, मिट्टी के बर्तनों, सीमेंण्ट, पत्थर, बालू, लोहे के सामान ओर अन्य भवन सामग्रियों का व्यापार करना या साज-सामानों, औजारों व मशीनरी अन्य प्रकार निर्माण करना, क्रय-विक्रय करना, संस्थापना करना, चालू करना, परिवर्तन करना, सुधार करना, दक्षता का चलाना।
4. राज्य सरकार द्वारा अपने स्वामित्व में लिए गये किन्हीं भी सड़कों, भवनों का क्रय करना, पट्टे पर लेना या निर्माण, अनुरक्षण अथवा उनका प्रबन्ध करने के उद्देश्य से अन्य प्रकार से अधिकार में लेना।
5. उत्तर प्रदेश राज्य में किसी भी परिवहन सेवा को स्थापित करना, बनाये रखना और प्रचालन करना।

समाज कल्याण मंत्री के विवेकाधीन कोष से अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत समाज कल्याण मंत्री अपने विवेक से निर्धन व्यक्तियों को अनुदान स्वीकृत करते हैं। वर्ष 2000-2001 में भी विगत वर्षो की भाँति 0.35 लाख रू. का प्रावधान प्रस्तावित है। आश्रम गृहों से बाहर रहने वाले विस्थापित व्यक्तियों को अकर्म वेतन पूर्ववर्ती पाकिस्तान से आये विस्थापित व्यक्तियों को उनके भरण पोषण हेतु दिये जाने की योजना विगत वर्षो से ही संचालित है। प्रति व्यक्ति 700 रूपए मासिक दर से अकर्म वेतन दिया जाता है। 2000-2001 में दोनों विस्थापित समुदायों हेतु 17 लाख रू. का प्रावधान किया गया।

अशक्त एवं वृद्ध गृहों का संचालन

वृद्ध एवं अशक्त पुरूषों के लिए 50 की क्षमता के दो आवासीय गृह लखनऊ एवं चमोली में तथा महिलाओं के लिए वाराणसी में एक गृह कुल तीन गृहों का संचालन हेतु रहा है। 60 वर्ष से अधिक आयुवर्ग के वृद्ध व्यक्तियों को आवासीय सुविधा तथा दैनिक जीवन के निर्वहन हेतु 1.4.99 से 550 रूपए प्रति माह भरण-पोषण भत्ता भी दिया जाता है। वर्ष 1999-2000 में 26.67 लाख रूपए का प्राविधान इन गृहों के संचालन हेतु किया गया है। वर्ष 2000-2001 में रूपए 29.59 लाख का प्राविधान है।

राजकीय भिक्षुक गृहों का संचालन

भिक्षावृत्ति सामाजिक कुप्रथा को हतोत्साहित करने के उद्देश्य से वर्ष 1975 से प्रदेश सरकार ने भिक्षावृत्ति प्रतिषेध अधिनियम लागू किया है। इसके अन्तर्गत प्रदेश के आठ जनपदों

वाराणसी, इलाहाबाद, लखनऊ, कानपुर नगर, मथुरा एवं हरिद्वार में एक-एक भिक्षुक गृह, फैजाबाद में दो (महिलाओं एवं पुरूषों हेतु पृथक-पृथक) कुल 9 भिक्षुक गृहों की स्थापना की गई है। इनमें प्रत्येक की क्षमता 200 भिक्षुकों की है वर्ष 1999-2000 में 172.19 लाख रूपए का प्राविधान है, तथा वर्ष 2000-2001 में 160.85 लाख रूपए का प्रावधान था।

निराश्रित बालकों के लिए स्वैच्छिक संगठनों को अनुदान

इस योजना के अन्तर्गत 18 वर्ष से कम आयु समूह के निराश्रित/लावारिस बालक/बालिकाओं के लिए आवासी सुविधा उपलब्ध कराने वाली स्वैच्छिक संगठनों को राज्य सकरार द्वारा 90 प्रतिशत अनुदान दिया जाता है। संवासी बालाकों/बालिकाओं को इन गृहों में भोजन तथा शिक्षा आदि भी निःशुल्क प्रदान की जाती है। 10 प्रतिशत व्यय भार स्वैच्छिक संस्थाएँ स्वयं वहन करती है इस योजना में आयोजनेत्तर पक्ष में 9.00 लाख रूपए का प्राविधान था। वर्ष 2000-2001 में भी 9.00 लाख रूपए का प्राविधान है।

अकिंचन मृतकों के दाह संस्कार हेतु अनुदान

लावारिस शवों तथा निर्धन व्यक्तियों की मृत्यु की दशा में उनके अन्तिम संस्कार हेतु राज्य सरकार प्रति व्यक्ति महानगरों में 600 रूपए तथा अन्य स्थानों हेतु 500 रूपए प्रति की दर से संस्कार पर व्यय का प्रस्ताव है। इस योजना के आयोजनेत्तर दशा में 8.50 लाख रूपए तथा आयोजनागत पक्ष में 0.10 लाख रूपए का प्रविधान वर्ष 1999-2000 में था। वर्ष 2000-2001 में आयोजनेत्तर मद में 8.50 लाख रूपए का प्राविधान है।

विधवा पेंशन प्राप्त महिलाओं की पुत्रियों की शादी हेतु अनुदान

निराश्रित विधवाएँ जिन्हें विधवा पेंशन राज्य सरकार से प्राप्त होती है, की वयस्क पुत्रियों की शादी हेतु राज्य सरकार द्वारा 10,000 रू. की एक मुश्त सहायता प्रदान की जाती है वर्ष 1999-2000 में इस योजना में आयोजनेत्तर पक्ष में रू. 60.50 लाख रू. तथा आयोजनागत में 18.00 लाख रू. की व्यवस्था थी तथा वर्ष 2000-2001 में आयोजनेत्तर पक्ष में 60.50 लाख रू. तथा आयोजनागत में 18.00 लाख रूपए का प्राविधान है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना

भारत सरकार द्वारा पोषित एवं प्रदेश में समाज कल्याण विभाग के माध्यम से संचालित इस योजना में वर्ष 1999-2000 में 13 लाख लाभार्थियों को 195.00 करोड़ रू. पेंशन के रूप में वितरित करने का लक्ष्य है। उक्त में से 10,27,500 लाभार्थियों को जो 65 वर्ष से अधिक आयु के हैं, भारत सरकार की ओर से प्राप्त सहायतांश एवं राज्यांश से पेंशन दी जा रही है एवं अवशेष 2,72,500 लाभार्थियों जो 60 से 65 वर्ष के बीच में हैं, को राज्यांश से पेंशन दी जा रही है पेंशन शहर एवं ग्रामीण दोनें ही क्षेत्रों के लाभार्थी को 125 रू. प्रतिमाह की दर से दी जाती है।

राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना

इस योजना में गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार के जीविकोपार्जक की मृत्यु होने पर 10,000 रू. की सहायता दिये जाने की व्यवस्था है, जिसकी आयु सीमा 18 से 64 वर्ष रखी गई है। पूर्व में स्वाभाविक मृत्यु की दशा में 5,000 रू. एवं दुर्घटना के कारणों से मृत्यु हो जाने पर 10,000 रू. सहायता दिये जाने की व्यवस्था थी, परन्तु भारत सरकार ने 1 अगस्त, 1998 से स्वाभाविक मृत्यु एवं दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु दोनों ही अवस्थाओं में 10,000 रू. सहायता दिये जाने की व्यवस्था की गई है।

मातृत्व लाभ योजना

इस योजना के अन्तर्गत गरीबी रेखा के नीचे जीवनयापन करने वाले परिवार की 19 वर्ष या इससे अधिक आयु की महिला को प्रथम दो जीवित बच्चों के जन्म पर 500 रू. की एकमुश्त सहायता प्रदान की जाती है। सम्बन्धित महिला का आवेदन-पत्र ग्राम पंचायत द्वारा स्वीकृत किया जाता है। इस योजना के अन्तर्गत धनराशि का भुगतान नकद किया जाता है। वर्ष 1999-2000 में 4,20,000 महिलाओं को 21 करोड़ रू. सहायता दिये जाने का लक्ष्य है। इस योजना में दिसम्बर, 1999 तक 1,25,550 महिलाओं को 7.48 करोड़ रू. की सहायता दी गयी है।

मद्यनिषेध

प्रदेश के वर्तमान राजस्व मण्डलों के सापेक्ष मद्यनिषेध विभाग के अन्तर्गत प्रदेश को अभी तक मात्र आठ विभागीय क्षेत्रों में ही विभाजित किया गया है। वर्तमान विभागीय क्षेत्रीय कार्यालय लखनऊ, कानपुर, इलाहाबाद, वाराणसी, गोरखपुर, मेरठ, मुरादाबाद, पोड़ी गढ़वाल को क्षेत्रीय मुख्यालय बनाकर प्राथमिक कार्यकारी इकाई के बतौर उपलब्ध स्थापित किये गये। प्रत्येक क्षेत्र में उनके सहयोगार्थ एक-एक उपक्षेत्रीय मद्यनिषेध एवं समाजोत्थान अधिकारी के पद केवल 7 क्षेत्रों के लिए वर्तमान में उपलब्ध हैं। इसके अतिरिक्त प्रत्येक क्षेत्र में एक-एक सचल इकाई, प्रदर्शन सामग्री, फिल्म, प्रोजेक्टर, जनरेटर सेट आदि उपकरण शिक्षात्मक कार्यक्रमों को सम्पादित करने के लिए स्वल्प रूप में उपलब्ध हैं।

5.4 भूमि सुधार

भूमि सुधारों को लागू करने में उत्तर प्रदेश भारत का अग्रणी राज्य रहा है। इसका सूत्रपात उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 के प्रभावी होने के समय से हुआ। उसके पश्चात् प्रदेश के शहरी क्षेत्रों तथा अन्य विशिष्ट क्षेत्रों में जमींदारी प्रथा समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। इन कानूनों के अन्तर्गत मध्यवर्तियों के अधिकार समाप्त कर राज्य में निहित किए गए और भूमि पर वास्तविक रूप से खेती करने वाले कृषकों को भौमिक अधिकार प्रदान किए गए तथा मध्यवर्तियों के पुनर्जीवन को नियंत्रित करने के लिए आवश्यक प्रतिबन्ध लगाए गए। मध्यवर्तियों के अधिकार समाप्त करने के फलस्वरूप राज्य में निहित खातों के बाहर की समस्त भूमि आदि के लिए गाँव सभाओं में निहित की

गई और भूमि प्रबन्धक समितियों को भूमि के आवंटन का अधिकार दिया गया। कृषि योग्य भूमि के आवंटन में अनुसूचित जाति/जनजाति तथा समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों को प्राथमिकता देने के उद्देश्य से पात्रताक्रम निर्धारित किया गया। कृषि कार्य में सुविधा तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि की दृष्टि से कृषकों की बिखरी हुई जोतों को संहत करने के लिए उत्तर प्रदेश जोत चकबन्दी अधिनियम, 1953 का अधिनियम भूमि सुधार की दिशा में दूसरा महत्वपूर्ण कदम रहा है। भूमि सुधारों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए तीसरा कदम उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 के माध्यम से उठाया गया, जिसके अन्तर्गत भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के लिए अधिकतम सीमा निर्धारित की गई और सिंचित अर्थों में 18 एकड़ की प्रयोज्य अधिकतम सीमा के अतिरिक्त भूमि राज्य में निहित करके समाज के निर्बल वर्ग के व्यक्तियों में वितरित किए जाने की व्यवस्था की गई

गाँव सभा की कृषि भूमि का आवंटन

गाँव सभा में निहित कृषि योग्य भूमि के आवंटन की पात्रता उत्तर प्रदेश जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम, 1950 की धारा 198 (1) के अन्तर्गत निर्धारित की गई है। इस पात्रता क्रम के अनुसार कृषि योग्य भूति का आवंटन भूति प्रबन्धक समितियों द्वारा किया जाता है। अनुसूचित जाति/जनजाति/पिछड़ी जातियों तथा समाज के दुर्बल वर्ग के व्यक्तियों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए वर्ष 1975-76 से उन्हें गाँव सभा की कृषि योग्य भूमि के आवंटन की योजना प्रभावी ढंग से प्रारम्भ की गई।

ग्रामीण आवास स्थल आवंटन योजना

जमींदारी विनाश के समय मौजूद समस्त मकानों का बन्दोबस्त जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 की धाना 9 के अन्तर्गत उनके अध्यासियों के साथ कर दिया गया था। वर्ष 1971 में यह बात जानकारी में आई कि अनुसूचित जाति/आदिम जाति के व्यक्तियों, गामीण शिल्पियों और अन्य खेतिहर मजदूरों में अनेक ऐसे व्यक्ति हैं, जिनके पास कोई भी स्थल नहीं है। अतएव जमींदारी विनाश अधिनियम, 1950 में एक नई धारा 122-ग जोड़कर यह व्यवस्था कर दी गई कि असिस्टेंट कलेक्टर स्वयमेंव अथवा भूमि प्रबन्धक समिति के प्रस्ताव पर उपर्युक्त वर्गों के लिए गाँव सभा में निहित भूमि को आवास स्थल हेतु विनिर्दिष्ट करेगा। धारा 122-ग की उपधारा (2) में ऐसी भूमि का विवरण भी दिया गया है जो आबादी स्थल हेतु विनिर्दिष्ट की जाएगी। धारा 122-ग की उपधारा (3) में आबादी स्थल हेतु आवंटन के निमित्त पात्रता क्रम निर्धारित किया गया है। जिसमें अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के खेतिहार मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पियों को वरीयता प्राप्त है। उक्त अधिनियम की धारा-123 की उपधारा (1) में ये व्यवस्था भी की गई कि अनुसूचित जाति/अनुसूचित आदिम जाति के व्यक्तियों/ग्रामीण शिल्पियों तथा अन्य खेतिहर मजदूरों द्वारा गाँव सभा भूमि पर निर्मित तथा 24 मई, 1971 को विद्यमान आवास तथा उससे संलग्न भूमि का बंदोबस्त उनके साथ किया गया मान लिया जाएगा। इसी प्रकार उक्त श्रेणी के व्यक्तियों द्वारा दूसरे खातेदारों की जो भूमि पर बनाए गए और 15 मार्च, 1974 को विद्यमान मकानों के सम्बन्ध में भी तद्नुसार व्यवस्था कर दी गई थी। उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 24/1986 द्वारा उक्त धारा

123 में संशोधन करके अब यह व्यवस्था कर दी गई है कि उक्त श्रेणी के व्यक्तियों के द्वारा गाँव सभा भूमि तथा दूसरे खातेदारों की जो भूमि पर बनाए गए तथा 30 जून, 1985 को विद्यमान मकानों की भूमि का बन्दोबस्त उनके साथ किया गया मान लिया जाएगा।

अनुसूचित जाति/जनजाति के व्यक्तियों, खेतिहर मजदूरों तथा ग्रामीण शिल्पियों को आवास स्थल उपलब्ध कराए जाने की एक योजना भी अलग से कार्यान्वित की जा रही है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र के जिन परिवारों के पास भवन निर्माण के लिए भूमि उपलब्ध नहीं है। उन्हें 100 से 150 वर्ग गज के आवास स्थल आवंटित किए जाते है जहाँ गाँव सभा की भूमि उपलब्ध नहीं होती है। वहाँ भूमि अध्याप्त करके आवास स्थलों का आवंटन किया जाता है और उध्याप्त की गई भूमि के प्रतिकर के रूप में होने वाला व्यय शासन द्वारा वहन किया जाता है।

योजना के प्रारम्भ से निर्बल तथा भूमिहीन 37,36,166 पात्र परिवारों में से अब तक 26,56,241 परिवारों के आवास स्थल हेतु भूमि आवंटित की जा चुकी है। इनमें से 18,36,508 परिवार अनुसूचित जाति, 2,373 परिवार अनुसूचित जनजाति एवं 8,17,360 परिवार अन्य वर्ग के है जिन परिवारों को आवास स्थल आवंटित किए गए है उनमें से 26,47,072 परिवारों को आवंटित आवास स्थलों पर कब्जा दिया जा चुका हैं काबिज परिवारों में से 20,05,534 परिवारों ने आवास स्थलों पर भवनों पर भवन निर्मित कर लिए है।

यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि उत्तराधिकार से सम्बन्धित विवादों के त्वरित निस्तारण के सम्बन्ध में एक कीर्तिमान स्थापित करते हुए अगस्त 1991 से 15 मार्च, 1992 तक

उत्तराधिकार के 2,14,212 के ऊपर विवादित तथा 12,84,788 से ऊपर आविवादित मामलों का निस्तारण कराया गया है, भविष्य में उत्तराधिकार के निर्विवाद मामलों का निस्तारण एक माह में सुनिश्चित किया जाएगा।

सीलिंग से प्राप्त भूमि का आवंटन

भूमि के साम्यपूर्ण वितरण के लिए जोतों पर अधिकतम सीमा आरोपित करने के उद्‌देश्य से उत्तर प्रदेश अधिकतम जोत सीमा आरोपण अधिनियम, 1960 अधिनियमित कराया गया। इस अधिनियम में प्रयोज्य अधिकतम सीमा अच्छी किस्म की 40 एकड़ भूमि निर्धारित की गई था। वर्ष 1972 में मूल अधिनियम में संशोधन करके सीलिंग सीमा घटाकर 18 एकड़ सिंचित भूमि निर्धारित की गई संशोधन सीलिंग अधिनियम के अन्तर्गत 5,39,031 एकड़ भूमि घोषित की गई तथा 5,08,275 एकड़ भूमि पर कब्जा लिया गया है। 4,77,698 एकड़ भूमि का बन्दोबस्त पात्र व्यक्तियों जाति/अनुसूचित जनजाति के 2,16,595 सदस्यों में 2,50,764 एकड़ तथा 99,974 अन्य लागों में 1,15,360 एकड़ भूमि का आवंटन हुआ है।

प्रदेश में सीलिंग भूमि के आबंटियों को रूपए 1,000 रूपए प्रति एकड़ की दर से भूमि हेतु आर्थिक सहायता दी जाती है। इस मद में होने वाले व्यय का आधा भाग राज्य सरकार द्वारा तथा शेष आधा भाग केन्द्र सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

जोतों की चकबन्दी

प्रदेश में चकबन्दी योजना वर्ष 1954 में प्रारम्भ की गई थी। यह योजना एक जनकल्याणकारी योजना है तथा भूमि सुधार, हरित क्रान्ति एवं ग्रामीण विकास से उसका सीधा एवं गहरा सम्बंध है। इस योजना के अन्तरर्गत न्यायिक अदालतें, ग्राम, कस्बा तथा तहसील स्तर पर स्थापित किए जाने के कारण कृषकों को अपने भूमि सम्बन्धी सभी प्रकार के मुकदमों को तय कराने के लिए सुदूर स्थानों पर नहीं जाना पड़ता और उनके अधिकांश मुकदमें अपेक्षाकृत कम समय में समझौते आदि द्वारा तय करा दिए जाते है। और शेष विवादित मुकदमें न्यायिक प्रक्रिया द्वारा गुण-दोष के आधार पर निर्णीत किए जाते हैं। जोत चकबन्दी अधिनियम मे जोतों के अनिवार्य विभाजन का प्रावधान होने के कारण कृषकों के बिना अतिरिक्त प्रयास तथा व्यय के स्वतः विभाजन हो जाता है जो उनके लिए सुविधाजनक है, और इससे भविष्य के झगड़े समाप्त हो जाते हैं।

बीस सूत्रीय कार्यक्रम के सूत्र संख्या-5 के अन्तर्गत अभिलेखों के शुद्धिकरण पर बल है चकबन्दी योजना के अन्तर्गत जोत चकबन्दी अधिनियम की धारा-10 के अधिन ग्राम के अभिलेखों को शुद्धिकरण किया जाता है।

चकबन्दी योजना में अभिलेखों के शुद्धिकरण के उपरान्त कृषकों के बिखरे हुए खेतों की उनकी लगाई गई मालियत के अनुसार एक, दो अथवा अधिक-से-अधिक तीन स्थानों पर संहत किया जाता है। जिससे कृषकों को अपने सिंचाई के साधनों की व्यवस्था करने तथा रखवाली आदि करने में सुविधा होती है।

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण विकास में विभिन्न सार्वजनिक प्रयोजनों हेतु जैसे-सामान्य आबादी, अनुसूचित जाति एवं निर्बल वर्ग की आबादी हेतु स्थल, खाद के गड्ढे, खलिहान, चारागाह पंचायतघर, वृक्षारोपण, स्कूल तथा खेल का मैदान, अस्पताल आदि के लिए भूमि आरक्षित की जाती है। और अब तक 5,138 लाख हेक्टेअर भूमि आरक्षित की जा चुकी है।

स्वैच्छिक चकबन्दी योजना में महत्वपूर्ण बात यह है कि कृषकों को अपने चक गाँव में सर्व सहमति से स्वयं बनाने का भी अधिकार है। इसमें कृषक चकबन्दी स्टाफ की सहायता से अपने चक स्वयं बनवाते हैं और उसकी नियमित स्वीकृति उपसंचालक चकबन्दी द्वारा जो चकबन्दी अधिनियम की धारा 53(क) के अन्तर्गत प्रदान की जाती है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु प्रथम बार वर्ष 1978-79 में कृषकों को प्रेरित किया गया और तब से अब तक 1,636 ग्रामों में स्वैच्छिक चकबन्दी कराई जा चुकी है, जो एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है।

उत्तर प्रदेश में सामाजिक सुरक्षा सम्बन्धी योजनाओं की प्रगतिः-

- गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में प्रमुख एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 31 मार्च, 1992 तक गरीबी की रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले 83.45 लाख व्यक्तियों को विभिन्न आय-अर्जक परियोजनाएँ उपलब्ध कराकर लाभान्वित किया गया। वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 3.70 लाख व्यक्ति लाभान्वित हुए, जो निर्धारित लक्ष्य का 105 प्रतिशत है।

- बेरोजगार युवकों को स्वतः रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के दृष्टिकोण से क्रियान्वित इस योजना के माध्यम से मार्च 1992 तक 2,79,543 विभिन्न प्रकार की लघु उद्योग इकाइयाँ स्थापित की गई। वर्ष 1992-93 में इस मद के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य 27,784 लघु उद्योग इकाइयों के सापेक्ष 32,807 इकाइयाँ स्थापित की गई। जो लक्ष्य का 118 प्रतिशत है।
- प्रमुख जानलेवा बीमारियों से शिशुओं को प्रतिरक्षण प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना के तहत वर्ष 1991-92 में 42.42 लाख बच्चे प्रतिरक्षित किए गए। वर्ष 1992-93 में इस कार्यक्रम के अन्तर्गत 47.17 लाख बच्चों के प्रतिरक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 43.89 लाख बच्चों के प्रतिरक्षण के लक्ष्य के सापेक्ष 43.89 लाख बच्चे अपेक्षित टीकाकरण/उपचार द्वारा लाभान्वित हुए, जो लक्ष्य का 93 प्रतिशत है।
- ग्रामीण क्षेत्र में आवासविहीन/आवास अभावग्रस्त परिवारों को आवास निर्माण हेतु आवास स्थल आबंटित किए जाने की इस योजना के तहत 31 मार्च, 1992 तक 25,33,136 आवास स्थल पात्र व्यक्तियों को आबंटित किए गए। वर्ष 1992-93 में 50,000 आवास स्थल आबंटित के लक्ष्य के सापेक्ष 1,23,115 आवास स्थल आबंटित किए गए।
- वर्ष 1992-93 में 18,500 दुर्बल वर्ग, 8,000 अल्प आय वर्ग हेतु आवासों के निर्माण तथा 1.50 लाख जनसंख्या मलिन बस्ती सुधार कार्यक्रमों से लाभान्वित करने का लक्ष्य रखा गया था, जिसके सापेक्ष 17,348 दुर्बल वर्ग हेतु, आवास, 7,738

अल्प आय वर्ग हेतु आवासों का निर्माण किया गया तथा 1.62 लाख जनसंख्या मलिन बस्ती सुधार से लाभान्वित हुई।

- उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य में नई राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना लागू करने का निश्चय किया है। यह योजना 1999-2000 की रबी फसल लागू की जाएगी। प्रथम वर्ष इसमें तीन नगदी फसलों-गन्ना, आलू व कपास को शामिल किया गया है।

- ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं के स्वास्थ्य की रक्षा तथा भोजन बनाने वाली ईंधन की बचत के उद्देश्य से इस योजना के माध्यम से 31 मार्च, 1992 तक 10.97 लाख विकसित चूल्हे वितरित किए गए। वर्ष 1992-93 में 3.00 लाख लक्ष्य के सापेक्ष 3.05 लाख विकसित चूल्हों की आपूर्ति की गई, जो लक्ष्य का 102 प्रतिशत है।

- पं. दीनदयाल सम्पर्क योजना के अन्तर्गत 1087 ग्रामों को पक्की सड़क से जोड़ने के लिए 1648 किमी मार्ग-निर्माण के लक्ष्य के विपरीत 491 किमी मार्गों को पक्का किया गया।

- विकालांग बच्चों के पोषण हेतु वर्तमान मासिक दर को 312 रूपए से बढ़ाकर 550 रूपए कर दिया गया हैं। विकलांगो को राजकीय बसों में मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान कर दी गई है।

- बेरोजगारी की समस्या से निपटने के लिए राज्य में स्वरोजगार से जुडी सभी योजनाओं के बीच समन्वय स्थापित करने के लिए उत्तर सरकार ने 'स्वरोजगार बन्धु योजना' प्रारम्भ की है।

- प्रदेश के अति निर्धन लोगों को अत्यन्त रियायती मूल्य पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की अंत्योदय अन्न योजना का प्रदेश में शुभारम्भ मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह ने 28 मार्च, 2001 को लखनऊ में किया। इस योजना के अन्तर्गत निर्धन परिवारों को 25 किग्रा अनाज प्रतिमाह अति रियायती मूल्य पर उपलब्ध कराया जाएगा। योजना के अन्तर्गत वितरित किए जाने वाले गेहूँ व चावल का निर्गम मूल्य क्रमशः 2 रूपए प्रति किग्रा. व 3 रूपए प्रति किग्रा. निर्धारित किया गया है।
- अति पिछड़ों व अति दलितों को आरक्षण देने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा गठित सामाजिक न्याय समिति ने राज्य में जातियों की संख्या जानने के लिए जातीय जनगणना कराने का निर्णय किया है। सन् 1931 के पश्चात् राज्य में यह पहली जातीय जनगणना होगी। समिति के अध्यक्ष संसदीय कार्यमंत्री हुकुम सिंह के अनुसार जातीय जनगणना का यह कार्य 30 जुलाई-6 अगस्त, 2001 के दौरान पंचायतों के परिवार रजिस्टर के आधार पर किया गया। इसे न्यायालय भी मान्यता प्रदान करता है।
- कुष्ठ रोग पर नियंत्रण के उद्देश्य से उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में तीन वर्षीय सघन अभियान चलाने का निर्णय किया है। इसके तहत कुष्ठ रोग की व्यापकता की दर को प्रति 10 हजार जनसंख्या पर एक रोगी तक लाया जाएगा[3]।

स्रोत:- 3. उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान, 2001-2002

अध्याय-षष्ठम्

सामाजिक सुरक्षा सम्बंधी योजनाओं का मूल्यांकन

अध्याय–षष्ठम्

सामाजिक सुरक्षा संबंधी योजनाओं का मूल्यांकन

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सरकार ने विभिन्न वर्गों के बीच समानता स्थापित करने और प्रत्येक व्यक्ति को न्यूनतम जीवन स्तर की सुविधा प्रदान करने हेतु विभिन्न योजनाओं का निर्माण और तत्पश्चात् उसे सफलीभूत करने हेतु नाना प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन किया। कतिपय योजनाऐं तो कुछ हद तक सफल हुई कहा जा सकता है परन्तु, अधिकांश योजनाएं कोरी कल्पना साबित हुई और फाइलों तक ही सिमटकर रह गई। कुछ योजनाओं का निर्माण और प्रारंभ तो काफी आकर्षक ढंग से हुआ किन्तु समाज में व्याप्त भ्रष्टाचार और अराजनैतिकता के कारण अंतगोगात्वा औंधे मुंह गिर पड़ी। सरकार ने कमजोर वर्गों की रोजी-रोटी, शिक्षा, बेरोजगारी और आकस्मिक आपदाओं से निपटने हेतु तरह-तरह की योजनाओं का निर्माण किया और उसके संविधान सम्मत्-अनुपालन की व्यवस्था की। सरकारी योजनाओं एवं कार्यक्रमों की लाभदायकता का मूल्यांकन करने हेतु इन्हें निम्नलिखित श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है:-

1. गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं
2. कृषि संबंधी योजनाएं
3. रोजगार संबंधी योजनाएं

4. शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं

5. आवास संबंधी योजनाएं

6. अन्य विकास योजनाएं

१. <u>गरीबी उन्मूलन संबंधी योजनाएं</u>

(Critical Evaluation of the Strategy of Poverty Alleviation)-

आयोजकों का यह दावा है कि सातवीं योजना में गरीबी निवारण की युक्ति को छठी योजना के अनुभव के आधार पर संशोधित किया गया है इसलिए नई युक्ति मे पुरानी युक्ति के दोष नहीं है परन्तु अधिकतर अर्थशास्त्री आयोजको के इस दावे से सहमत नहीं है। उनके अनुसार, मूलभूत कमियां ज्यों की ज्यों है। इस संदर्भ में गरीबी निवारण युक्ति की निम्नलिखित आलोचनाएं प्रस्तुत की गई है:-

(क) गरीबी निवारण कार्यक्रम का पूरा ध्यान अतिरिक्त आय के सृजन पर केन्द्रित रहा है। इसलिए दीर्घकालीन आधार पर गरीबी को दूर करने के लिए आवश्यक सामाजिक आगतों की आपूर्ति पर ध्यान नहीं दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि परिवार कल्याण, पौष्टिक आहार, सामाजिक सुरक्षा तथा न्यूनतम आवश्यक्ताओं की पूर्ति की ओर ध्यान नहीं दिया गया है।

(ख) इस कार्यक्रम में अपाहिज, बीमार तथा उत्पादक रूप से काम करने के अयोग्य लोगों के लिए कुछ नहीं किया गया है। इन लोगों की समस्या अलग है क्योकि ये सामान्य आर्थिक गतिविधियों में हिस्सा नहीं ले सकते ।

(ग) आय तथा रोजगार प्रदान करने वाले गरीबी निवारण कार्यक्रम गरीबों को अतिरिक्त आय उपलब्ध कराते है जिसका उपयोग ये लोग खाद्यानों की खरीदारी के लिए कर सकते है। परन्तु ये कार्यक्रम इस बात को निश्चित नहीं पर पाते कि गरीब लोगों को वर्षपर्यन्त खाद्यान्नो की उपयुक्त मात्रा में प्राप्ति हो सके क्योंकि यह तो खाद्यान्नों की कीमतों, पूर्ति की सहजता तथा आय प्राप्त होने के संयम पर निर्भर करता है।

(घ) जनसंख्या के लगातार बढ़ते हुए दबाव की परिस्थिति में जबकि खेतों का आकार लगातार छोटा होता जा रहा है स्वरोजगार उद्यमों पर या मजदूरी के रोजगार कार्यक्रमों पर निर्भरता सही नहीं है। इसलिए जी. पार्थसारथी के अनुसार समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम को संशोधित करने की आवश्यकता है ताकि भूमि व जल साधनों का विकास किया जा सके, शोषणकारी प्रवृतियों को रोका जा सके तथा क्रय शक्ति (विशेष रूप से राज्य की क्रय शक्ति) का कम आय वाले परिवारों के लाभ के लिए प्रयोग किया जा सके।

(ड.) गरीबी निवारण के कार्यक्रमो की सफलता को जांचने के लिए इस कसौटी का प्रयोग करना कि गरीबी की रेखा को कितने लोग पार कर सके है उपयुक्त नही है। इस बात पर भी ध्यान देना आवश्यक है कि गरीबी की रेखा से नीचे रह रहे विभिन्न लोगों के आय स्तरों पर क्या प्रभाव पड़ रहा है। इस संदर्भ में अमर्त्य सेन का यह सुझाव है कि गरीबी की रेखा से नीचे वाले आय वर्गो को अलग-अलग भार दिये जाएं।

सी.टी कुरियन (C.T.Kurien) ने गरीबी निवारण की युक्ति की ज्यादा सारभूत एवं बुनियादी आलोचना प्रस्तुत की है। कुरियन के अनुसार "विद्यमान संरचना के रहते हुए चाहे राजनैतिक व प्रशासनिक ईमानदारी से प्रयास किए जाएं तो भी गरीबी निवारण में सफलता नही मिलेगी। इसका कारण यह है कि विद्यमान संरचना में साधनों पर निजी अधिकार है, उनका वितरण असमान है तथा उनका प्रयोग और साधनों पर नियंत्रण पाने के लिए किया जाता है। इस प्रकार की संरचना में संवृद्धि एवं वितरण की प्रक्रियाओं का निर्धारण साधनो व शक्ति के वितरण से ही होगा। कई बार संरचानात्मक कारकों का प्रभाव इतना गहरा व मजबूत होगा कि अत्यन्त सावधानी से बनाई गई युक्ति व नीतियाँ भी न केवल असफल सिद्ध होगी परन्तु उनका प्रतिकूल प्रभाव पडेगा"[1]। अपने तर्क के समर्थन में कुरियन ने आर.सिन्हा व सहयोगियों के एक अध्ययन का हवाला दिया है। इस अध्ययन में किए गए सांख्यिकीय सर्वेक्षण से पता लगता है कि राष्ट्रीय आय में एक रूपये की वृद्धि से लाभ अधिकतर ग्रामीण श्रेत्र के धनी वर्गों तथा शहरी क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को ही होगा, गरीब लोगों को बहुत कम मिलेगा। इस अध्ययन में किए गए विश्लेषण से सिद्ध होता है कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों के सबसे गरीब वर्ग को एक रूपया दिया जाता है तो आय में कुल 1.916 रूपये की वृद्धि होगी जिसमें से 0.213 रूपये सबसे गरीब वर्ग को, 0.520 रूपये मध्यम वर्ग को तथा 1.183 रूपये सबसे ऊँचे वाले वर्ग को प्राप्त होगे। इसके अलावा, शहरी क्षेत्रों में 0. 640 रूपये की आय का सृजन होगा। यह निष्कर्ष आश्चर्यजनक अवश्य लगता है परन्तु

स्रोतः- 1. भारतीय अर्थव्यवस्था, मिश्र एवं पुरी, पृ. स. 184

भारत जैसे देशों में इसकी सत्यता पर सन्देह नही किया जा सकता है। भारत में ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला सबसे गरीब वर्ग अपनी आय का एक महत्वपूर्ण हिस्सा खाद्यान्नों पर खर्च करता है और कृषि क्षेत्रों में पैदा हुई आय का झुकाव उच्च्च आय वर्ग के पक्ष में अत्यधिक होता है, इसलिए सबसे नीचे वाले आय वर्ग को जब कोई आय मिलती है तो उसका अधिकांश भाग बहकर ग्रामीण उच्च्च आय वर्गो को चला जाता है।

इरमा ऐडलमैन और शर्मन रोबिन्सन ने इसी प्रकार का अध्ययन दक्षिणी कोरिया के लिए किया था। इससे उन्हे लगभग वही निष्कर्ष मिला जो ऊपर भारत के लिए आर. सिन्हा व सहयोगियों को प्राप्त हुआ था। ऐडलमैन और रोबिन्सन ने यह पाया कि गरीबी निवारण की अधिकतर नीतियों से धनी व मध्यम आय वर्गों को गरीब आय वर्गो की अपेक्षा अधिक लाभ प्राप्त हुआ। यह बात तब भी देखने में आई जबकि इन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए धनी आय वर्ग के लोगों पर अधिक कर लगाकर साधन जुटाये गए, कार्यक्रम इस तरह से बनाए गये कि उनका प्रथम प्रत्यक्ष प्रभाव गरीब आय वर्गो पर पड़ा तथा कार्यक्रमो के कार्यान्वयन में भ्रष्टाचार या बेईमानी नहीं थी।

इस प्रकार ऐसा लगता है कि जब तक मूल ढांचागत परिवर्तन नहीं लाए जाते तब तक देश चाहे भारत हो या दक्षिणी कोरिया, गरीबी निवारण के कार्यक्रमों से लाभ गरीब लोगों को कहीं ज्यादा होगे (हालांकि ये कार्यक्रम गरीबो के लिए ही बनाए जाते है)। निष्कर्ष है कि जब तक संरचना में आमूल परिर्वतन नहीं होते अर्थात् जब तक उत्पादन -सम्बन्धों को बदला नहीं जाता तब तक हमारे जैसे देश के गरीबो के लिए बहुत अधिक आशा करना व्यर्थ है।

२- कृषि संबंधी योजनाएं-

भारतीय अर्थव्यवस्था का आधार ही कृषि है। अतः एक कृषि प्रधान देश होने के नाते कृषि संबंधी कई योजनाएं लागू की गई परन्तु वो किस हद तक सफल हुई इसका विश्लेषणात्मक विवरण प्रस्तुत है।

लघु कृषक विकास कार्यक्रम चौथी पंचवर्षीय योजना में आरम्भ किया गया, इस कार्यक्रम का उद्देश्य छोटे व सीमान्त किसानो को तकनीकी व वित्तीय सहायता उपलबद्ध कराना था। जिसमें छोटे किसानो को समय रहते कृषि के प्रति जागरूक बनाया जा सके। क्योंकि ये किसान भारतीय अर्थव्यवस्था के विकास के प्रमुख आधार है। शुरू के वर्षो में जब इस योजना को प्रतिपादित किया गया था तो उसके अन्तर्गत दी जाने वाली सारी की सारी सुविधाएं किसानो तक आसानी से पहुँच रही थी और इसके परिणाम भी बहुत अच्छे रहे परन्तु कालान्तर मे नौकरशाही की वजह से इसका भविष्य अंधकारमय होने लगा और इसी बात को ध्यान में रखकर हमारी सरकार ने बाद में इसे समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP) के अन्तर्गत शामिल किया। यद्यपि इस कार्यक्रम का उद्देश्य बहुत व्यापक था परन्तु इसे बडी सावधानी के साथ लागू किया गया था। इसका क्षेत्र सीमांत किसानों को लघु सिंचाई भूमि विकास, भूमि संरक्षण, पशुपालन, आदि के लिए तकनीकी व वित्तीय सहायता प्रदान किया जाना था। इसके अन्तर्गत प्रमुख रूप से सिंचाई को शामिल किया गया था जिसके लिए सरकार ने पर्याप्त मात्रा में कुओं की व्यवस्था, मध्यम आकार के तालाबों की व्यवस्था एवंम्

छोटी-छोटी सीमांत नहरों का जाल बिछाया। बल्कि हम तो यह भी कहेगें कि सिंचाई के संबंध मे सरकार की फ्री बोरिंग की सुविधा ज्यादा कारगर हुई जो कि देश के ब्लाकों के माध्यम से लघु किसानों को मुहैया कराई गई। जहाँ तक भूमि विकास का प्रश्न है तो इस संदर्भ में सरकार का मृदा परीक्षण कार्यक्रम बहुत हीं सफल था। जिसका उद्देश्य कम से कम उर्वरक का प्रयोग करके अधिकाधिक अन्न उत्पादन करना था। जिसका अप्रत्यक्ष रूप से स्वास्थ्य पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। उपरोक्त अनेक योजनाओं के साथ-साथ सरकार की पशुपालन योजना काफी प्रभावी रही इससे हमारी गरीब जनता को रोजगार, खाना बनाने के लिए प्रदूषण रहित ईंधन और प्राकृतिक उर्वरक की भी व्यवस्था हो जाती है।

सन् 1977-78 में हमारी सरकार ने मरूस्थल विकास कार्यक्रम के नाम पर एक अलग से योजना प्रारंभ की और प्रारंभ में राजस्थान के ग्यारह जिलों में लागू की गई । इसकी सफलता के पश्चात् देश के पाँच राज्यों के इक्कीस जिलों में लागू किया गया जिसका उद्देश्य मरूस्थलीय क्षेत्र को कृषि योग्य बनाकर संपूर्ण कृषि क्षेत्र एवं उत्पादन में वृद्धि करना था। यदि इसका हम विश्लेषणात्मक अध्ययन करें तो इसे हम सफल योजना का नाम दे सकते है।

1981-82 तक इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विकास खण्डों की संख्या के अनुसार जिलेवार धन का वितरण किया गया। प्रत्येक ब्लॉक को 15 लाख रूपए की संस्तुति प्रदान की गई। सन् 1982-83 में धन वितरण की पद्धति का पुनरावलोकन किया गया जिसमें प्रत्येक जिले को उसके क्षेत्र के अनुसार धन मिलने की व्यवस्था की गई। परन्तु राजस्थान के श्री

गंगानगर जिले पर ये सीमा नही लगाई गई और इस जिले को एक मुश्त राशि का वितरण करने की व्यवस्था की गई।

मरूस्थल विकास कार्यक्रम मुख्य रूप से राजस्थान के सूखाग्रस्त क्षेत्रों में संपंन्न किया जा रहा है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रों द्वारा अनेक प्रकार के कार्यक्रम संपन्न किए जा रहे है। भारत सरकार के निर्देशानुसार निम्नलिखित कार्य इस कार्यक्रम के अनतर्गत संपन्न किए जा रहे है :-

(क) <u>कृषि क्षेत्र</u>-

इसके अन्तर्गत मेडबंदी और समतलीकरण, विभिन्न बांधो और तालाबों में वर्षा के जल का संचयन, बागवानी एवं अन्य तकनीको यथा मृदा और नमी संरक्षण आदि को लिया गया।

(ख) <u>बागवानी क्षेत्र</u>-

सब्जी एवं फल पौधशालाओं का विकास, तालाबो के आस पास के क्षेत्र की घेराबंदी करके बागवानी का विकास एवं पौधरोपण सामग्री की उचित दर पर आपूर्ति आदि बातों को इस क्षेत्र के अन्तर्गत रखा गया।

(ग) जलस्रोत विकास-

इसके अन्तर्गत वर्षा जल संरक्षण हेतु, तालाबों का निर्माण व छोटे - छोटे नालो की खुदाई एवं पर्कोलेशन टैक्स आदि को शामिल किया गया है। सामुदायिक सिंचाई कुओं का निमार्ण भी इस योजना के अन्तर्गत सम्मिलत है।

(घ) पशुधन क्षेत्र-

इसके अनतर्गत पशुओं के लिए चारे का उत्पादन, एवम चारागाहो के विकास को शामिल किया जाता है।

(ङ.) दुग्ध विकास क्षेत्र-

इसके अन्तर्गत दुधारू पशुओं हेतु उत्तम चारा उत्पादन के विकास की व्यवस्था की गई है।

(च) वृक्ष विकास क्षेत्र-

इस क्षेत्र में चारागाह विकास, नमी संरक्षण क्षेत्र की घेराबंदी एवं चारे वाले वृक्षों को लगाने के कार्यक्रम शामिल है।

(छ) वानिकी क्षेत्र-

इसमें सामाजिक वानिकी, कृषि वानिकी और ऊसर भूमि विकास कार्यक्रमो को लिया गया जिसमें वियाबानों में वृक्षारोपण करने की व्यवस्था की गई।

(ज) <u>मत्स्यपालन क्षेत्र</u>-

इसके अन्तर्गत मत्स्यपालन, पोखरों एवं तालाबों का निर्माण, मत्स्य बीज एवं मत्स्य बीजो का उत्पादन आदि कार्य को सम्मिलित किया गया है।

(झ) <u>रेशम कीट पालन क्षेत्र</u>-

इसके अन्तर्गत शहतूत के वृक्षो का रोपण एवं अन्य रेशम के कीटों का उत्पादन किया जाता है।

(ञ) <u>पशुओ हेतु पेयजल की व्यवस्था</u> -

इसमें चारागाहों के आसपास जानवरों हेतु स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था को सम्मिलित किया गया है।

यद्यपि हमारी सरकार ने इस योजना से पहले सन् 1973-74 में सूखा आशंकित क्षेत्र कार्यक्रम शुरू किया था। जिसका उद्‌देश्य सूखा ग्रस्त क्षेत्रों में रोजगार के माध्यम से गरीब तबके के लागों की आय में वृद्धि करना था। परंतु ये योजना उतनी कारगर सिद्ध नहीं हो पाई जितना की इससे उम्मीद की गई थी।

भारत सरकार ने अपने छोटे किसानों के लिए कृषि सेवा केन्द्र की स्थापना करके यह प्रयास किया कि हमारे किसानों द्वारा उत्पादित किया गया खाद्यान उचित कीमत पर उनसे खरीदा जाए। विभिन्न माध्यमो से बेरोजगार कृषि स्नातकों को प्रशिक्षित भी किया गया तथा

यह भी प्रयास किया गया कि हमारे किसानों को कृषि से संबंधित अनेक तकनीकी जानकारी भी ग्रामीण क्षेत्रों में आसानी से उपलब्ध हो सके। यद्यपि इस योजना के माध्यम से देश के उत्पादन में दोगुने की वृद्धि हुई। इस बात को आप इस तरीके से समझ सकते है कि सन् 1950-51 में हमारे देश का जितना कुल उत्पादन था उसका ढाई गुना सन् 2000-2001 के दौरान अन्न भण्डारों में खाद्यान्न जमा था। अतः इस योजना को हम सफलतम योजना के नाम से जानते है। और वर्तमान समय में तो हमारी केन्द्र सरकार छोटे किसानों से स्वतः घाटा सहकर 530/- रू0 प्रति क्विंटल चावल तथा 620/- रू0 प्रति क्विंटल गेहूँ खरीद रही हैं जबकि अनतर्राष्ट्रीय बाजार में हमारा ही पड़ोसी चीन 350-450 /- रू0 क्विंटल के मध्य गेहूँ देने को तैयार बैठा है[2]।

वर्तमान समय मे हमारी सरकार ने जुलाई 2001 मे 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के किसानों के लिए विशेष रूप से सामाजिक सुरक्षा की योजना लागू किया जिसके संबंध में अभी टीका-टिप्पणी करना उचित नहीं है।

३. रोजगार संबंधी योजना :-

भारत सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगों के लिए अधिकतम रोजगार उपलब्ध कराने के संबंध में समय-समय पर अनेक योजनाए स्वीकृत की गई और उन्हीं सबों का सम्मिलित प्रयास था कि आज हम विश्व मानचित्र पर सैन्य शिक्षा के अलावा रोजगार के रूप में भी एक सबल राष्ट्र के रूप में माने जाते है। यद्यपि हमारी जनसंख्या वृद्धि की दर विकास की

स्रोतः- 2. हिन्दुस्तान 20 मार्च, 2002

दर से सामान्यतया कुछ अधिक रही इसलिए हमारी सारी की सारी योजनाए कम सफल महसूस होती हैं, परंतु ऐसा नहीं है। क्योकि यदि हम कुल रोजगार युवकों, जिसमें से विशेषकर गरीब वर्ग पर प्रकाश डाले तो 67.38 प्रतिशत बारह महीने के रोजगार में संलग्न है तो 80 प्रतिशत युवक अर्द्धकालिक रोजगार ही प्राप्त करते हैं जोकि योजना का कमजोर पक्ष है। परन्तु योजनाओं से पूर्व उपरोक्त अनुपात मात्र क्रमशः 27 एवं 38.68 प्रतिशत थे।

हमारी सरकार ने 15 अगस्त 1979 को कमजोर युवाओं के लिए स्वरोजगार हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम चलाया था जिसमें विशेषरूप से अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा विकलांगो के लिए व्यवस्था की गई थी। बाद के वर्षों में यह योजना धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी अतः सरकार ने 1989 में इस योजना को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया। जो कि JRY के नाम से अत्यधिक प्रचलन में है और इसका शुभारंभ भी तत्कालीन सरकार ने 1989-90 में ही किया था। जिसके लिए धन 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता था। यह योजना काफी सफल रही और अंततः 1 अप्रैल 1999 से इसको जवाहर ग्राम समृद्ध योजना के रूप में नया नाम दिया गया।

सरकार द्वारा 2 अक्टूबर 1993 को प्रधानमंत्री रोजगार योजना लागू की गई जिसका क्षेत्र जवाहर रोजगार योजना से व्यापक था और उसमें शहर और गांव को सम्मिलित किया गया और उसके अन्तर्गत 18-35 वर्ष आय वर्ग के शिक्षित बेरोजगारों को स्वरोजगार हेतु वित्तीय सहायता उपलब्ध कराया जाना था। जहाँ उद्योग के लिए 2 लाख रूपये तथा व्यवसाय

के लिए 1 लाख रूपए तक ऋण की व्यवस्था थी और उसमें ऋण का 15 प्रतिशत अथवा 7500 रू0, जो दोनों में कम है तक अनुदान की भी व्यवस्था बनाई गई और ऋण प्रदान करते समय आरक्षण की व्यवस्था का भी ध्यान रखा गया। हम इस योजना को रोजगार हेतु उपलब्ध कराई गई योजनाओं में सबसे सफलतम कह सकते है।

हमारी सरकार ने 2 अक्टूबर 1980 को राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम की शुरूआत की जिसे सामुदायिक विकास कार्यक्रम के नाम से भी जाना जाता है। छठी पंचवर्षीय योजना में पिछली समस्त कार्यक्रमों को सम्मलित कर लिया गया। 20 सूत्री कार्यक्रम के अन्तर्गत यह कार्यक्रम विभिन्न क्षेत्रों मे गरीबो एवं कमजोरों के विकास हेतु बनाया गया। यह योजना यद्यपि केन्द्र सरकार द्वारा प्रायोजित है परन्तु परिवार कल्याण जैसे कुछ कार्यक्रम के लिए धन की पूरी व्यवस्था केन्द्र द्वारा की जाती है जबकि अन्य कार्यक्रमों में राज्य सरकार की इसमें आधे की भागीदारी है। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत राज्यों को संसाधनों का बटँवारा, वहाँ के कृषि श्रमिकों, सीमांत किसानों एवं सीमांत श्रमिकों को ध्यान में रखकर किया जाता है। इतना ही नहीं इसके अन्तर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं सामाजिक वानिकी पर भी विशेष ध्यान दिया जाता है। यह कार्यक्रम पर्याप्त सीमा तक प्रभावी रहा क्योंकि इसमें आवंटित धनराशि का 50 प्रतिशत मजदूरी के रूप में नकद भुगतान के रूप में और 50 प्रतिशत का भुगतान वस्तु के रूप में, प्रमुख रूप से अनाज के रूप में दिए जाने की व्यवस्था है। इस योजना की सबसे बड़ी विशेषता यह है कि इसमें बिचौलियों को कोई महत्त्व नहीं दिया गया।

1983 में ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम शुरू किया गया। जिसका लक्ष्य भूमिहीन ग्रामीण मजदूरों के प्रत्येक परिवार के कम से कम एक सदस्य को वर्ष में 100 दिन रोजगार देने का था। यह कार्यक्रम शत प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा अनुदानित था। धन के आबंटन का 50 प्रतिशत हिस्सा कृषि मजदूरों, सीमांत कृषकों और 50 प्रतिशत महत्व ग्रामीण गरीबी के अंकुश पर दिया गया।

बाद के वर्षो में यह योजना धीरे-धीरे फीकी पड़ने लगी अत: सरकार ने 1989 में इस योजना को जवाहर रोजगार योजना में शामिल कर दिया। जो कि JRY के नाम से अत्यधिक प्रचलन में है और इसका शुभांरभ भी तत्कालीन सरकार ने 1989-90 में ही किया था। जिसके लिए धन 80 प्रतिशत केन्द्र सरकार द्वारा तथा 20 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा प्रदान किया जाता था। यह योजना काफी सफल रही। इस योजना की 22.5 प्रतिशत धनराशि अनुसूचित जाति/जनजातियों की अलग लाभार्थी योजनाओं के लिये निर्धारित की गयी है। परिसम्पतियों में रखरखाव पर 15 प्रतिशत तक की धनराशि खर्च की जा सकती है।

वर्ष 2000-2001 में केन्द्र ने योजना के लिये 1520 करोड़ रूपया की राशि का प्रावधान किया है।

जवाहर रोजगार योजना का लक्ष्य उन परिवारों को प्रभावी रोजगार प्रदान करना था जो ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा के नीचे जी रहे थे। इसमें सामुदायिक सम्पदा का सृजन करने का लक्ष्य रखा गया जो ग्राम्य गरीबी को सदा के लिए दूर कर, उनकी स्थिति में सुधार करना था।

इस योजना के अन्तर्गत धन का आवंटन राज्यों में गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों की संख्या के आधार पर किया जाता है। राज्य इस धन का आवंटन जिलों के कृषक मजदूरों के अनुपात के आधार पर करता है।

इस योजना के अन्तर्गत किए जाने वाले कार्यो में स्कूल भवन एवं गांवो में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों का निर्माण, अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति के लोगों को काम, ऊसर भूमि सुधार एवं पौधशालाओं, इंदिरा आवास येाजना के अन्तर्गत आवासें, का निर्माण एवं जीवन धारा कार्यक्रम के तहत कुओं, तालाबों एवं नल कूपों का निर्माण आदि है। इतना ही नही सम्पर्क मार्गो का निर्माण, सामुदायिक केन्द्रों का निर्माण आदि एवं ग्रामीण स्वास्थ्य हेतु सार्वजनिक शौचालयों का निर्माण शामिल था।

प्रधानमन्त्री ने 15 अगस्त 2001 के अवसर पर राष्ट्र को सम्बोधित करते हुये 10 हजार करोड रूपये की नई महत्वाकांक्षी योजना, सम्पूर्ण रोजगार योजना की घोषणा की । इससें देश के कमजोर वर्गो के लोगो के जीवन स्तर में सुधार होगा और उनके लिये रोजगार के अवसर और ज्यादा सुनिश्चित तौर पर उपलब्द्ध होगें। इस योजना के अन्तर्गत रोजगार के तहत जो लोग स्थायी परिसम्पतियों का निर्माण करेगें उन्हे नगद अथवा अनाज के रूप में भुगतान किया जायेगा। इसके लिये केन्द्र द्वारा 5000/- करोड़ रूपये की कीमत के 50 लाख टन अनाज हर वर्ष राज्यो में दिये जायेगें। केन्द्र सरकार की सभी रोजगार सम्बन्धी योजनाओं का इस बडी योजना में विलय कर दिया जायेगा। इस येाजना से सौ करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्द्ध होने की उम्मीद है। इस योजना से अधिक से

अधिक कमजोर वर्ग के लोगों को लाभ पहुँचाने के लिये चर्तुमुखी रणनीति अपनाई गयी है, जिसमें योजना के बारे में लोगों को जानकारी देना, योजना के कार्यान्वयन में पारदर्शिता, विकास प्रक्रिया में जनता की भागीदारी को बढावा देना और जिम्मेदारी की भावना बढ़ाने के लिये सामाजिक लेखा जोखा करना शामिल है।

४. शिक्षा एवं स्वास्थ्य संबंधी योजनाएं :-

एक विकसीत राष्ट्र की प्रमुख आवश्यकता है शिक्षित और स्वस्थ नागरिक। एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है। एक स्वस्थ मस्तिष्क का व्यक्ति ही उपनी आवश्यकताओं, संभवानाओं और प्रमुखताओं को सही तरीके से समझ कर सही दिशा दे सकता है। शिक्षा के आभाव में सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों का कोई महत्व नहीं रह जाता क्योकि ये सारी योजनाएं उनकी समझ के परे होती है अतः इन योजनाओं और कार्यक्रमों में उनकी भागीदारी नगण्य हो जाती है। सरकार मूलभूत आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु आवश्यक सुविधाए मुहैया कराती है किन्तु शिक्षा के आभाव में लोगों की सक्रिय भागीदारी नही होने की वजह से उपलब्ध सुविधाओं और आवंटित धनराशि का सदा दुरूपयोग होता है। शिक्षा के आभाव में संपूर्ण सरकारी तंत्र खोखली साबित होती आई है और सारी येाजनाएं धरी की धरी रह जाती है। एक शिक्षित व्यक्ति ही, एक सभ्य समाज और विकसित एवं सुदृढ़ राष्ट्र का निर्माण कर सकता है । शिक्षित व्यक्ति का स्वस्थ होना भी नितांत आवश्यक है। एक स्वस्थ व्यक्ति ही शिक्षा का सदुपयोग कर सकता है।

सरकार ने सन् 1975 में गरीबी हटाओ नारे के अन्तर्गत बीस सूत्रीय कार्यक्रम दिया, जिसे दो बार पुनर्रचित किया जा चुका है। इस कार्यक्रम में 'सबके लिए स्वास्थ्य' और ' शिक्षा का विस्तार' को प्रमुखता दी गई । इससे संबंधित कई योजनाएं और कार्यक्रम चलाए गए और इसे दूर करने की कोशिश निरंतर जारी है।

इसी क्रम में सरकार ने 1986 में नई शिक्षा नीति के अन्तर्गत कमजोर एवं गरीब वर्गो के लिए आपरेशन ब्लैक बोर्ड कार्यक्रम का श्री गणेश किया । इस कार्यक्रम का लक्ष्य शिक्षा का समाज के वंचित वर्ग के मध्य प्रचार एवं विस्तार करना था। यह महत्वाकांक्षी योजना क्रियान्वयन के प्रथम दौर में कारगर रही परन्तु अन्य कार्यक्रमों की तरह धीरे-धीरे यह भी कुव्यवस्था एवं भ्रष्टाचार का शिकार हो गयी।

'आपरेशन ब्लैक बोर्ड' के असफल हो जाने के बाद आम आदमी को, विशेषरूप से कमजोर वर्गो को शिक्षा से जोड़ने के लिए एक नये शिक्षा कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई । इसके अन्तर्गत सन् 1998 में 'स्कूल चलो अभियान' कार्यक्रम की शुरूआत की गई। अनेक प्रोत्साहन एवं लालच के माध्यम से वंचित वर्गो को स्कूल जाने के लिए प्रेरित किया गया। इस योजना पर भी सरकार ने लगभग 150 करोड़ रूपया खर्च किया। नौकरशाही के चक्रव्यूह में यह पैसा डूब गया और योजना का उद्देश्य भी इसी में विलीन हो गया।

राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय दबावों के बीच सरकार ने सन् 2002 में शिक्षा को सर्वसुलभ एवं सुगम बनाने के लिए 'सर्वशिक्षा अभियान' कार्यक्रम की शुरूआत की। इस कार्यक्रम का शुरूआती दौर सरकारी खर्चे पर सडकों पर रैली एवं दीवारो पर नारों की लिखाई तक

सीमित है। इस कार्यक्रम में भी अभी तक चिन्हित वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित नही हो सकी है।

परन्तु यदि इस योजना को लक्ष्यगत तरीके से लागू किया गया तो इसका कमजोर वर्गो की शिक्षा पर दूरगामी सकारात्मक प्रभाव पडेगा।

सरकार ने सन् 1997 में स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर बालिका समृद्धि योजना की घोषणा की जिसने गरीबी रेखा के नीचे की बालिकाओं को, जिनका जन्म 15 अगस्त 1997 के बाद हुआ है, शिक्षा के प्रति आकर्षित करने का सफल प्रयास किया। शिक्षा के साथ स्कालरशिप का प्रावधान होने से उनकी न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति भी साथ-साथ होने लगी और जन्म के समय प्राप्त राशि से उचित पोषाहार की व्यवस्था होने से यह कार्यक्रम सफल रहा । गरीब परिवार में बालिका का जन्म, जो अभिशाप समझा जाता था, यह अवधारणा कुछ कम हुई। गरीबों के समक्ष शिक्षा से बढ़कर पेट की समस्या होने से इन कार्यक्रमों की सफलता में संदेह बना रहा। भूखे पेट को शिक्षा से नहीं भरा जा सकता अतः शिक्षा संबंधी योजनाओं को जमीनी स्तर तक सफल बनाने के लिए इसे शिक्षा के साथ-साथ पोषाहार से जोडा गया।

शिक्षा के प्रति जागरूकता लाने के लिए तथा बच्चों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार ने 'बालवाड़ी पोषाहार कार्यक्रम' शुरू किया। इसके अन्तर्गत 3-5 वर्ष की आयु के बच्चों को पूरक पोषाहार के साथ-साथ मनोरंजन की सुविधा दी जाती है । आज देश के ग्रामीण जनजातिय और शहरी गंदी बस्तियों में 8063 बालवाडियां है जिनसे 3.50 लाख

बच्चों को लाभ पहुँच रहा है। यह कार्यक्रम राष्ट्रीय स्तर के पांच स्वयंसेवी संगठनो द्वारा चलाया जा रहा है जिन्हे सरकार वित्तीय सहायता देती है। परन्तु अव्यवस्था और भ्रष्टाचार की वजह से इन सुविधाओं का समुचित लाभ उन्हे नहीं मिल पा रहा जो इसके वास्तविक हकदार हैं। बालवाड़ी कार्यकर्त्ता इसका समुचित लाभ उठा रहे है। कागजों पर यह सफलतम कार्यक्रम की श्रेणी में आता है और इसे कुछ हद तक सफल कार्यक्रम कहा भी जा सकता है। आए दिन अखबारों में बालवाडी कार्यकर्ताओं की करतूतो का खुलासा होता रहता है। अतः यह स्पष्ट है कि सरकार तो समुचित सुविधाएं उपलब्ध करा रही है परन्तु उसका दुरूपयोग जारी है।

आगे चलकर सरकार ने प्राथमिक शिक्षा पर बल देते हुए इसके सर्वव्यापीकरण का अभियान चलाया। निःशुल्क और अनिवार्य पंजीकरण होने पर भी लोगों की उदासीनता इस ओर बनी रही। इसके लाभ से वो सर्वथा अनजान थे। उनके लिए जितने हाथ, उतना काम और उतना ही पैसा, इतनी ही बात समझ आती थी जिससे वे अपनी न्यूनतम आवश्यकता की पूर्ति कर सके। अतः इसके प्रति जागरूकता लाने हेतु इसे आकर्षक बनाना अनिवार्य था। अतः देश के कुछ राज्य सरकारों द्वारा स्कूली बच्चों के लिए दोपहर के भोजन की योजना बनाई गई। सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं के पास खाद्यान्नों के पर्याप्त भण्डार होने से केन्द्रीय सरकार ने भी उसे अवस्थाबद्ध लागू किया। यहाँ तक की निजी प्राथमिक विद्यालयों में पढने वाले बच्चों को भी दोपहर का भोजन निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। जिन स्कूलों में भोजन पकाने की व्यवस्था नही है वहां प्रत्येक विद्यार्थी को 3 कि0 ग्रा0 अनाज प्रतिमाह दिया

जाता है। इस योजना के काफी लाभदायक परिणाम सामने आए। विद्यालयों में छात्रों की उपस्थिति और संख्या में पर्याप्त वृद्धि हुई । 'मध्यान्ह भोजन कार्यक्रम' के तहत आज देश के लगभग 8 करोड़ बच्चे लाभान्वित हो रहे है और सरकार करीब 900 करोड़ रूपए इस पर व्यय उठा रही है। इस योजना का पर्याप्त लाभ नौकरशाही भी उठा रही है।

स्वास्थ्य मात्र रोग निवारण ही नहीं, इससे अधिक है। यह शारीरिक तथा मानसिक सुख की अनुकूल दशा है। एक व्यक्ति की गहन तथा सतत् कार्य तथा जीवन का आनंद लेने की क्षमता काफी हद तक उसके स्वास्थ्य की दशा पर निर्भर करती है। इसलिए लोगों के स्वास्थ्य की दशा में सुधार मानव संसाधन विकास तथा जीवन की बेहतर गुणत्ता की अनिवार्य तत्व है।

किसी भी देश का विकास देश की उत्पादकता पर निर्भर करता है। ये उत्पादक वर्ग ही कमजोर वर्ग होते है जो अपनी न्यूनतम आवश्कताओं की पूर्ति के लिए मजदूरी करते है। अतः इन कमजोर वर्ग के लोगों का स्वस्थ होना परम आवश्यक है ताकि देश का विकास हो । अस्वस्थता से श्रम शक्ति का हास होता है इसलिए सरकार ने कमजोर वर्गो की सुविधाओं के लिए जगह-जगह प्राथमिक चिकित्सा केन्द्रो की स्थापना की। लोगो मे स्वास्थ्य के प्रति जागरूकता लाने के लिए यहाँ आवश्यक बातों की जानकाकियां अशिक्षित और कमजोर वर्ग के लोगों को दी जाने लगी तथा निःशुल्क आवश्यक सुविधा भी इनके माध्यम से सरकार उपलब्ध कराती रही है।

'सामाजिक सुरक्षा कोष' के माध्यम से प्रसूति खर्च के लिए सहायता, बच्चों की देख भाल के लिए भत्ते की भी व्यवस्था सरकार द्वारा उपलब्ध है ताकि उन्हे उचित समय पर उचित पोषाहार उपलब्ध हो सके। मातृत्व लाभ योजना के अन्तर्गत प्रथम और द्वितीय प्रसव पर दी जाने वाली 500 रूपये की राशि भी इनके स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर सरकार दे रही है। इन योजनाओं की सफलता का ही परिणाम है कि देश की जनसंख्या वृद्धि दर में कमी आई। यह कमजोर वर्गो में स्वास्थ्य के प्रति चेतना जागृत होने से ही संभव हुआ।

सरकार बच्चो के जन्म के साथ ही निःशुल्क टीकाकरण की सुविधा दे रही है जिससे कमजोर वर्ग के बच्चो में जन्म से ही रोगो से लड़ने की प्रतिरोधात्मक क्षमता में वृद्धि हो और विभिन्न संक्रामक बीमारियों से बच्चो को दूर रखा जा सके और देश के उज्जवल भविष्य के लिए स्वस्थ व्यस्क का निर्माण हो। सुदूरवर्त्ती कमजोर वर्गो के घर-घर में जाकर निःशुल्क टीकाकरण और दवाओं के वितरण की व्यवस्था भी सरकार कराती रही है। इसके अन्तर्गत पोलियों की खुराक, जीवन रक्षक घोलों का वितरण, डीपथीरिया, काली खाँसी, खसरा से संबंधित टीके की व्यवस्था आदि प्रमुख है।

कमजोर वर्गो के लिए क्षयरोग, कुष्ठरोग, कैंसर आदि बीमारियों के लिए भी सरकार निःशुल्क चिकित्सा, साथ ही कैलोरीयुक्त भोजन, रहने की समुचित व्यवस्था भी सुनिश्चित करती है। स्वास्थ्य को ही ध्यान में रखते हुए सरकार ने 1933 में बालश्रम अधिनियम बनाया। 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चो के श्रम पर प्रतिबंध लगाया तथा बच्चों को गिरवी रखने की प्रथा समाप्त करने की कोशिश की क्योंकि इससे बच्चो के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल

प्रभाव पड़ता है। इन कमजोर वर्ग के बच्चो को पेट की क्षुधा शांत करने के लिए श्रम करना पड़ता है। इस अधिनियम का उल्लंघन करने वाले के लिए 200 रूपए दण्ड की भी व्यवस्था की गई । बहुत हद तक सरकार इन प्रयासों में सफल रही, और कई संक्रामक बीमारियां लगभग देश से खत्म होने के कगार पर है परन्तु बाल श्रम आज भी देश में व्याप्त लालफीताशाही की वजह से दूर होने का नाम नही ले रहा जो सरकार के स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं को दुष्प्रभावी करता रहा है।

'जल ही जीवन है' यह एक कुट सत्य है। अगर जल ही अशुद्ध हो तो जीवन की कामना निरर्थक है। अतः सरकार कमजोर वर्गो को शुद्ध जल उपलब्ध कराने हेतु निःशुल्क हैंडपम्प वितरण और उसके लगवाने की व्यवस्था भी जलनिगमों के माध्यम से कराती रही है। जहां है हैंडपम्प लगवाने की सुविधा न हो वहाँ कुआं खुदवाने और जल के परीक्षण की भी निःशुल्क सुविधा की व्यवस्था करती है, ताकि जल संक्रमण संबंधी बीमारियों से वंचित रहा जा सके। वातावरण को प्रदूषणमुक्त रखने के लिए कमजोर वर्गो को प्रति परिवार एक शौचालय निर्माण पर 400/- रूपए दे रही है तथा कीटनाशक दवाओं के छिड़काव और पाउडरों का छिड़काव भी करवाती रहती हैं और इन सारे क्रियाकलापो की देखभाल के लिए सरकार जनस्वास्थ्य रक्षक नियुक्त करती है। किन्तु सरकार के प्रतिनिधि रक्षक ही भक्षक बन इन योजनाओं को निगलते आ रहे है। अशिक्षित कमओर वर्ग इन योजनाओं की जानकारी से या तो दूर है या दबंगो के समक्ष कुछ भी कहने में असक्षम। सरकारी तंत्र और कमजोर वर्गो के आपसी सहायोग के आभाव में कोई भी योजना व कार्यक्रम पूर्णतः सफल नहीं हो सकी।

९. आवास सम्बन्धी योजना-

मनुष्य की तीन प्रमुख आवश्यकतायें हैं- रोटी, कपडा और मकान। यदि प्रातः काल उठते ही अपनी भूख मिटाने के लिये रोटी या भोजन की आवश्यकता होती है तो रात्रि में सुख चैन से सेाने के लिये उसे अच्छे मकान की भी आवश्यकता होती है। इसी कारण कमजोर वर्गों के लिये बनाई गयी प्रत्येक योजना में (आवास की व्यवस्था) का प्रमुख स्थान है। किसी भी देश की ओद्यौगिक उन्नति स्वास्थ्य और योग्यता पर निर्भर करती है। अच्छे मकान, औद्योगिक स्वास्थ्य, योग्यता तथा नैतिकता को बनाये रखने तथा उन्नति करने के लिये आवश्यक है। इस प्रकार 'आवास व्यवस्था से हमारा तात्पर्य कमजोर वर्ग के लिये एक ऐसे आश्रय से है, जो आराम दायक हो, अर्थात् जहाँ कमजोर वर्ग के लोग अपने परिवार के सभी लोगों के साथ सुविधा से रह सकें। इसका आशय स्वस्थ वातावरण एवं ऐसी सेवाओं की उपलब्द्धि से भी है जिनसे कमजोर वर्ग के लोगों का स्वास्थ्य व कार्यक्षमता बनी रहे एवं वे सुखमय जीवन व्यतीत कर सकें।

स्पष्ट शब्दों में यह कह सकते है कि कमजोर वर्ग के लोगों का निवास स्थान ऐसी जगह पर होना चाहिये जहाँ स्वच्छ वायु, प्रकाश व जल आसानी से मिल सके। वे कूड़ा-करकट, हड्डियों के ढेर तथा गन्दे नालों से दूर होने चाहिये, साथ ही सुरक्षा, चिकित्सा, शिक्षा, क्रीडा, मनोरंजन, इत्यादि की भी पर्याप्त व्यवस्था होनी चाहिये, क्योंकि मकान और उसके आस पास के वातावरण का व्यक्ति के ऊपर गहरा प्रभाव पडता है। और कोई भी

राष्ट्र अधिक समय तक इनके प्रति उदासीन नही रह सकता। इसप्रकार अच्छे घरो का अर्थ, गृह-जीवन की सम्भावना, सुख और स्वास्थ्य है, किन्तु बडे घरो का अर्थ गन्दगी, शराब खोरी, बीमारी, आचारहीनता, व्यभिचार और अपराध। कमजोर वर्ग के लोगों के पास उचित आवास व्यवस्था का आभाव होने के कारण अनेक प्रकार की बुरी आदतें भी पैदा हो जाती हैं, जैसे शराब पीना, जुआ खेलना, वेश्याघर जाना, अनेक प्रकार की नशाखोरी करना, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियों का जन्म होता है, जिसका प्रभाव कार्यक्षमता पर भी सामाजिक रूप से पडता है । सच तो यह है कि स्वास्थ्य और आवास व्यवस्था एक दूसरे से घनिष्ठतः सम्बन्धित है और ये दोनो मिलकर कार्यक्षमता की सीमा का निर्धारण करते हैं, अतः विभिन्न योजनाओं के माध्यम से सरकार कमजोर वर्ग के लोगो को अच्छा मकान दिये जाने की कोशिश कर रही है जिससे कि वह घर से बाहर अपने सुख की हानिकारक खोज में ना रहे, और ना ही उनके बच्चे गन्दी नालियों और कूडेकरकटो की ढ़ेर के पास अपना अधिकांश समय व्यतित करें।

कमजोर वर्ग के लोगों की आवास की समस्या के समाधान के लिए केन्द्रीय व राज्य सरकारों, स्वयं सेवी संस्थाओं व नगरपालिकाओं द्वारा समय-समय पर अनेक प्रकार की सुविधाएं उपलब्ध कराने का प्रयास किया गया ताकि उनके स्वास्थ्य एवं आवास संबंधी दशाओं में सुधार हो सके। स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही सरकार इस दिशा में प्रयासरत है। सन् 1919 में ही औद्योगिक आयोग द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को आवास संबंधी सुविधायें उपलबध कराने के लिए भूमि के अधिग्रहण का सुझाव दिया गया, और आगे चलकर एक

दीर्घकालीन आवास नीति बनाए जाने की आवश्यकता पर बल दिया गया। सन् 1948 में 10 वर्षो में 10 लाख मकान बनाने का निर्णय लिया गया था। किन्तु कमजोर वर्ग के लोगों में उत्साह की कमी तथा राज्य सरकारों को दिए गए धन का उचित प्रयोग नही किए जाने से इसका क्रियान्वयन नहीं हो सका।

सन् 1966 में सरकार ने आवास संबंधी सभी योजनाओं को मिलाकर कमजोर वर्ग के लोगों के लिए एक निम्न आय आवास योजना का प्रारूप दिया जिसमें आवास के लिए 25 प्रतिशत ऋण की सुविधा दी गई। प्रमुख रूप से कमजोर वर्गो के लिए आवास सम्बन्धी योजनाएं है- इन्दिरा आवास योजना, बाल्मीकि- अम्बेदकर मलिन बस्ती आवास योजना, समग्र आवास योजना, आवास एवं आश्रय सुधार योजना, प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना आदि।

'इंदिरा आवास योजना' आवास की सभी योजनाओं में सर्वाधिक लोकप्रिय और खर्चीली योजना है। यह एक महत्वाकांक्षी येाजना है जो जनवरी 1996 से स्वतंत्र योजना के रूप में कार्य कर रही है। 1985-86 से अब तक इस योजना के अन्तर्गत 75 लाख मकानों का निर्माण व आवंटन किया गया जिस पर कुल 12,500 करोड़ रूपए खर्च किए गये। अर्थात् प्रत्येक मकान पर लगभग 1 लाख 67 हजार रूपए की लागत आई। यद्यपि इस येाजना में गरीब वर्गो को मकान तो मिला परन्तु उनका घटिया निर्माण होने की वजह से इन वर्गो की आवासी सुविधा में कोई आमूल सुधार नहीं हुआ। सन् 2000-2001 के लिए 1,618 करोड रूपए आवंटित किए गए है। जिसमें 12 लाख 94 हजार मकानों का लक्ष्य रखा गया है। यह

योजना लक्षित लोगों तक अपना लाभ नहीं पहुँच पा रही है जिसका कारण नौकरशाही एवं ठेकेदारी का मनमानापन है।

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना के अन्तर्गत 2000-2001 वर्ष के दौरान 286.84 करोड़ रूपए का आवंटन किया गया और 2001-2002 वर्ष के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में 280 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया। इतना ही नहीं ग्रामीण आवासों के लिए ऋण एवं सब्सिडी की भी व्यवस्था रखी गई जिसके अन्तर्गत ग्रामीण आवासों के लिए प्रत्येक परिवार 10,000 रूपए सब्सिडी एवं 40,000 रूपए तक का ऋण प्राप्त कर सकता है। 2001-2002 वर्ष तक इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए 38 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है।

झुग्गी बस्तियों के विकास के राष्ट्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत जून 2001 तक 819.47 करोड रूपए खर्च किए जा चुके है जिनसे 2 करोड़ 82 लाख लोगों को लाभ मिल चुका है। यह कार्यक्रम भी वांछित लक्ष्य को प्राप्त करने में असफल रहा है जिसका प्रमुख कारण इन बस्ती के लोगो की कार्यक्रम के प्रति अज्ञानता एवं अफसरशाही का भ्रष्टाचार है।

बाल्मीकी-अम्बेदकर मल्लिन बस्ती आवास योजना (VAMBAY) 23 अक्टूबर 2001 को अस्तित्व में आई। यह भी एक महत्वाकांक्षी योजना है जो शहरी निर्धनों मुख्यतया अनुसूचित जाति/जनजाति, पिछड़े एवं कमजोर वर्ग के लोगों को वहन योग्य मूल्य पर आवास उपलब्ध कराती है। इस योजना का परिणाम सरकार द्वारा इसके क्रियान्वयन के निष्पादन के बाद ही पता चलेगा।

६. अन्य योजनाऐ -

उपर्युक्त योजनाओं के अतिरिक्त कमजोर एवं गरीब वर्ग के लिए सरकार ने समय-समय पर अन्य अनेक योजनाओं एवं कार्यक्रमों को क्रियान्वित किया है। प्रमुख रूप से इसके अन्तर्गत काम के बदले अनाज कार्यक्रम, वृद्धावस्था पेंशन योजना, मातृत्व लाभ योजना, अन्नपूर्णा योजना, अन्त्योदय अन्न योजना एवं राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम को सम्मिलित किया गया है।

काम के बदले अनाज कार्यक्रम का उद्देश्य गरीबों को भरपेट भोजन दिलाना था। इस योजना के अन्तर्गत प्रति कार्य दिवस के लिए श्रमिकों को 5 कि0ग्रा0 तक खाद्यान्न तथा शेष मजदूरी नगद के रूप में दी जाती है। यह कार्यक्रम अपने लक्ष्य पर सही ढंग से कार्य कर रहा है।

राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना 65 वर्ष से अधिक आयु वाले बेसहारा लोगों को दी जाती है। इन वर्गों के लिए यह योजना न्यूनतम आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु 125 रू0/ माह पेंशन देने का प्रावधान करती है। वैसे यह एक कारगर योजना है परंतु इस योजना का सर्वाधिक दुरूपयोग हो रहा है। इसके दुरूपयोग की सीमा यहाँ तक पहुँच गई है कि कागजों पर फर्जी नाम से इस योजना का अधिकांश धन अधिकारियों की जेब में चला जाता है।

राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना के अन्तर्गत भी गरीब वर्गों को सामान्य मृत्यु पर 5000 रूपए तथा अकाल मृत्यु पर 10,000 रूपए का प्रावधान है। इस योजना के विषय में

अधिकांश आबादी को या तो जानकारी ही नहीं है और यदि जानकारी है भी तो औपचारिकता की जटिल प्रक्रिया में वो इसका लाभ लेने से वंचित रह जाते हैं।

अन्नपूर्णा योजना के अन्तर्गत वरिष्ठ नागरिकों की आवश्यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान की जाती है। इस योजना का लाभ उस वर्ग को नही मिल रहा है और इसका लाभ समाज के प्रभावी एवं दबंग लोगों को ही मिल रहा है। इसी प्रकार सरकार द्वारा गरीब एवं कमजोर वर्गों के लिए प्रायोजित योजनाएं एवं कार्यक्रम अधिकारियों की उदासीनता, सरकारी तंत्र में व्याप्त भ्रष्टाचार एवं इन वर्गों की कार्यक्रमों के सम्बन्ध में अज्ञानता के कारण पूरी तरह से अपने लक्ष्य की प्राप्त करने में सफल नहीं रही है।

कमजोर वर्गों के लिये बनाई गयी उक्त सभी योजनाओं को एक दृष्टि में इस प्रकार प्रस्तुत किया जा सकता है :-

सारणी - 8

बीस-सूत्री कार्यक्रम की अखिल भारतीय उपलब्धियां

(1998-1999, 1999-2000 और अप्रैल-दिसंबर 2001)

क्रम सं.	मद विवरण	इकाई	1998-99 लक्ष्य	1998-99 उपलब्धि	1998-99 प्रतिशत	1999-2000 लक्ष्य	1999-2000 उपलब्धि	1999-2000 प्रतिशत	2000-2001 लक्ष्य	2000-2001 उपलब्धि	2000-2001 प्रतिशत
1	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	जवाहर रोजगार योजना	लाख श्रम दिवस	3964.8	3804.8	96.0	-	2655.6	-	-	1227.7	-
2	अतिरिक्त भूमि वितरण	000 एकड	65.6	25.4	39.0	44.8	25.6	67.0	9.3	14.4	155.0
3	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	संख्या	729.0	112.2	15.0	729.0	92.0	13.0	145.0	14.0	10.0
4	बच्चो का टिकाकरण	संख्या लाख में	251.2	235.3	94.0	247.2	240.3	97.0	182.6	160.0	88.0
5	आंगन बाड़ी (सामुदायिक)	000 संख्या	408.2	438.0	107.0	441.2	495.9	112.0	502.9	504.3	100.0
6	अनुसूचित जाति परिवारो को सहायता	000 संख्या	2425.0	2559.2	106.0	2500.0	1930.6	77.0	156.1	81.7	52.0
7	अनुसूचित जनजाति परिवारो को सहायता	000 संख्या	1100.7	1181.9	107.0	1113.4	1029.0	92.0	768.1	489.2	64.0
8	नये मकानो के निमार्ण के लिए इन्दिरा आवास योजना	000 संख्या	987.5	888.0	90.0	845.2	836.4	99.0	595.6	354.7	60.0
9	आर्थिक रूप से कमजोर वर्गो को मकानो को आवंटन योजना	000 संख्या	118.2	116.9	99.0	68.6	102.5	149.0	117.7	200.7	171.0
10	निम्न आय वर्ग के मकान	000 संख्या	57.8	41.2	71.0	14.2	26.8	67.0	16.4	11.3	69.0
11	इन्दिरा आवास योजना (वर्तमान मकानो में सुधार)	000 संख्या	-	-	-	426.5	142.2	33.0	300.2	85.1	28.0
12	स्लम सुधार (जनसंख्या)	000 संख्या	4330.3	3344.4	77.0	4706.2	5572.6	118.0	3058.2	2995.7	98.0

(स्रोत : भारत 2002, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार।)

उपर्युक्त सारणी कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई योजनाओं के निष्पादन को प्रदर्शित करती है। सारणी से स्पष्ट है कि योजनाएं सही दिशा में कार्य कर रही हैं। जवाहर रोजगार योजना जो 1998-99 में 96 प्रतिशत तक सफल रही है आगामी वर्षों में इसकी उपलब्धि घटते हुए क्रम में दिखाई गई है। अनुसूचित जाति परिवारों को सहायता पहुँचाने वाली योजनाएं वर्ष 98-99 में 107 प्रतिशत तक सफल रही है। परन्तु वर्ष 2000-2001 में इनकी सफलता का प्रतिशत 64 रहा है। इंदिरा आवास योजना एवं आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को मकानों के आवंटन की योजना वर्ष 98-99 में क्रमशः 90 एवं 99 प्रतिशत तक अपने लक्ष्य को प्राप्त की है। इन योजनाओं ने सन् 1999-2000 में भी यही क्रम जारी रखा परंतु सन् 2000-2001 में इनकी सफलता का औसत प्रतिशत 62 ही रहा है। स्लम सुधार संबंधी योजनाएं 98-99 में 77 प्रतिशत सफल रहीं जो 99-2000 में 118 प्रतिशत तक पहुँच गई परंतु 2000-2001 में यह पुनः 98 प्रतिशत तक ही सफल हो पाई।

सामुदायिक स्वास्थ्य, अतिरिक्त भूमि वितरण जैसी योजनाएं 98-99 में कोई खास प्रगति नहीं कर पाई। 2000-2001 में अतिरिक्त भूमि वितरण योजनाएं 155 प्रतिशत तक सफल रही है। बच्चों का टीकाकरण, आंगनबाड़ी योजनाएं भी लक्ष्य के आसपास तक पहुँच गई हैं।

अस्तु, यह सारणी स्पष्ट करती है कि कमोवेश आंकडो के आधार पर योजनाएं कारगर एवं सफल रही हैं।

अध्याय- सप्तम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

अध्याय- सप्तम्

निष्कर्ष एवं सुझाव

सामाजिक सुरक्षा किसी भी देश, जाति एवं समाज के लिए उतना आवश्यक है, जितना कि स्वस्थ जीवन जीने के लिए एक मुनष्य के शरीर में रक्त का होता है क्योकि बिना पर्याप्त सामाजिक सुरक्षा के किसी भी सभ्य समाज की कल्पना नहीं की जा सकती है। हम जानते हैं कि हमारी जनतन्त्रात्मक सरकार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से समय-समय पर सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में काफी प्रयत्न किया है। यद्यपि ये सारी की सारी योजनायें अपने-अपने समय में हमारे समाज के कमजोर लोगों को पूरा सहयोग प्रदान की हैं परन्तु कई ऐसे कारण रहे जिनकी वजह से इनका सदुपयोग नहीं किया जा सका है। कहने का तात्पर्य यह है कि कोई भी योजना किसी भी समाज के लिए तभी फलदायी हो सकती है जबकि समय रहते उस पर ध्यान दिया जाय। यह बात भी सर्वविदित है कि कमजोर वर्ग के लोगों के लिए जनतन्त्रात्मक सरकार द्वारा चुने गये कदम उतने ही प्रभावी होते हैं जितना कि उस पर अमल किया जाता है।

सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में हमारी सरकार द्वारा अनेक प्रकार की योजनायें क्रियान्वित की गयी हैं, और सारी की सारी योजनायें अपने-अपने समय में विशेष भूमिका अदा की हैं और सबसे अहम् बात यह है कि इनके द्वारा समाज के कमजोर वर्गों का विकास

भी तेजी के साथ हुआ है। इसी का परिणाम है कि आज गरीब तबके के लोग भी इस बात को समझने लगे हैं कि सामाजिक सुरक्षा का क्या तात्पर्य है और विशेषकर यह किस कार्य के लिए उपयोगी है। इसे हम सामाजिक सुरक्षा की महत्वपूर्ण उपलब्धि समझते हैं। प्रारम्भिक काल में तो एक ऐसी भी स्थिति थी जबकि एक वर्ग विशेष सामाजिक सुरक्षा का अर्थ ही नहीं समझता था। आज हमारा सम्पूर्ण समाज सामाजिक सुरक्षा का अर्थ एवं उसकी पूरी उपयोगिता को समझता है। हालांकि सामाजिक सुरक्षा के अन्तर्गत सामाज के विभिन्न वर्गों के लोग सम्मिलित किये गये हैं, जिन्हें गरीबी उन्मूलन के लिए ही नहीं वरन् तमाम प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गयी है। जिसके अन्तर्गत शिक्षा, स्वास्थ, जल, खाद्यान्न की पूरी व्यवस्था की गयी है। मानते हैं कि हमारी सरकार ने तो गरीब-वर्ग के लोगों के लिये तमाम प्रकार की सुविधायें प्रदान किया है जिसके अन्तर्गत इन्दिरा आवास योजना, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, कूप योजना, नल योजना, प्रधानमंत्री सड़क योजना, आदि तमाम प्रकार की योजनाओं से जनता को लाभान्वित करने का प्रयास किया है।

7.1 निष्कर्ष

निष्कर्ष स्वरूप प्रस्तुत अध्ययन के निम्न लिखित तथ्य सामने आये है:-

1. कमजोर वर्गों हेतु कृषि सम्बन्धी योजनाएं पर्याप्त सीमा तक कारगर सिद्ध हुई हैं परन्तु अन्य भुमि सुधार सम्बन्धी योजनाओं का सही क्रियान्वयन न होने से कमजोर वर्गों को इसका समुचित लाभ नहीं मिला है।

2. गरीबी उन्मूलन हेतु योजनाएं भी सही दिशा में कार्य कर रही हैं। देश के विभिन्न क्षेत्रों में गरीबों की स्थिति में पर्याप्त सुधार हुआ है। सन् 93-94 में देश में कुल गरीबों की संख्या 36 प्रतिशत थी जो सन् 2001-02 में घटकर मात्र 29 प्रतिशत रह गई है।

3. कमजोर वर्गों के लिए बनाई गई बीमा संबंधी योजनाऐं शत-प्रतिशत सफल नहीं रहीं। इसका प्रमुख कारण एक बार पुनः इन वर्गों की योजना के संबंध में अज्ञानता और बीमा राशि का उचित समय पर भुगतार न हो पाना है।

4. सरकार ने स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व से ही प्रत्येक परिवार को आवास उपलब्ध कराने का जो लक्ष्य रखा था वह भी लालफीताशाही और ठेकेदारी के चंगुल में फंसकर अधर में ही लटक कर रह गई है। फिर भी आवास संबंधी योजनाओं को हम सरकार का एक सफलतम प्रयास कह सकते हैं। चूंकि कुछ योजनाओं के परिणाम आने बाकी हैं और अनुमानतः आशातीत परिणाम आने की संभावना है।

5. कमजोर वर्गों के शिक्षा और स्वास्थ्य के लिए सरकार द्वारा उठाए गए कदम सराहनीय हैं। काफी हद तक सरकार कई असाध्य बीमारियों पर काबू भी पा चुकी है। शिक्षा के प्रति लोगों की जागरूकता में भी काफी वृद्धि हुई है। परन्तु जनसंख्या में उत्तरोत्तर वृद्धि और सरकारी मशीनरी के दुरूपयोग की वजह से शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी योजनाओं की सफलता भी कम ही लगती है।

6. कमजोर वर्ग के लोगों के रोजगार के लिए सरकार अनेक तरह के प्रशिक्षण कार्यक्रम के साथ-साथ ऋण और बाजार की भी सुविधा विभिन्न योजनाओं के माध्यम से उपलब्ध कराने हेतु कृतसंकल्प है। परंतु इनकी जटिल प्रक्रिया, उचित जानकारी का आभाव और अफसरशाहों की लालची प्रवृति इस वर्ग को हतोत्साहित करने के लिए पर्याप्त है। अतः अनेक योजनाओं के बावजूद भी बेरोजगारों की संख्या में कमी नहीं आ पाई है।

7. महिलाओं और बच्चों के लिए चलाए जा रहे कार्यक्रमों और योजनाओं से इनकी स्थिति में सुधार तो अवश्य हुआ है परंतु इसे पर्याप्त नहीं कहा जा सकता है। आज हर क्षेत्र में महिलाओं को पुरूषों के समान दर्जा प्राप्त है, फिर भी सामाजिक रूढ़िवादिता कमजोर वर्ग की महिलाओं पर विशेष रूप से प्रभावी है, जो इन योजनाओं की सफलता के लिए सबसे बड़ी बाधा है। साथ ही, सरकारी तंत्र में व्याप्त नौकरशाही, इन योजनाओं का लाभ स्वयं हजम कर इनकी अज्ञानता का पर्याप्त फायदा उठा रही है।

अतः निष्कर्ष स्वरूप हम यह कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार के द्वारा जो अनेक प्रकार की योजनायें गरीबों के लिये बनायी गयी हैं उनका गरीबी उन्मूलन कि लिए विशेष महत्व है। इसलिए समय-समय पर यदि उन योजनाओं का विश्लेषण करते रहें तो इसका और सकारात्मक प्रभाव देखा जा सकता है।

उपरोक्त योजनायें जो कि सरकार द्वारा गरीब वर्ग के लोगो के किए चलायी गयी हैं उन्हे हम पर्याप्त तो नहीं कह सकते, क्योंकि यदि ये पर्याप्त रही होतीं तो गरीब वर्ग की आबादी में आशातीत कमी होनी चाहिए थी। यद्यपि कि भारत सरकार द्वारा उठाये गये कदम विशेष महत्वपूर्ण एवं उत्तम हैं फिर भी हम कुछ सुझाव प्रस्तुत करना चाहते है जिनके माध्यम से इस दिशा में प्रत्याशित परिणाम प्राप्त किया जा सकता है।

7.2 सुझाव :- प्रस्तुत अध्ययन के निष्कर्ष के आधार पर कमजोर वर्गों की स्थिति में व्यापक सुधार लाने हेतु निम्नलिखित बिन्दुओं को सुझाव में दिया जा रहा है :--

1. सर्वप्रथम हम यह कहना चाहेंगे कि हमारी जनतंत्रात्मक सरकार द्वारा जितनी भी योजनायें गरीब वर्ग के लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा से समन्धित लागू की गयी हैं उनका एक सिरे से पुनरावलोकन होना चाहिये। हालाँकि हम सभी यह जानते हैं कि इस क्षेत्र में सरकार द्वारा उठाये गये कदम बिल्कुल सही हैं फिर भी उनका विश्लेषण आवश्यक है। जिसके माध्यम से हम यह समझ सकते हैं कि सरकार द्वारा स्वीकृत की गयी राशि एवं वितरित की गयी राशि के मध्य कोई अन्तर है अथवा नही। यदि किसी प्रकार का अन्तर पाया जाता है तो हम उसके उत्तरदायी कारकों का भी वक्त रहते पता लगा सकते हैं।

2. इस सम्बन्ध में हमारा दूसरा सुझाव यह है कि सरकार द्वारा समय-समय पर जो भी कदम उठाये गये उसमें कथनी और करनी में भेद के कारणो का पता लगाया जाय और ऐसे तमाम सारे तत्व जो योजनाओं के क्रियान्वन के समय दोषी पाये जाते हैं उनके साथ कड़ी से कड़ी कार्यवाही की जाये।

3. भारत सरकार द्वारा गरीब तबके के लोगों के लिये जितने भी कार्यक्रम लागू किये गये हैं, ये कम नहीं हैं परन्तु हम उन्हें पर्याप्त नहीं कह सकते। क्योंकि हमारे देश में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन जीने वालों का जो प्रतिशत स्वतंत्रता के पूर्व था उसमें कमी तो अवश्य आयी है परन्तु यह पर्याप्त नहीं है।

4. अगले सुझाव के माध्यम से हम यह कहना चाहते हैं कि गरीबी उन्मूलन जो समाजिक सुख का एक पहलू है, बहुत आवश्यक है परन्तु हम चाहते हैं कि इसके लिये केवल नाना प्रकार की योजनायें ही क्रियान्वित न करके यदि हमारी सरकार रोजगार के नये-नये अवसर हमारे युवकों /युवतियों को उपलब्ध्द्र कराये तो इसका अधिक सीधा प्रभाव पड़ सकता है। क्योंकि इस सम्बन्ध में हमारा विचार यह है कि यदि हम अपने गरीब वर्ग के लोगों को व्यक्तिगत रूप से रोजगार के अवसरों के लिये धन की व्यवस्था करें तो इससे उनके जीवन स्तर में निश्चित रूप से परिवर्तन होगा, क्योंकि वह निश्चित व्यक्ति अपने हाथ में प्राप्त की गयी रकम का उत्तम से उत्तम प्रयोग करेगा, और जिसे हमारी सरकार व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी ठहरा सकती है।

5. हम यह भी कहना चाहते हैं कि सरकार द्वारा इन योजनाओं के माध्यम से वितरित की गयी राशि कहाँ तक गरीबों के लिये उपयोगी साबित हो रही है क्योंकि हम इसके विश्लेषणात्मक पहलू को देखें तो यह पाते हैं कि स्वीकृत की गयी राशि एवं वितरित की गयी राशि के मध्य एक बड़ा अन्तर प्रकट होता है। इसलिये उन उत्तर दायी कारकों पर भी सरकार को लगाम कसनी चाहिये अन्यथा योजनाओं का सफलतापूर्वक क्रियान्वयन एवं प्रयोग नहीं हो पायेगा।

6. हम चाहते हैं कि हमारी सरकार गरीब वर्ग के लोगों के लिये सामाजिक सुरक्षा के नाम पर जो कुछ भी कर रही है उसमें स्वयंसेवी संस्थाओं को पर्याप्त जिम्मेदारी सौंपे क्योंकि इनके माध्यम से यह कार्य और अच्छे ढंग से सम्पन्न हो सकता है।

7. सुझाव के रूप में हम यह भी कहना चाहेंगे कि हमारी सरकार को चाहिंये कि गरीब वर्ग के लोगो में भी अति गरीब, मध्यम गरीब एवं उच्च्य गरीब के नाम से बंटवारा करे और उसमें यह भी निर्देशित करे कि इनके स्तर के मुताबिक इन्हें तमाम योजनाओं में भागीदार बनाये जाय। इनकी स्थिति को सुधारने के लिए एक निश्चित समय सीमा भी निर्धारित करे ।

8. कमजोर वर्गों के लिए बनाई गयी शिक्षा सम्बन्धी सुविधाओं का मूल्यांकन करके उसे और प्रभावी बनाया जाना चाहिए। अवलोकन से ऐसा ज्ञात होता है कि इन सुविधाओं के महत्व के विषय में कमजोर वर्गों को उपयुक्त जानकारी नहीं दी जाती।

9. सामाजिक असमानता दूर करने के लिए सम्प्रभुवर्ग के पास की प्राकृतिक सम्पदाओं को अधिग्रहीत करके अति-निर्धन वर्ग को उसे पट्टे पर दे देना चाहिए ।

10. कमजोर वर्गों पर अनावश्यक अकारण अत्याचार करने वाले लोगों पर कठोर सामाजिक दण्डात्मक कार्यवाही की व्यवस्था होनी चाहिए।

11. यदि सरकार सही अर्थों में कमजोर वर्गों की कमजोरी दूर करना चाहती है तो इन वर्गों को प्रदान की जाने वाली मुफ्त की सुविधाओं पर पुर्नविचार करना चाहिए। अर्थात् इन वर्गों को दी जाने वाली सुविधाओं के बदले इनसे किसी न किसी रूप में कुछ शारीरिक या मानसिक अंशदान लेना चाहिए।

12. जब कृषि कार्य का मौसम नहीं होता तो अधिकांश परिवारों के लोग बेकार बैठे रहते हैं। अतः उस समय सरकार को चाहिये कि सड़कें बनवाना, नहरें खुदवाना, कुआँ खुदवाना हैंडपम्प लगवाने जैसे आदि के निर्माण कार्यों में, प्रति परिवार, कम से कम एक व्यक्ति को प्रति दिन रोजगार सुनिश्चित करे। अतः रोजगार के सृजन हेतु गाँवों में ओद्यौगीकरण को बढ़ावा देना चाहिए।

13. देश में एक पूर्व निश्चित रोजगार सम्बन्धी राष्ट्रीय नीति होनी चाहिये तथा अखिल भारतीय मानव शक्ति सेवा का निर्माण किया जाना चाहिये । साथ ही शिक्षा पद्धति में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाना चाहिये जिससे औद्योगिक विकास के कार्यक्रम विकसित किये जा सकें और जन शक्ति का उचित नियोजन भी हो सके। राष्ट्रीय मानव साधन कार्यक्रमों का सर्वेक्षण किया जाये। देश में 'वोकेशनल' मार्ग दर्शन

सेवाओं को मजबूत करके उनका विस्तार किया जाना चाहिये ताकि ओद्योगिक विकास में तीव्रता आ सके।

14. सरकार कमजोर वर्ग के बच्चों के लिये न्यूनतम व्यसायिक शिक्षा का प्रारूप तैयार करे, और स्थानीय समुदाय के ही योग्य एवं निष्ठावान् पुरूषों एवं महिलाओं की अनुदेशकों के रूप में नियुक्ति तथा उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था करे ताकि कमजोर वर्ग के बच्चों को कम समय में रोजगार परक शिक्षा उपलब्ध्र हो सके जिससे उनके समय की बचत हो एवं कम समय में ही धनोपार्जन के योग्य बन सकें।

15. सरकार को शिक्षा प्रणाली में आमूल-चूल परिवर्तन करना चाहिये जिससे कि सैद्धान्तिक बातों के साथ-साथ व्यवहारिक बातों का भी ज्ञान हो सके। प्रशिक्षण संस्थाओं का विस्तार किया जाना चाहिये जिससे शिक्षित व्यक्ति को यह ज्ञान हो सके कि उसके लाभ के लिए कौन-कौन सी योजनाएं हैं और वह उन योजनाओं का किस प्रकार लाभ उठा सकता है।

16. कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक आवश्यक एवं आधारभूत जानकारियां उपलब्ध्र कराने हेतु सरकार को रेडियो, टी.वी. आदि की व्यवस्था सामुदायिक गोष्ठियों का आयोजन, कैम्प लगवाना आदि की व्यवस्था करनी चाहिये। क्योंकि एक बहुत पुरानी कहावत है "Prevention is better than cure" जिसका अर्थ है 'परहेज इलाज से अच्छा होता है'। अतः सरकार को समय पूर्व ही

विभिन्न माध्यमों द्वारा कमजोर वर्ग के लोगों को स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारियाँ देने की हर सम्भव कोशिश करनी चाहिये।

17. स्वास्थ्य से ही सम्बन्धित दूसरा सुझाव यह है कि कमजोर वर्ग के लोगों में परिवार नियोजन का कार्यक्रम अधिक सफल हो, इसके लिये उनमें जागरूकता की भावना लाये। इस कार्यक्रम की सफलता से कई अनेक समस्याओं का समाधान स्वमेव ही हो जायेगा। अतः सरकार तरह-तरह के प्रलोभनों द्वारा कमजोर वर्ग का ध्यान इस ओर आकर्षित करे, जिससे स्वास्थ्य योजनाओं के साथ-साथ अन्य योजनाओं का लाभ भी इन वर्गों तक आसानी से पहुँच सके। क्योंकि ऐसा माना जाता है कि समस्याओं का समाधान साधन नहीं, समझदारी है।

इस सम्बन्ध में हमारे पुराण भी एक मत हो करके बोलते हैं कि- 'शरीर माध्यम् खलु धर्म साधनम्' । इसके माध्यम से यह साफ-साफ इंगित होता है कि बिना स्वस्थ शरीर के अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष में से किसी का भी पूर्ण रूपेण पालन नहीं किया जा सकता है।

मिसाल के तौर पर हम यह कह सकते हैं कि तमाम ऐसी बीमारियाँ हैं, जो हैं तो बडी भयावह, तथा इनका परिणाम भी मृत्यु ही होती है, परन्तु यदि इनके सम्बन्ध में कमजोर वर्ग के लोगों की पहले ही सामान्य जानकारी उपलब्ध कराई जाये तो इनसे पूर्ण रूप से दूरी बनाई जा सकती है। जैसे- क्षय रोग, कैंसर, ऐड्स, काली खाँसी, मलेरिया, पीलिया, आदि ऐसी बीमारियाँ हैं जिनसे आसानी से बचाव किया जा

सकता है। परन्तु जब ये पूर्णतया क्रियाशील हो जाती हैं तो रोगी को बचाया नही जा सकता। अतः उस समय हमारा साधन बौना, असमर्थ एवं सीमित हो जाता है। यहाँ पूर्व समझदारी ही कामयाब हो सकती है।

18. सरकार कमजोर वर्ग के लोगों के लिये शिक्षा के प्रचार व प्रसार पर विशेष ध्यान दे जिससे लोगो में जागरूकता बढ़े तथ वे स्वच्छ जीवन व्यतीत करने के लिये उत्सुक हों। इसके लिये सरकार को छोटे-छोटे कस्बों के निर्माण के लिये प्रोत्साहन तथा प्रत्येक नगर के लिये एक मास्टर प्लान होना चाहिये।

19. इसी क्रम में यह कहना आवश्यक होगा कि गन्दी बस्तियों की सफाई की योजना वास्तव में आवास नीति का ही एक महत्वपूर्ण अंग है। इस समस्या पर हमें पृथक से विचार नही करना चाहिये। आवास की प्रत्येक योजना में कम से कम बड़े औद्योगिक नगरों में गन्दी बस्तियों की सफाई की भी पूर्ण व्यवस्था होनी चाहिये। जिससे जब भी कोई आवास-क्षेत्र तैयार हो, गन्दी बस्तियों में निवास करने वाले व्यक्तियों को इन नये मकानो में ले जाने के लिये प्रयत्न किया जा सके, और सम्बन्धित गन्दी बस्तियों में सफाई के लिये भी कार्य किया जा सके।

20. कृषि सम्बन्धी बेरोजगारी की समस्या को सुलझाने के लिये सरकार को कृषि का पुर्नसंगठन करना चाहिये, अर्थात उत्तम बीज, श्रम, पूँजी एवं संगठन तथा भूमि पर जनसंख्या का दबाव कम करने के लिये कुटीर एवं लघु उद्योग धन्धो को स्थापित व प्रोत्साहित करना चाहिये। भूमि का पुनर्रूद्धार, जुताई के उत्तम उपाय, सिंचाई की

सुविधायें, सहकारी कृषि, भूमि का पुनः वितरण आदि कुछ ऐसे उपाय हैं जिनपर पुनर्विचार की आवश्यकता है। सरकार को इसके लिये स्वतंत्रत पर्यवेक्षक नियुक्त करना चाहिये।

21. कमजोर वर्ग के लोगों को अधिकाधिक रोजगार के सुअवसर प्रदान करने के लिये उपभोग सम्बन्धी वस्तुओं के उद्योगों का विकेन्द्रीकरण तथा लघु, कुटीर एवं ग्राम्य उद्योगों के पुनर्संगठन एवं उनको प्रोत्साहन देने की नीति का अनुगमन किया जाना चाहिये। चूंकि भारत गाँवों का देश है, और गाँवो के औद्योगीकरण से ही समस्या का सही हल हो सकता है, अतः औद्योगिक बेरोजगारी को दूर करने का कार्य ग्रामीण क्षेत्रों में ही विशेष रूप से करना चाहिए। सरकार को देश में वोकेशनल मार्ग-दर्शन सेवाओं को मजबूत करके उनका विस्तार करना चाहिए।

22. सरकार कमजोर वर्ग की महिलाओं को विभिन्न प्रकार के घरेलू उत्पादों का प्रशिक्षण तो देती है किन्तु उनके द्वारा निर्मित वस्तुओं को उचित मूल्य मिले इसकी व्यवस्था नहीं करती। अतः सरकार उन निर्मित वस्तुओं को खरीद कर अपने माध्यम से बाजार में बेचे और ऐसी रकम का एक निश्चित प्रतिशत महिलाओं में बाँट कर, शेष रकम को उनके ही नाम से खुले खातों में एक निश्चित समय तक जमा कर दे, जिससे उनमे आर्थिक संपन्नता आये ।

23. सरकार को चाहिये कि वह अत्यन्त कमजोर वर्ग के लोगो के लिए निःशुल्क बीमा की व्यवस्था करे तथा दुर्घटना ग्रस्त व्यक्ति/उसके आश्रित को दुर्घटना के समय ही तत्काल कुछ धन की व्यवस्था करे जिससे उनकी उचित देखभाल हो सके।

24. बीमा की पद्धति सुगम एवं सरल बनाई जाये, जिसे आसानी से समझा और समझाया जा सके। साथ ही सरकार बीमा ऐजेन्सियो को इस दिशा मे निर्देशित करे कि वे अपने जांच पड़ताल की प्रक्रिया में तेजी एवं निष्पक्षता लायें, क्योंकि अनेक अयोग्य लोग ऐसे लाभ को प्राप्त कर रहे हैं तथा अनेक योग्य लोग इस लाभ से वंचित रह जाते हैं।

25. सरकार द्वारा प्रत्येक क्षेत्र के लिए जारी संसाधन उस क्षेत्र में कमजोर वर्गों की संख्या के अनुपात पर आधारित होना चाहिए। तथा उस योजना का चयन और कार्यान्वयन उस क्षेत्र की विशिष्टताओं और आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया जाना चाहिये। इसे और अधिक प्रभावी बनाने के लिये स्थानीय लोगों का सहयोग और सहभागिता आवश्यक है। यदि संभव हो तो इन कार्यक्रमों को व्यक्ति के स्थान पर व्यक्तियों के समूह को आधार बना कर लागू किया जाना चाहिये। बहुत सी योजनायें जो व्यक्ति के लिए अनुपयुक्त थीं, वे सामूहिक रूप से उपयुक्त हो सकती हैं।

अतः अन्ततः हम यह कहना चाहेगें कि सक्षम अर्थव्यवस्था, सशक्त राष्ट्र एंव समझदार नागरिक की संरचना हेतु सरकार को कमजोर वर्गों की जरूरतों को ध्यान में रखते हुए बिना किसी सामाजिक उथल-पुथल के कारगर नीतियों एवं स्वस्थ योजनाओं का निर्धारण एवं क्रियान्वयन करना चाहिए।

संदर्भ ग्रन्थ सूची

संदर्भ ग्रन्थ सूची

1. पुस्तकें

1	अभिषेक शर्मा	भारतीय अर्थव्यवस्था	स्पेक्ट्रम बुक्स प्रा. लि. नई दिल्ली	2002
2	अरूणेश सिंह	भारतीय अर्थव्यवस्था	ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्रीव्यूटर्स	2000
3	अरूणेश सिंह	भारतीय अर्थव्यवस्था	ज्ञान भारती पब्लिशर्स एण्ड डिस्ट्री व्यूटर्स	2001
4	के. वी. सक्सेना, बी. एल. पोरवाल, एम. एल. सुथार	श्रम सन्नियम एवं सामाजिक सुरक्षा	रमेश प्रकाशन जयपुर	1998
5	के. पी. जैन	अर्थशास्त्र के सिद्धान्त	साहित्य भवन आगरा	1984
6	के. एस. गिल	भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास	राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसन्धान और प्रशिक्षण परिषद	1999
7	डा. चतुर्भुज मेमोरिया डा. एस. सी. जैन	भारतीय अर्थव्यवस्था	साहित्य भवन आगरा	1995
9	डी. जे. की. वार्ष्णेय	राजस्व	साहित्य भवन आगरा	1987
10	पी.डी. शर्मा वी.एस. शर्मा	भारतीय प्रशासन	क्लासिक पब्लिशिंग हाउस जयपुर	1992
11	डा. बडी विशाल त्रिपाठी	भारतीय अर्थव्यवस्था (नियोजन एवं विकास)	किताब महल इलाहाबाद	1990
12	डा. बी.एल. फाडिया	भारतीय लोक प्रशासन	साहित्य भवन आगरा	1998
13	मिश्र-पुरी	भारतीय अर्थव्यवस्था	हिमालया पब्लिशिंग हाउस-दिल्ली	2001
14	एल. एम. राय	भारतीय अर्थशास्त्र	ज्ञानदा प्रकाशन नई दिल्ली	1992
15	एम. एल. गुप्ता डी. डी. शर्मा	समाज शास्त्र	साहित्य भवन आगरा	2000
16	रूद्र दत्त एवं के. पी. एम. सुन्दरम्	भारतीय अर्थव्यवस्था	एस.चन्द एण्ड कम्पनी लि. नई दिल्ली	1998
17	एस.सी. सक्सेना	श्रम समस्यायें एवं सामाजिक सुरक्षा	रस्तोगी पब्लिकेशनस शिवाजी रोड मेरठ	1986

2. जर्नल्स एवं पत्रिकायें

1	प्रतियोगिता दर्पण	उपकार प्रकाशन आगरा	अतिरिक्तांक/1999 मार्च 2001, अप्रैल-02
2	प्रतियोगिता पीयूष	पीयूष प्रकाशन इलाहाबाद	जून-01, जनवरी-02 अगस्त-02
3	यूथ कम्पटीशन	यूथ प्रकाशन इलाहाबाद	जुलाई-01, दिस्मबर-01, अप्रैल-02
4	कुरूक्षेत्र	ग्रामीण विकास मंत्रालय नई दिल्ली	अप्रैल-01, अक्टूबर-01, मई-02
5	कुरूक्षेत्र	निर्माण भवन नई दिल्ली	फरवरी-02, जून-02
6	योजना	योजना भवन नई दिल्ली	फरवरी-00, दिस्मबर-01, फरवरी-01, अप्रैल-02, अगस्त-02
7	क्रानिकल		
8	उत्तर-प्रदेश सामान्य ज्ञान	उपकार प्रकाशन-आगरा	2001-2002
9	उत्तर प्रदेश ईयर बुक	ज्ञान भारती पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इलाहाबाद	2001-2002
10	करेंट अफेयर्स (स्पेशल)	ज्ञान भारती पब्लिशर्स डिस्ट्रीब्यूटर्स इलाहाबाद	2001-2002
11	मनोरमा इयर बुक	प्रदीप डिस्ट्रीब्यूटर्स	2001-2002
12	उत्तर-प्रदेश	सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग लखनऊ उत्तर प्रदेश	2002
13	भारत-2002	सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार	2002
14	प्रतियोगिता किरण ईयर बुक	किरन प्रकाशन नई दिल्ली	2001, 2002
15	प्रतियोगिता साहित्य	साहित्य भवन प्रकाशन आगरा	2001
16	युनिक सामान्य अध्ययन	युनिक प्रकाशन दिल्ली	2002
17	भारतीय अर्थव्यवस्था सर्वेक्षण तथा विश्लेषण	शिव पब्लिशिंग हाउस इलाहाबाद	2002
18	परीक्षा मंथन	मंथन प्रकाशन इलाहाबाद	2002

3. समाचार पत्र

1	हिन्दुस्तान	लखनऊ	सन् 2000 से नियमित आज तक
2	टाइम्स आफ इण्डिया	लखनऊ	1998 से नियमित आज तक
3	नवभारत टाइम्स	लखनऊ	जून-02 से अप्रैल-02
4	दैनिक जागरण	इलाहाबाद	फरवरी-02, अप्रैल-02, जून-02 अगस्त-02
5	नार्दन इंडिया पत्रिका	इलाहाबाद	जून-01, जुलाई-01, मार्च-02, अप्रैल-02
6	अमृत-प्रभात	इलाहाबद	मई-02, जुलाई-02
7	अमर उजाला	इलाहाबाद	सितम्बर-02
8	द इकोनामिक टाइम्स	नई दिल्ली	जून-02 से सितम्बर-02
9	युनाइटेड भारत	लखनऊ	मार्च-02, जुलाई-02
10	हिन्दुस्तान टाइम्स	नई दिल्ली	मई-02, जून-02, अगस्त-02
11	इकोनामिक सर्वे	भारत सरकार	2001, 2002

Printed and Compiled by

Sita Computer Academy

(Computer Education)

790/28-B/128-A

Ramanand Nagar, Bhardwaj Puram

Allahabad-211006

Phone No. (0532)-501986